भाग ब

राजस्व क्षेत्र

अध्याय-I: सामान्य

1.1 प्रस्तावना

इस अध्याय में झारखण्ड सरकार द्वारा सृजित प्राप्तियों और लेखापरीक्षा निष्कर्षों की पृष्ठभूमि के विरुद्ध बकाया करों के लंबित संग्रहण का विहंगावलोकन प्रस्तुत है।

1.2 राजस्व की प्रवृत्ति

1.2.1 2018-19 के दौरान झारखण्ड सरकार द्वारा सृजित कर एवं कर-भिन्न राजस्व, भारत सरकार से प्राप्त हुए राज्यों को आवंटित विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों के निवल प्राप्ति में राज्य का अंश एवं सहायता अनुदान तथा पूर्ववर्ती चार वर्षों के तत्संबंधी आँकड़े **तालिका-1.1** में उल्लिखित हैं।

तालिका-1.1: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.		2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1	**राज्य सरकार द्वारा सृजित राजस्व**					
	• कर राजस्व	10,349.81	11,478.95	13,299.25	12,353.44	14,752.04
	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि की प्रतिशतता	**10.34**	**10.91**	**15.86**	**(-) 7.11**	**19.42**
	• कर-भिन्न राजस्व	4,335.06	5,853.01	5,351.41	7,846.67	8,257.98
	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि की प्रतिशतता	**15.52**	**35.02**	**(-) 8.57**	**46.63**	**5.24**
	कुल	**14,684.87**	**17,331.96**	**18,650.66**	**20,200.11**	**23,010.02**
2	**भारत सरकार से प्राप्तियाँ**					
	• विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का अंश	9,487.01	15,968.75	19,141.92	21,143.63	23,906.16
	• सहायता अनुदान	7,392.68	7,337.64	9,261.35	11,412.29	9,235.52
	कुल	**16,879.69**	**23,306.39**	**28,403.27**	**32,555.92**	**33,141.68**
3	**राज्य सरकार की कुल प्राप्तियाँ (1 एवं 2)**	**31,564.56**	**40,638.35**	**47,053.93**	**52,756.03**	**56,151.70**
4	**1 से 3 का प्रतिशतता**	**47**	**43**	**40**	**38**	**41**

स्रोत: झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे।

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि वर्ष 2018-19 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा सृजित राजस्व (₹ 23,010.02 करोड़) कुल राजस्व प्राप्ति का 41 प्रतिशत था। वर्ष 2018-19 के दौरान शेष 59 प्रतिशत प्राप्तियाँ भारत सरकार से प्राप्त हुई। 2017-18 की तुलना में 2018-19 में राज्य सरकार द्वारा सृजित कर एवं कर-भिन्न राजस्व में क्रमशः 19.42 एवं 5.24 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

प्रतिशतता के संदर्भ में वर्ष 2018-19 के लिये राज्य की राजस्व प्राप्तियों का विघटन **चार्ट-1.1** में दिखाया गया है।

चार्ट-1.1

राज्य के राजस्व प्राप्तियों का विघटन

(₹ करोड़ में)

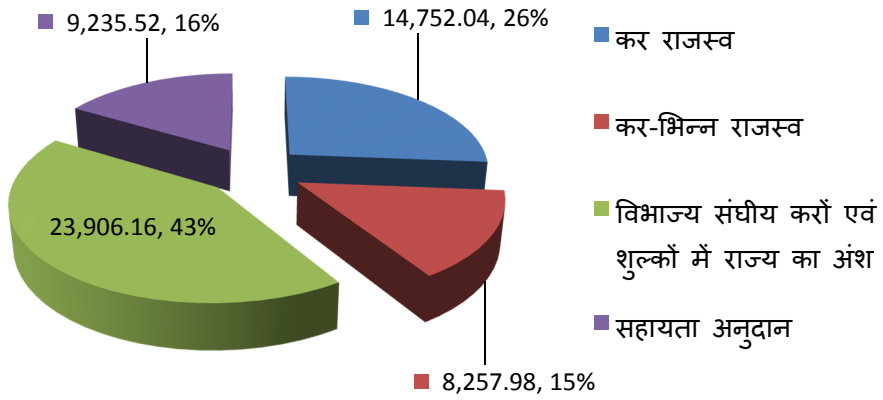

1.2.2 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान सृजित कर राजस्व का विवरण **तालिका-1.2** में दिया गया है।

तालिका-1.2: कर राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	**राजस्व शीर्ष**	**2014-15**	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**2017-18 की तुलना में 2018-19 में वृद्धि (+) या कमी (-) का प्रतिशतता**
1	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	8,069.72	8,998.95	10,549.25	5,714.69	3,474.96	(-)39.19
2	राज्य वस्तु एवं सेवा कर	0.00	0.00	0.00	4,123.88	8,200.84	(+)98.86
3	राज्य उत्पाद	740.16	912.47	961.68	840.81	1,082.82	(+)28.78
4	मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क	530.67	531.64	607.00	469.34	451.04	(-)3.90
5	वाहनों पर कर	660.37	632.59	681.52	778.37	863.94	(+)10.99
6	विद्युत पर कर एवं शुल्क	175.40	125.68	151.89	183.50	209.07	(+)13.93
7	भू-राजस्व	83.54	164.35	240.26	156.01	389.38	(+)149.59
8	पेशा, व्यापार, आजीविका और रोजगार पर कर	57.11	82.88	67.69	73.98	78.61	(+)6.26
9	अन्य	32.85	30.39	39.95	12.86	1.38	(-)89.27
कुल		**10,349.81**	**11,478.95**	**13,299.25**	**12,353.44**	**14,752.04**	**(+)19.42**

स्रोत: झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे।

वर्ष 2018-19 के लिये कर राजस्व का विघटन **चार्ट-1.2** में दिखाया गया है।

चार्ट-1.2

2018-19 के लिये कर राजस्व का विघटन

(₹ करोड़ में)

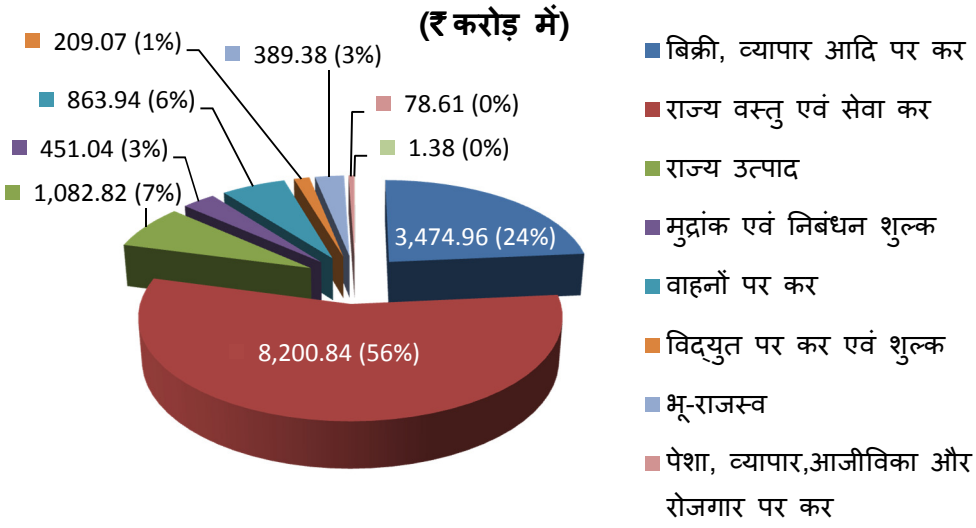

कर राजस्व के कुछ मुख्य शीर्षों में 2017-18 की तुलना में 2018-19 की प्राप्तियों में परिवर्तन के कारण निम्न थे:

बिक्री, व्यापार आदि पर कर और **राज्य वस्तु एवं सेवा कर:** विभाग द्वारा 18.67 प्रतिशत की वृद्धि का कारण जुलाई 2017 से मू.व.क. के स्थान पर व.से.क. को लागू किया जाना बताया गया।

राज्य उत्पाद: विभाग द्वारा 28.78 प्रतिशत की वृद्धि का कारण 2018-19 में झारखण्ड स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (जे.एस.बी.सी.एल.) द्वारा संचालित दुकानों की संख्या में, 2017-18 (जुलाई 2017 एवं मार्च 2018 के बीच) की तुलना में वृद्धि; और अवकारी परिवहन शुल्क (अ.प.शु.) की दर में संशोधन और लाइसेंस शुल्क ₹ 50,000 प्रति दुकान से रूपए सात लाख प्रति दुकान किया जाना बताया गया।

मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क: विभाग द्वारा 3.90 प्रतिशत की कमी का कारण जून 2017 से प्रभावी, महिलाओं के पक्ष में किये गये अचल संपत्तियों के विक्रय विलेखों पर मुद्रांक शुल्क और निबंधन फीस में छूट को बताया गया।

वाहनों पर कर: विभाग ने 10.99 प्रतिशत वृद्धि का कारण नए कर ढांचे को लागु किया (जनवरी 2019) जाना बताया गया जिसमें ट्रैक्टर, ट्रेलर, मशीनरी उक्त वाहन, तीन पहिया वाहन (यात्री और माल वाहन) को एकमुस्त कर (ए.मु.क.) के तहत लाया गया।

विद्युत पर कर एवं शुल्क: विभाग द्वारा 13.93 प्रतिशत की वृद्धि का कारण बेहतर कर प्रशासन बताया गया।

भू-राजस्व: विभाग द्वारा 149.59 प्रतिशत की वृद्धि का कारण विभिन्न कंपनियों, संस्थानों, प्राधिकरणों आदि को सरकारी भूमि के हस्तांतरण बताया गया।

1.2.3 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान सृजित कर-भिन्न राजस्व का विस्तृत विवरण **तालिका-1.3** में दर्शाया गया है।

तालिका-1.3: कर-भिन्न राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2017-18 की तुलना में 2018-19 में वृद्धि (+) या कमी (-) का प्रतिशतता
1	अ-लौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	3,472.99	4,384.43	4,094.25	5,941.36	5,934.64	(-)0.11
2	वानिकी एवं वन्य जीवन	3.66	4.13	4.48	4.44	14.79	(+)233.11
3	ब्याज प्राप्तियाँ	143.04	122.44	121.34	168.88	47.20	(-)72.05
4	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	4.16	3.73	36.79	135.78	8.46	(-)93.77
5	अन्य	711.21	1,338.28	1,094.55	1,596.21	2,252.89	(+)41.14
कुल		**4,335.06**	**5,853.01**	**5,351.41**	**7,846.67**	**8,257.98**	**(+)5.24**

स्रोत: झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे।

वर्ष 2018-19 के लिए कर-भिन्न राजस्व का विघटन **चार्ट-1.3** में दिखाया गया है।

चार्ट-1.3

2018-19 के लिये कर-भिन्न राजस्व का विघटन

(₹ करोड़ में)

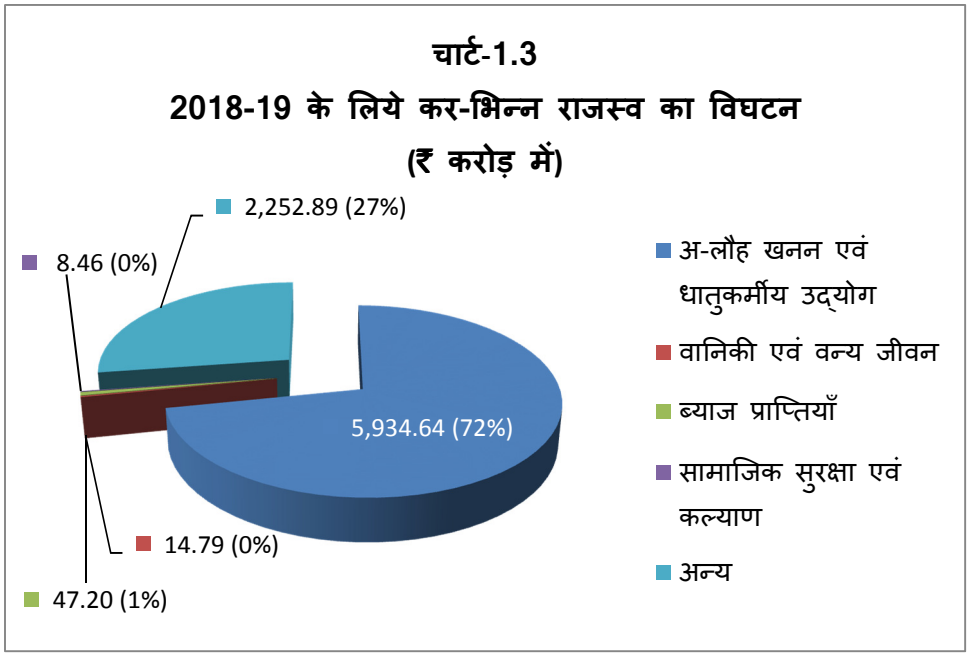

विभागों ने कई अनुरोधों के बावजूद 2017-18 की तुलना में 2018-19 में कर-भिन्न राजस्व प्राप्तियों में भिन्नता के कारणों को प्रस्तुत नहीं किया।

वानिकी एवं वन्य जीवन: विगत वर्ष की तुलना में 2018-19 में वानिकी और वन्य जीवन के तहत प्राप्तियों में 233.11 प्रतिशत वृद्धि हुई है। लेखापरीक्षा ने देखा कि इस वृद्धि का मुख्य कारण यह था कि सहायता अनुदान की अव्ययित शेष राशि की

वसूली को गलत तरीके से '0406-वानिकी और वन्य जीवन' लघु शीर्ष '913-सहायता अनुदानों की अव्ययित शेष राशि की वसूली' में राज्य के राजस्व प्राप्तियों के रूप में दिखाया गया।

ब्याज प्राप्तियाँ: विगत वर्ष की तुलना में 2018-19 में ब्याज प्राप्तियों में 72.05 प्रतिशत की कमी हुई है। 2017-18 के दौरान लेखापरीक्षा में देखा गया कि योजनाओं की अव्ययित राशि पर ब्याज की राशि जो वर्षों से बैंकों में पड़ी थी, उन्हें '0049-ब्याज प्राप्तियाँ' के अंतर्गत लघु शीर्ष '800-अन्य प्राप्तियाँ' में राशि जमा की गयी जिसके कारण वर्ष 2017-18 के दौरान ब्याज प्राप्तियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

सामाजिक सुरक्षा और कल्याण: 'सामाजिक सुरक्षा और कल्याण' शीर्ष के अन्तर्गत प्राप्तियों में विगत वर्ष की तुलना में 2018-19 में 93.77 प्रतिशत की कमी हुई। 2017-18 के दौरान, लेखापरीक्षा ने देखा कि इस वृद्धि का मुख्य कारण यह था कि सहायता अनुदान की अव्ययित शेष राशि की वसूली को गलत तरीके से लघु शीर्ष '913- सहायता अनुदानों की अव्ययित शेष राशि की वसूली' में राज्य के राजस्व प्राप्तियों के रूप में दिखाया गया।

अन्य: **'अन्य'** के अन्तर्गत लिए गए शीर्षों की प्राप्तियों में विगत वर्ष की तुलना में 2018-19 में 41.14 प्रतिशत की वृद्धि हुई। लेखापरीक्षा ने देखा कि इस वृद्धि का मुख्य कारण यह था कि **'अन्य'** के अन्तर्गत लिए गए निम्नलिखित राजस्व प्राप्तियों के मुख्य शीर्षों: 0202-शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति (₹ 335.18 करोड़), 0216-आवास (₹ 49 करोड़), 0217-शहरी विकास (₹ 186.78 करोड़), 0250-अन्य सामाजिक सेवायें (₹ 166.48 करोड़), 0404-डेयरी विकास (₹ 137.42 करोड़), 0700-वृहत सिंचाई (₹ 305.69 करोड़), 0851-ग्राम और लघु उद्योग (₹ 77.73 करोड़) और 0852- उद्योग (₹ 33.35 करोड़) में भी सहायता अनुदानों की अव्ययित शेष राशि की वसूली को गलत तरीके से लघु शीर्ष '913-सहायता अनुदानों की अव्ययित शेष राशि की वसूली' में राजस्व प्राप्तियों के रूप में दिखाया गया था। केन्द्रीय हिस्से और राज्य के हिस्से में वापस की गयी राशि का विभाजन वाउचर स्तर संकलन (वा.स्त.सं.) डेटाबेस/चालान में उपलब्ध नहीं था।

1.3 बकाये राजस्व का विश्लेषण

31 मार्च 2019 को राजस्व के दो प्रमुख शीर्षों से संबंधित राजस्व के बकाये की राशि ₹ 6,534.13 करोड़ थी, जिसमें ₹ 1,694.94 करोड़ पाँच वर्षों से अधिक बकाया था, जैसा कि **तालिका-1.4** में वर्णित है।

तालिका-1.4: राजस्व का बकाया

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2019 को बकाया राशि	31 मार्च 2019 को पाँच वर्षों से अधिक से बकाया राशि	अभ्युक्तियाँ
1	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	6,251.73	1,469.97	₹ 6,251.73 करोड़ में से ₹ 439.52 करोड़ के माँग की वसूली के लिये भू-राजस्व के बकाये की तरह नीलामपत्र वाद दायर किये गये। ₹ 1,208.54 करोड़ एवं ₹ 594.36 करोड़ की वसूली पर क्रमश: न्यायालयों, अन्य अपीलीय प्राधिकारियों एवं सरकार द्वारा रोक लगायी गयी। ₹ 142.12 करोड़ की माँग पर क्रमश: सुधार/पुनर्विचार आवेदन के कारण रोक लगायी गयी और ₹ 2.30 करोड़ की राशि का अपलेखन संभावित था। शेष ₹ 3,864.89 करोड़ के बकाये के संबंध में की गयी विशिष्ट कार्रवाई की सूचना नहीं दी गयी (मई 2021)।
2	वाहनों पर कर	282.40	224.97	₹ 282.40 करोड़ में से ₹ 98.57 करोड़ माँग की वसूली के लिये भू-राजस्व के बकाये की तरह नीलामपत्र वाद दायर किये गये। शेष ₹ 183.83 करोड़ के बकाये के संबंध में की गयी विशिष्ट कार्रवाई की सूचना नहीं दी गयी (मई 2021)।
कुल		**6,534.13**	**1,694.94**	

लेखापरीक्षा द्वारा (नवंबर 2019 और फरवरी 2021 के बीच) सक्रिय अनुसरण के उपरांत भी अन्य विभागों द्वारा 31 मार्च 2019 तक राजस्व लंबित संग्रह के बकाया की स्थिति उपलब्ध नहीं करायी गयी (मई 2021)।

1.4 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुसरण - संक्षेपित स्थिति

अध्यक्ष, बिहार विधान सभा, पटना द्वारा जारी (अगस्त 1993) निर्देशों के अनुसार, सरकारी विभागों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (नि.म.ले.प.) के प्रतिवेदन विधान सभा में प्रस्तुत होने के तीन महीने के अन्दर लोक लेखा समिति (लो.ले.स.) को व्याख्यात्मक टिप्पणी प्रस्तुत करना आवश्यक है। इसके अलावा, समिति द्वारा की गयी सिफारिशों पर कार्रवाई की टिप्पणी (ए.टी.एन.) छह महीने के अन्दर विभागों द्वारा प्रस्तुत किये जाने चाहिये। 31 मार्च 2013, 2014, 2015, 2016 एवं 2017 को समाप्त हुए वर्ष के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (नि.म.ले.प.) के राजस्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जो मार्च 2014 एवं जुलाई 2018 के मध्य राज्य विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, में शामिल 136 कण्डिकाओं (निष्पादन लेखापरीक्षा सहित) के संबंध में व्याख्यात्मक टिप्पणी (विभागों का उत्तर) प्रस्तुत करने में अत्यधिक विलंब देखे गए, तीन महीने के औसत विलंब से किया गया। विभिन्न

विभागों से संबंधित लंबित व्याख्यात्मक टिप्पणी का विवरण **तालिका-1.5** में दिया गया है।

तालिका-1.5: लंबित व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ

क्र. सं.	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की समाप्ति का वर्ष	विधानमंडल में प्रस्तुतीकरण की तिथि	कण्डिकाओं की संख्या	कण्डिकाओं की संख्या जिनकी व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ प्राप्त हुई	कण्डिकाओं की संख्या जिनकी व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ प्राप्त नहीं हुई
1	2013	04.03.2014	27	12	15
2	2014	26.03.2015	28	20	8
3	2015	15.03.2016	32	4	28
4	2016	02.02.2017	32	14	18
5	2017	20.07.2018	17	0	17
कुल			**136**	**50**	**86**

वर्ष 2018-19 तक, लो.ले.स. ने वर्ष 2012-13 से 2016-17 के लिये लेखापरीक्षा प्रतिवेदन से संबंधित 16 चयनित कण्डिकाओं पर चर्चा की है। 2018-19 के दौरान, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2014-15 और 2015-16 से संबंधित सात कण्डिकाओं पर पहली बार चर्चा की गई और लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2015-16 से संबंधित तीन कण्डिकाओं पर दूसरी बार चर्चा की गई। परन्तु, उन कण्डिकाओं पर कोई सिफारिश नहीं की गयी थी।

1.5 लेखापरीक्षा के प्रति विभागों/सरकार की प्रतिक्रिया

सरकारी विभागों और कार्यालयों की लेखापरीक्षा सम्पन्न होने के पश्चात, लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन (नि.प्र.) संबंधित कार्यालयों के प्रमुखों को तथा उसकी प्रतियाँ उनके उच्च पदाधिकारियों को सुधारात्मक कार्रवाई और अनुश्रवण के लिये निर्गत करती है। गंभीर वित्तीय अनियमितताओं को विभागों के प्रमुखों और सरकार को प्रतिवेदित की जाती है।

वर्ष 2008-09 से 2018-19 तक के लिये निर्गत नि.प्र. की समीक्षा में उदघटित हुआ कि 942 नि.प्र. के संबंध में 8,394 कण्डिकायें अगस्त 2020 के अंत तक लंबित थी। इन नि.प्र. में बताये गये वसूली योग्य संभावित राजस्व ₹ 13,465.46 करोड़ के बराबर है जबकि 2018-19 में राज्य का कुल राजस्व प्राप्ति ₹ 23,010.02 करोड़ है। राज्य सरकार के राजस्व क्षेत्र से संबंधित विभागवार विवरण **तालिका-1.6** में दिया गया है।

तालिका-1.6: निरीक्षण प्रतिवेदनों का विभागवार विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.स.	विभाग का नाम	प्राप्तियों की प्रकृति	लंबित नि. प्र. की संख्या	लंबित लेखापरीक्षा अवलोकनों की संख्या	सन्निहित राशि
1	वाणिज्य कर	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	226	4,597	6,450.44
		प्रवेश कर	5	5	9.54
		विद्युत पर कर एवं शुल्क	12	62	98.59
2	उत्पाद एवं मद्य निषेध	राज्य उत्पाद	157	802	958.14
3	राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग	भू-राजस्व	95	488	4,277.78
4	परिवहन	मोटर वाहनों पर कर	160	1,057	315.61
5	राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग	मुद्रांक एवं निबंधन फीस	126	578	36.63
6	खनन एवं भू-तत्व	अ-लौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	161	805	1,318.73
कुल			**942**	**8,394**	**13,465.46**

2008-09 से निर्गत किये गये 133 नि.प्र. के प्रथम उत्तर भी जिसे नि.प्र. निर्गत होने की तिथि से एक महीने के अन्दर कार्यालयों प्रमुखों से प्राप्त होना है, प्राप्त नहीं हुए।

1.6 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष के दौरान संचालित स्थानीय लेखापरीक्षा की स्थिति

लेखापरीक्षा में राज्य सरकार के तीन विभागों[14] को शामिल किया गया था और 2018-19 के दौरान बिक्री, व्यापार आदि पर कर, राज्य उत्पाद, भू-राजस्व, तथा मुद्रांक एवं निबंधन फीस से संबंधित लेखापरीक्षा योग्य 590 इकाइयों में से 55 इकाइयों (9.32 प्रतिशत) के अभिलेखों की नमूना जाँच की गयी। इन तीन विभागों ने, 2017-18 के दौरान ₹ 7,180.85 करोड़ का राजस्व संग्रहित किया गया था, जिनमें से 55 लेखापरीक्षित इकाइयों ने ₹ 2,122.66 करोड़ (29.56 प्रतिशत) संग्रहित किये। 55 लेखापरीक्षित इकाइयों में, लेखापरीक्षा ने 1,332 मामलों में ₹ 588.57 करोड़ (इकाइयों द्वारा संग्रहित राजस्व का 27.73 प्रतिशत) के अवनिर्धारण, कर/ब्याज/जुर्माना का अनारोहण/अल्पारोपण, राजस्व की हानि इत्यादि पाया। लेखापरीक्षा ने "परिवहन विभाग, झारखण्ड में मोटर वाहन कर एवं शुल्क का निर्धारण और संग्रहण" पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा तथा "झारखण्ड में विद्युत शुल्क का आरोपण एवं संग्रहण का तंत्र" पर एक अनुपालन लेखापरीक्षा भी किया, जिसमें ₹ 1,569.58 करोड़ का अवनिर्धारण/अल्पारोपण/राजस्व की हानि उद्घटित हुआ।

[14] वाणिज्य कर, उत्पाद एवं मद्य निषेध और राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार।

संबंधित विभागों ने लेखापरीक्षा के द्वारा इंगित 588 मामलों में ₹ 1,628.15 करोड़ (कुल लेखापरीक्षा अवलोकन का 75.44 प्रतिशत) के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया और 84 मामलों में ₹ 15.50 करोड़ वसूल किया।

1.7 इस भाग का विस्तार

इस भाग में चयनित पाँच कण्डिकायें जो इस वर्ष के स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान एवं पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान पाये गये लेखापरीक्षा अवलोकनों, जिन्हें पिछले प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किया जा सका था, शामिल हैं। इस भाग में "परिवहन विभाग, झारखण्ड में मोटर वाहन कर एवं शुल्क का निर्धारण और संग्रहण" पर निष्पादन लेखापरीक्षा तथा "झारखण्ड में विद्युत शुल्क का आरोपण एवं संग्रहण का तंत्र" पर अनुपालन लेखापरीक्षा, जिनका वित्तीय प्रभाव ₹ 1,627.99 करोड़ हैं, भी शामिल हैं।

विभाग/सरकार ने ₹ 1,612.24 करोड़ के लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया और ₹ 14.43 करोड़ वसूली की।

बतायी गई त्रुटियाँ/चूकें नमूना लेखापरीक्षा पर आधारित हैं। अत: विभाग/सरकार सभी इकाइयों की गहन समीक्षा यह जाँच करने के लिए करे कि क्या समान त्रुटियाँ/चूकें अन्य जगह भी घटित हुई हैं, अगर हाँ, तो उसे सुधारने तथा एक प्रणाली, जो इस तरह के त्रुटियों/चूकों को रोक सके, को स्थापित करने के लिए व्यापक पुनरीक्षण कर सकती है।

अध्याय-II: निष्पादन लेखापरीक्षा

परिवहन विभाग

2.1 परिवहन विभाग, झारखण्ड में मोटर वाहन कर और शुल्क का निर्धारण एवं संग्रहण

यह निष्पादन लेखापरीक्षा 2014-19 के दौरान परिवहन विभाग, झारखण्ड में मोटर वाहन कर और शुल्क के निर्धारण और संग्रहण की लेखापरीक्षा से उद्घटित बिंदुओं को प्रस्तुत करता है। लेखापरीक्षा परिवहन विभाग द्वारा वाहनों की करारोपण संरचना में अस्पष्ट प्रावधानों के साथ संशोधन और एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर के अनुकूलन में देरी के कारण उद्घाटित कमियों को बताया है। इसके साथ ही, गलत और अपूर्ण प्रावधानों के साथ क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप ₹ 6.76 करोड़ राजस्व का नुकसान हुआ। इसके अतिरिक्त, विभाग की कुछ गतिविधियों को अभी तक एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर में क्रियान्वित किया जाना बाकी है। इन कमियों के निम्नलिखित प्रभाव थे।

(i) प्रावधानों में स्पष्टता की अनुपस्थिति के कारण ट्रैक्टर और ट्रेलर के निबंधन की वैधता, पूर्व से निबंधित परिवहन वाहन, जिनको एकमुश्त कर के दायरे में लाया गया है, पर देय एकमुश्त कर का प्रतिशत, राज्य से हस्तांतरण के मामले में कर वापसी की दर, चेसिस/अनबिल्ट बॉडी वाहनों पर देय कर एवं परिवहन वाहन जिनको एकमुश्त कर के दायरे में लाया गया पर अस्थायी निबंधन के समय देय कर पता करने में कठिनाई; तथा

(ii) व्यापार नियमों को विलंब, त्रुटिपूर्ण और अपूर्ण रुप से सम्मिलित करने के कारण प्रणाली संशोधन पूर्व की दरों पर कर की गणना की और वाहन स्वामियों से कम राजस्व का उदग्रहण हुआ। इसके अतिरिक्त, त्रुटिपूर्ण रूप से शामिल करने के परिणामस्वरूप एकमुश्त कर का अधिक उदग्रहण हुआ। एप्लिकेशन में एक वर्ष से अधिक समय से परिचालित अन्य राज्यों के वाहनों की पहचान के लिए जाँच तंत्र नहीं होने के कारण अन्य राज्यों में निबंधित वाहनों को राज्य का स्थानीय निबंधन चिन्ह आवंटित नहीं किया जा सका। अन्य राज्यों में निबंधित वाहनों का वर्तमान पता दर्ज करने और व्यापार कर संग्रहण का कार्य मैन्युअल रूप से किये जाने के कारण अनापत्ति प्रमाण-पत्र के विलंब से प्रस्तुत करने पर देय अतिरिक्त शुल्क और कम व्यापार कर एवं व्यापार कर का विलंब से भुगतान के लिए अर्थदण्ड आरोपित करने में चूक हुई।

राज्य सरकार ने राज्य के राजस्व हितों की सुरक्षा के लिए संशोधनों और व्यावसायिक नियमों को शामिल करने में निहित खामियों की पहचान और उन्हें सुधारने का कोई प्रयास नहीं किया। बेहतर कर प्रशासन के लिए विभाग की सभी गतिविधियों को कम्प्यूटरीकृत वातावरण में लाना अभी बाकी है।

लेखापरीक्षा ने मोटर वाहन कर और शुल्क के आरोपण और संग्रहण में अनियमितताओं को भी उद्धृत किया। इस लेखापरीक्षा में कुल वित्तीय निहितार्थ राशि ₹ 175.41 करोड़ है, जिसमें राशि ₹ 7.04 करोड़ राजस्व की हानि सम्मिलित है जो परिवहन आयुक्त के

कार्यालय, पाँच क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण कार्यालयों और 12 जिला परिवहन कार्यालयों की नमूना जाँच पर आधारित है (कंडिका 2.1.11.3 एवं 21.12.2)।

2.1.1 प्रस्तावना

2014-19 की अवधि के दौरान परिवहन विभाग से प्राप्त राजस्व झारख़ण्ड राज्य के कुल कर राजस्व का औसतन 5.83 प्रतिशत रहा। लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए की गयी कि क्या राज्य परिवहन विभाग राज्य के राजस्व हितों की रक्षा करने में सक्षम है।

प्रतिवेदन में कर और शुल्क के प्रशासन, कम्प्यूटरीकरण, कर प्रशासन की कमियों और अन्य अनियमितताओं, जो विभाग के राजस्व सृजन को प्रभावित करते हैं, पर प्रकाश डाला गया है।

निम्नलिखित कंडिकाएँ सरकार द्वारा उदग्रहीत मोटर वाहन प्राप्तियों के रुझान तथा लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, मानदंडों, क्षेत्र और कार्यप्रणाली का अवलोकन प्रस्तुत करते हैं।

2.1.2 वाहनों से कर संग्रहण

झारखण्ड वित्तीय नियम (जे.एफ.आर.), खण्ड-I यह प्रावधान करता है कि बजट अनुमान तैयार करने की जिम्मेदारी वित्त विभाग के पास निहित है। परिवहन विभाग विस्तृत अनुमानों के आंकड़ों के संकलन कर वित्त विभाग को प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार है।

मुख्य शीर्ष "0041-वाहनों पर कर" के अंतर्गत कर, शुल्क, अर्थदण्ड और दण्ड शामिल है। 2014-19 के दौरान वाहनों पर कर संबंधी बजट अनुमान और वास्तविक प्राप्तियाँ **तालिका-2.1** में दर्शायी गई है।

तालिका-2.1: वाहनों पर कर से प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वास्तविक प्राप्तियाँ	राज्य के कुल कर राजस्व	राज्य के कुल राजस्व का वाहनों से प्राप्त कर का प्रतिशत (% स्तम्भ 2 का 3 से)
1	2	3	4
2014-15	660.37	10,349.81	6.38
2015-16	632.59	11,478.95	5.51
2016-17	681.52	13,299.25	5.12
2017-18	778.37	12,353.44	6.30
2018-19	863.94	14,752.03	5.86

(स्रोत: झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे)

2.1.3 संग्रहण की लागत

2014-19 के दौरान "वाहनों पर कर" के संग्रहण पर किए गए व्यय का प्रतिशत, अखिल भारतीय औसत के साथ तुलनात्मक अवलोकन **तालिका-2.2** में दर्शाया गया है।

तालिका-2.2: संग्रहण की लागत

वर्ष	कुल संग्रह (₹ करोड़ में)	संग्रह पर व्यय (₹ करोड़ में)	संग्रह की लागत (स्तम्भ 3/ स्तम्भ 2)	अखिल भारतीय औसत
1	2	3	4	5
2014-15	660.37	6.20	0.94	6.25
2015-16	632.59	6.12	0.97	6.08
2016-17	681.52	6.18	0.91	4.99
2017-18	778.37	6.61	0.82	2.61
2018-19	863.94	6.76	0.78	अनुपलब्ध

2.1.4 लेखापरीक्षा उद्देश्य

लेखापरीक्षा निम्न की पर्याप्तता सुनिश्चित करने के लिए किया गया था:

- मोटर वाहनों पर करों और शुल्क के निर्धारण के लिए प्रणाली; तथा
- मोटर वाहनों के करों और शुल्क के संग्रहण की प्रणाली।

2.1.5 लेखापरीक्षा आधार

लेखापरीक्षा निम्नलिखित अधिनियमों और नियमावलियों के प्रावधानों के तहत किया गया था:

- मोटर वाहन अधिनियम, 1988;
- केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989;
- झारखण्ड मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 2001;
- झारखण्ड मोटर वाहन कराधान नियमावली, 2001;
- झारखण्ड मोटर वाहन नियमावली, 2001;
- झारखण्ड वित्तीय नियमावली;
- सड़क मार्ग द्वारा वहन अधिनियम, 2007;
- सड़क मार्ग द्वारा वहन नियमावली, 2011; तथा
- समय-समय पर जारी विभागीय निर्देश।

2.1.6 लेखापरीक्षा का क्षेत्र और विस्तार

वर्ष 2014-19 की अवधि से संबंधित "परिवहन विभाग, झारखण्ड में मोटर वाहन कर और शुल्क के निर्धारण और संग्रहण" पर जुलाई 2019 और मार्च 2020 के बीच निष्पादन लेखापरीक्षा संचालित किया गया। इस लेखापरीक्षा के लिए 24 जिला परिवहन कार्यालयों में से 12 जिला परिवहन कार्यालयों, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों के सभी पाँच कार्यालयों[15] और परिवहन आयुक्त के कार्यालय का चयन किया गया था। 12 चयनित जिला परिवहन कार्यालयों में से पाँच कार्यालयों[16] को उच्च राजस्व संग्रहण के आधार पर

[15] कोल्हान, दुमका, हजारीबाग, पलामू और राँची।

[16] बोकारो, धनबाद, हजारीबाग, जमशेदपुर और राँची।

और सात कार्यालयों[17] को स्तरीकृत यादृच्छिक अप्रतिस्थापन प्रतिचयन विधि (एस.आर.एस.डब्ल्यू.ओ.आर.) के माध्यम से चयनित गया था।

2.1.7 लेखापरीक्षा प्रणाली

लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, क्षेत्र और कार्य प्रणाली पर चर्चा करने के लिए 3 जुलाई 2019 को सचिव, परिवहन विभाग, झारखण्ड सरकार के साथ एक प्रवेश सम्मेलन आयोजित किया गया था।

लेखापरीक्षा को विभाग में संचालित किए जा रहे एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर (वाहन *{VAHAN},* सारथी *{SARATHI},* एस-परमिट *{sPERMIT}* और राष्ट्रीय परमिट प्रणाली) के रियल टाइम डाटा तक पहुंच नहीं थी, इसलिए लेखापरीक्षा मई 2019 में एन.आई.सी., झारखण्ड राज्य इकाई, राँची से वर्ष 2014-19 की अवधि का डाटा डंप प्राप्त किया। आंकड़ों के विश्लेषण में कई अनियमितताएँ सामने आई जिन्हें **तालिका-2.3** में वर्गीकृत किया गया है।

तालिका-2.3: आंकड़ों के विश्लेषण में पाई गायी अनियमितताएँ

क्र. सं.	विवरण	डाटा डंप में मिले कुल रिकॉर्ड
1	एकमुश्त कर के दायरे वाले परिवहन वाहन के प्रमादी मालिक	2,68,816
2	प्रमादी परिवहन वाहन	74,341
3	धुरी भार का संशोधन नहीं होना	86,606
4	स्थानीय निबंधन चिन्ह आवंटन नहीं होना	27,560
5	परिवहन वाहनों की दुरुस्ती प्रमाण पत्र का नवीकरण नहीं होना	3,31,327
6	वैयक्तिक वाहनों पर कम एकमुश्त कर का आरोपण	25,478
7	वैयक्तिक वाहनों पर अधिक एकमुश्त कर का आरोपण	208

कर की स्थिति, दुरूस्ती प्रमाण-पत्रों की वैधता, परमिटों के प्राधिकरण आदि में परिवर्तन के लिए चयनित कार्यालयों में विश्लेषण के परिणामों को रियल टाइम डाटा/मैनुअल अभिलेखों के साथ सत्यापित किया गया। तदंतर, लेखापरीक्षा ने उन संचालित कार्यों के अभिलिखों जिन्हे मैन्युअल रूप से संधारित किया जा रहा था और किसी भी एप्लिकेशन सॉफ़्टवेयर में प्रविष्टि नहीं थी की नमुना जाँच किया, यथा, वर्तमान पता दर्ज कराने के लिए प्रस्तुत वाहनों के अनापत्ति प्रमाण-पत्र, व्यापार कर और राष्ट्रीय परमिट के प्राधिकरण के प्रमादी वाहन। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ने चयनित कार्यालयों में संधारित मैनुअल अभिलेखों के साथ एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर में दर्ज की गई जानकारी जैसे, वाहनों का विक्रय मूल्य, निबंधन की वैधता की तारीख, ड्राइविंग लाइसेंस, दुरुस्ती प्रमाण-पत्र आदि की तिर्यक जाँच की।

[17] देवघर, दुमका, गिरिडीह, खूंटी, लोहरदगा, पलामू और रामगढ़।

लेखापरीक्षा के परिणाम पर चर्चा करने के लिए विभाग के सचिव के साथ 11 दिसंबर 2020 को एक बहिर्गमन सम्मेलन आयोजित किया गया। सरकार/विभाग की प्रतिक्रिया को प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से सम्मिलित किया गया है।

2.1.8 आभारोक्ति

आवश्यक जानकारी, डाटा और अभिलेख प्रदान करने में परिवहन विभाग और एन.आई.सी., झारखण्ड राज्य इकाई, राँची के सहयोग के लिए लेखापरीक्षा आभार प्रकट करता है।

2.1.9 कर और शुल्क प्रशासन

2.1.9.1 संगठनात्मक ढाँचा

विभाग के सचिव प्रशासनिक प्रमुख होते हैं तथा नीति और प्रशासन के सभी मामलों पर सरकार का प्रमुख सलाहकार होते हैं। परिवहन आयुक्त (प.आ.), झारखण्ड कार्यकारी प्रमुख होते हैं, जो राज्य में अधिनियमों और नियमावालियों के अनुपालन के लिए तथा पारस्परिक समझौतों के तहत परिचालित वाहनों के लिए अंतर्राज्यीय परमिट जारी करने तथा इन पर कर का आरोपण और संग्रहण तथा अस्थायी परमिटों के तहत प्रचालित वाहनों से कर संग्रहण के लिए जिम्मेदार होते हैं। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (क्षे.प.प्रा.) परमिट जारी करने वाले प्राधिकारी होते हैं, जो परिवहन वाहनों के परमिट जारी और नवीनीकृत करते हैं और दूसरे क्षे.प.प्रा. द्वारा जारी परमिटों को प्रतिहस्ताक्षरित करते हैं। जिला परिवहन पदाधिकारी (जि.प.प.) लाइसेंस, निबंधन और कर आरोपित करने वाले प्राधिकरण हैं और मोटर वाहन कर, व्यापार कर और शुल्क के आरोपण और संग्रहण के लिए जिम्मेदार हैं। उन्हें सड़क परिवहन से संबंधित सभी तकनीकी मामलों में मोटर वाहन निरीक्षकों (मो.वा.नि.) द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

चार्ट-2.1

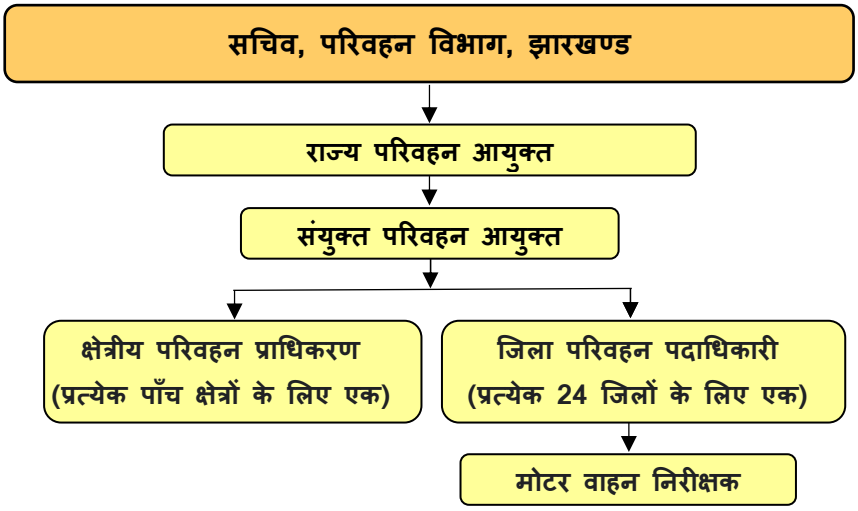

2.1.9.2 कर और शुल्क प्रशासन

15 नवंबर 2000 को झारखण्ड राज्य के गठन होने पर, बिहार राज्य के विद्यमान अधिनियमों, नियमावलियों और कार्यकारी निर्देशों को झारखण्ड राज्य द्वारा अंगीकृत किया गया था। मोटर वाहन कर झारखण्ड मोटर वाहन कराधान (झा.मो.वा.क.) अधिनिम, 2001 और झारखण्ड मोटर वाहन करारोपण (झा.मो.वा.क.) नियमावली, 2001 द्वारा शासित होता है। मोटर वाहन शुल्क केन्द्रीय मोटर वाहन (के.मो.वा.) नियमावली, 1989 और झारखण्ड मोटर वाहन (झा.मो.वा.) नियमावली, 2001 द्वारा शासित है। वाहनों पर कर का निर्धारण झा.मो.वा.क. अधिनियम की धारा 5, 6 और 7 के तहत संलग्न अनुसूचियों के अनुसार किया जाता है। करों और शुल्क की गणना के उद्देश्य से वाहनों के उपयोग, निबंधित लदान भार (आर.एल.डब्लू.), बैठने की क्षमता और वाहनों की लागत के आधार पर वाहनों को विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है।

- **वैयक्तिक वाहनों पर कर:** वैयक्तिक वाहनों पर एक निश्चित एकमुश्त कर की राशि देय था, जिसमें दो पहिया और पाँच सीटों तक की बैठने की क्षमता वाले हल्के मोटर वाहन शामिल थे। मई 2011 में वैयक्तिक वाहनों की सीमा 10 सीटों तक बढ़ाई गई और उनकी बैठने की क्षमता के आधार पर वाहन की लागत का तीन, चार और पाँच प्रतिशत एकमुश्त कर आरोप्य था। पुन:, जनवरी 2019 में, वैयक्तिक वाहनों की सीमा 12 सीटों तक बढ़ा दी गई और एकमुश्त कर की दर को संशोधित कर वाहन की लागत का छह प्रतिशत कर दिया गया। वाहन मालिक के पास पहले से वैयक्तिक वाहन होने पर अगामी वैयक्तिक वाहनों या ₹ 15 लाख से अधिक लागत वाले वैयक्तिक वाहनों पर एकमुश्त कर का तीन प्रतिशत की अतिरिक्त कर और दोनों स्थितियों में छह प्रतिशत अतिरिक्त कर का प्रावधान किया गया। 15 वर्ष से पुराने वाहनों पर कुल देय कर का 10 प्रतिशत हरित कर का प्रावधान किया गया।

- **परिवहन (वाणिज्यिक) वाहनों पर कर:** मोटर वाहन (मो.वा.) कर और अतिरिक्त मोटर वाहन (अ.मो.वा.) कर की गणना निबंधित लदान भार (आर.एल.डब्लू.), या परिवहन वाहनों के बैठने की क्षमता के आधार किया जाता था। पाँच साल से अधिक पुराने वाहनों के अ.मो.वा. कर पर 10 से 30 प्रतिशत की छूट का प्रावधान था। जनवरी 2019 में, परिवहन वाहनों पर मो.वा. करों की दरों को संशोधित करते हुए अतिरिक्त मोटर वाहन कर के प्रावधान को हटा दिया गया। 12 वर्ष से अधिक आयु के वाहनों पर कुल देय कर का 10 प्रतिशत हरित कर का प्रावधान किया गया। तीन टन तक आर.एल.डब्लू. वाले माल वाहन, मोटर कैब/ओमनी, निर्माण उपकरण वाहन, तिपहिया यात्री वाहन, ट्रैक्टर और उसके ट्रेलर को एकमुश्त कर के दायरे में लाया गया जिसकी वैधता 10 से 15 वर्ष है। तीन टन से अधिक आर.एल.डब्लू. वाले माल वाहक वाहनों और 13 से अधिक सीटों वाले यात्री वाहनों पर वार्षिक कर को संशोधित किया गया। वाहन स्वामियों को अग्रिम कर का भुगतान तिमाही आधार पर करना है।

- **अस्थायी कर:** अन्य राज्यों में निबंधित परिवहन वाहनों को अस्थायी रूप से झारखण्ड में परिचालित करने पर एक निश्चित अवधि के लिए निर्धारित दर से अस्थायी

कर का भुगतान करना होता है और एक अस्थायी कर टोकन जारी किया जाता है। मार्च 2019 में, झारखण्ड सरकार ने अस्थायी कर की दर में संशोधन किया।

- **व्यवसायियों/निर्माताओं पर व्यापार कर:** वाहन निर्माता या मोटर वाहन के व्यवसायी द्वारा अपने व्यवसाय के दौरान कब्जे में रखे वाहनों पर वार्षिक आधार पर प्रत्येक सात वाहनों के ब्लॉक के लिए निर्दिष्ट दर पर व्यापार कर भुगतान किया जाता था। जनवरी 2019 में व्यापार कर को संशोधित किया गया और प्रत्येक वाहन के आधार पर इसकी गणना किए जाने का प्रावधान लाया गया।

- **कर भुगतान में विलंब के लिए अर्थदण्ड और ब्याज:** परिवहन वाहनों पर कर के भुगतान में विलंब के लिए आवधिकता के आधार पर कर का 25 से 200 प्रतिशत तक का अर्थदण्ड आरोप्य है और एकमुश्त कर (ओ.टी.टी.) के मामले में प्रति माह दो प्रतिशत की दर से ब्याज आरोप्य है। वैयक्तिक वाहनों को छोड़ कर अन्य वाहनों के लिए कर के भुगतान की तारीख उस अवधि की समाप्ति की तारीख होती है, जिस अवधि के लिए कर का भुगतान किया गया था। देय तिथि से 15 दिनों की अवधि कर भुगतान के लिए अनुग्रह अवधि होती है। वैयक्तिक वाहनों के मामले में वाहन के अधिग्रहण की तारीख से 30 दिनों के अंदर ओ.टी.टी. का भुगतान किया जाना आवश्यक होता था, जिसे जनवरी 2019 में संशोधित कर सात दिन किया गया है।

- **शुल्क:** ड्राइविंग लाइसेंस, निबंधन, निरीक्षण, वाहनों का दुरुस्ती प्रमाण-पत्र, परमिट आदि के लिए शुल्क के.मो.वा. नियमावली और झा.मो.वा. नियमावली के तहत निर्धारित दर पर आरोपित होता है।

- **समेकित शुल्क और प्राधिकरण शुल्क:** मई 2010 में, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार (MoRTH) ने देश भर में माल वाहक वाहनों के लिए एक नई राष्ट्रीय परमिट प्रणाली शुरू की। माल वाहक वाहन को राष्ट्रीय परमिट ₹ 1,000 वार्षिक प्राधिकरण शुल्क के साथ ₹ 15,000 समेकित शुल्क के अग्रिम भुगतान पर स्वीकृत किया जाता था। समेकित शुल्क राष्ट्रीय परमिट खाते (8499-अन्य जमा) में जमा किया जाता है और एक निर्धारित फार्मूले से प्राप्त, यथा अनुपात के आधार पर संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों का हिस्सा वितरित किया जाता है। राज्यांश का वितरण प्रत्येक माह भारतीय रिज़र्व बैंक के द्वारा MoRTH के वेतन व लेखा कार्यालय की सलाह पर किया जाता है, और यह राज्य के मुख्य शीर्ष "0041-वाहनों पर कर" के अंतर्गत राजस्व का हिस्सा बन जाता है। अप्रैल 2012 में समेकित शुल्क की दर को संशोधित करके ₹ 16,500 कर दिया गया और इस प्रणाली के तहत जारी प्रत्येक परमिट के लिए राज्य का हिस्सा ₹ 664 है।

2.1.9.3 वाहनों का निबंधन, करारोपण और निरीक्षण

राज्य में वैयक्तिक और परिवहन (वाणिज्यिक) वाहनों के निबंधन, करारोपण और निरीक्षण के लिए प्रक्रिया **चार्ट-2.2** में दिखाई गई है:

चार्ट-2.2

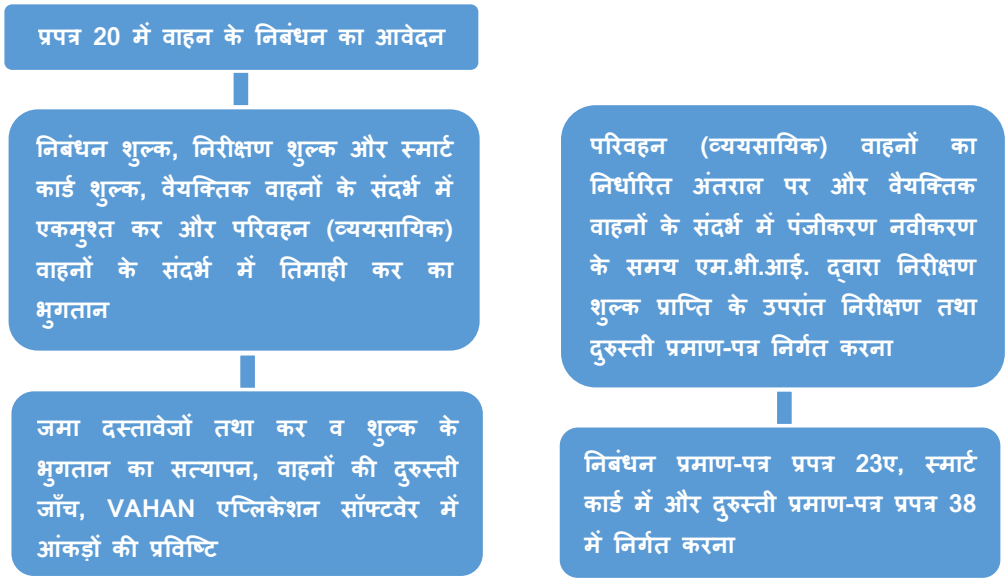

2.1.10 झा.मो.वा.क. अधिनियम में संशोधन

झारखण्ड सरकार ने राजपत्र अधिसूचना सं. 95 दिनांक 31 जनवरी 2019 द्वारा मोटर वाहनों के करारोपण संरचना में परिवर्तन लाया और इसे झारखण्ड मोटर वाहन कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2018 कहा गया। लेखापरीक्षा ने कुछ प्रावधानों को अस्पष्ट पाया, जिसकी चर्चा नीचे की गई है।

- झा.मो.वा.क. अधिनियम में एक नयी उप धारा 7(7) अंतर्निर्दिष्ट किया गया, जिसमें ट्रेलर के निबंधन के समय ₹ 5,000 का आजीवन कर और ट्रैक्टर के लिए, जी.एस.टी. रहित लागत का चार प्रतिशत एकमुश्त कर का प्रावधान किया गया। अग्रेतर, झा.मो.वा.क. अधिनियम की धारा 7(2) राज्य से वाहन के हस्तांतरण के मामले में एकमुश्त कर की वापसी का प्रावधान करती है।

यद्यपि, लेखापरीक्षा ने देखा कि ट्रैक्टर और ट्रेलर पर देय कर की वैधता और संशोधन के पूर्व निबंधित ट्रैक्टर और ट्रेलर पर आरोपणीय अवशेष एकमुश्त कर की राशि के बारे में यह उपधारा मौन है। राज्य से वाहनों के हस्तांतरण के मामले में आजीवन कर और एकमुश्त कर की वापसी दर का चार्ट भी संलग्न नहीं किया गया था। निबंधन के समय वैयक्तिक वाहनों पर एकमुश्त कर आरोपित होता है, जिसकी वैधता 15 वर्ष है और पूर्व निबंधित वैयक्तिक वाहनों पर, वाहन की उम्र के आधार पर निबंधन की अवशेष अवधि के लिए आरोप्य एकमुश्त कर के लिए, लागत मूल्य का प्रतिशत निर्धारित करते हुए अनुसूची-1 के भाग 'ए' में एक चार्ट संलग्न किया गया है। लेकिन इस मामले में न तो निबंधन या कर की वैधता और न ही आरोपणीय एकमुश्त कर और कर वापसी का प्रतिशत चार्ट संलग्न किया गया है।

- इसी प्रकार, परिवहन वाहनों के मामले में, तीन पहिया (यात्री) और मशीनरी वाहन एकमुश्त कर के दायरे में लाए गए हैं, नए निबंधित तीन पहिया (यात्री) के लिए 15 वर्षों के लिए ₹ 9,000 और एक वर्ष तक पुराने वाहनों पर 10 वर्ष के लिए ₹ 6,000 एकमुश्त कर आरोप्य है और नए निबंधित मशीनरी वाहनों की लागत पर सात प्रतिशत एकमुश्त कर 12 वर्ष के लिए प्रावधानित है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि अधिनियम एक वर्ष से अधिक पुराने तिपहिया यात्री वाहनों पर देय एकमुश्त कर आरोपण के मामले में मौन था। इसके अतिरिक्त, पूर्व निबंधित वाहनों पर देय एकमुश्त कर और कर वापसी की प्रतिशतता, जैसा कि वैयक्तिक वाहनों के मामलों मे दी गई है, का प्रावधान नहीं किया गया था।

- निरस्त प्रावधान की अनुसूची-1 भाग 'सी' के तहत, चेसिस/अनबिल्ट बॉडी के वाहनों को बॉडी बनवाने हेतु सड़कमार्ग पर परिचालित करने के लिए उनके अलदान क्षमता पर करारोपण का प्रावधान किया गया था।

यह देखा गया कि इस प्रावधान को संशोधित अधिनियम में हटा दिया गया है। इस प्रावधान के अभाव में चेसिस/अनबिल्ट बॉडी के वाहन पर आरोप्य कर की दर स्पष्ट नहीं है।

- झा.मो.वा. अधिनियम की धारा 7(4) परिवहन वाहनों के अस्थायी निबंधन के समय वार्षिक कर के 1/12वें की दर से कर आरोपित करने के लिए निर्दिष्ट करती है और एकमुश्त कर भुगतान करने वाले वैयक्तिक वाहनों के लिए एक निश्चित राशि, ₹ 100 और ₹ 400 अस्थायी कर के रूप में देय है। आजीवन कर/एकमुश्त कर के दायरे में लाए गए परिवहन वाहनों के अस्थायी निबंधन के समय देय कर की दर का प्रावधान नहीं किया गया है। इसके अभाव में अस्थायी निबंधन के समय देय कर स्पष्ट नहीं था। हालांकि, विभाग ने अस्थायी निबंधन के मामले में एक महीने के कर के रूप में एकमुश्त कर की आनुपातिक राशि वसूल की।

मामला को सामने लाने पर (जुलाई 2019), सरकार/विभाग ने कहा कि संशोधित अधिनियम में सुधार प्रक्रियाधीन था। अग्रेत्तर उत्तर की प्रतीक्षा है।

2.1.11 एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर

2.1.11.1 प्रस्तावना

बेहतर नियंत्रण, त्वरित निगरानी और बेहतर नागरिक सेवाएँ सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन.आई.सी.) दो एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर्स *VAHAN* और *SARATHI* को पूरे भारत में लागू करने के लिए डिजाइन किया था, जिसे अगस्त 2004 में झारखण्ड सरकार द्वारा क्रियान्वित किया गया। एन.आई.सी., झारखण्ड राज्य इकाई द्वारा विकसित *sPERMIT* एप्लिकेशन को राज्य द्वारा अक्टूबर 2017 में क्रियान्वित किया गया। एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर के कामकाज का व्यापक क्षेत्र **चार्ट-2.3** में दर्शाया गया है।

चार्ट-2.3

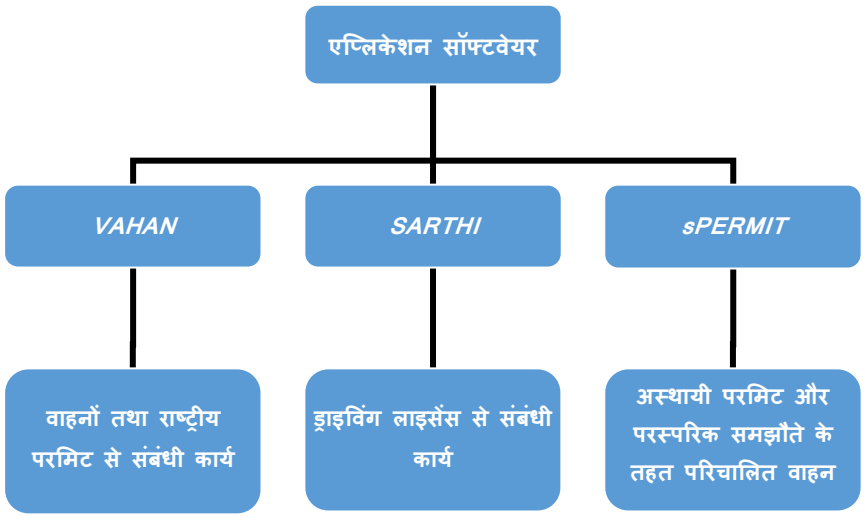

VAHAN में वाहनों का निबंधन, निबंधन प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण, स्वामित्व का हस्तांतरण, पता परिवर्तन, बंधक अनुबंध का पृष्ठांकन और निरस्त करना, करों का आरोपण और उद्ग्रहण आदि के लिए अलग-अलग मॉड्यूल हैं, जबकि *SARATHI* में ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने और नवीनीकरण से संबंधित मॉड्यूल हैं। एप्लिकेशन प्रोग्राम विंडोज वातावरण के लिए नम्य था जिसे बाद में वेब-आधारित अनुप्रयोगों में अपग्रेड किया गया। राज्य में मौजूदा प्रणाली को केंद्रीकृत मंच के लिए कोर एप्लिकेशन मॉड्यूल को समेकित करते हुए फरवरी 2017 से *VAHAN* 4.0 और *SARATHI* 4.0 उन्नत संस्करणों की शुरूआत की गयी। यह संस्करण उपयोगकर्ता के अनुकूल और सुरक्षित, पारदर्शी, लागत-प्रभावशील जैसी उन्नत विशेषताएं वाली हैं जो नागरिकों को उनके द्वार तक सेवाओं को प्रदान किया।

राष्ट्रीय परमिट प्रणाली (एन.पी.एस.) के तहत, MoRTH द्वारा विकसित इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के माध्यम से माल वाहकों के लिए राष्ट्रीय परमिट जारी या नवीनीकृत किए जाते हैं। नेशनल मिशन मोड प्रोजेक्ट्स- ट्रांसपोर्ट कंप्यूटरीकरण प्रोजेक्ट के लिए *PERMIT* मॉड्यूल संशोधित अनुप्रयोगों का एक हिस्सा है। राष्ट्रीय परमिट की सेवाएं, *VAHAN* एप्लिकेशन में राष्ट्रीय परमिट के मॉड्यूल के अंतर्गत वेब पोर्टल www.parivahan.gov.in के माध्यम से वेब पर उपलब्ध कराई गई है।

राष्ट्रीय परमिट के अतिरिक्त अन्य परमिट जारी करने के लिए, विभाग ने www.spermit.jharkhand.gov.in पोर्टल के माध्यम से वेब आधारित "ऑनलाइन राज्य परमिट सिस्टम" शुरू किया। यात्री वाहन परमिट, पारस्परिक समझौतों के तहत अंतर-राज्य परमिट, माल वाहन परमिट और अनुबंध वाहन परमिट वाहनों को इस पोर्टल के माध्यम से आवेदित और जारी किया जाता है।

परिवहन विभाग के प्रमुख कार्यों को *VAHAN* और *SARATHI* के अंतर्गत क्रियान्वित किया गया है। राज्य में *VAHAN* और *SARATHI* के कामकाज की निगरानी के लिए

एन.आई.सी. के तकनीकी समर्थन के साथ एक परियोजना निगरानी इकाई (पी.एम.यू.) बनाई गई। पी.एम.यू. का उद्देश्य कम्प्यूटरीकृत प्रणाली के कामकाज को तत्परता से क्रियान्वित करना और पूरे राज्य में आवेदन प्रणाली की एकरूपता को बनाए रखना था। विभाग द्वारा पी.एम.यू. के माध्यम से अधिनियमों/नियमावलियों में संशोधन के तदनुसार एप्लिकेशन सॉफ़्टवेयर में आवश्यक बदलाव कराये जाते हैं।

अनुवर्ती कंडिकाएँ एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर में विभाग के व्यापार नियमों को शामिल करने में विलंब और कुछ गतिविधियों के लिए मॉड्यूल का संचालन नहीं होना, के कारण कर और अर्थदण्ड का मूल्यांकन कम या न होना को उजागर किया है। **चार्ट-2.4** व्यापार नियमों के मानचित्रण में विलंब के कारण और प्रभाव को दर्शाता है।

चार्ट-2.4

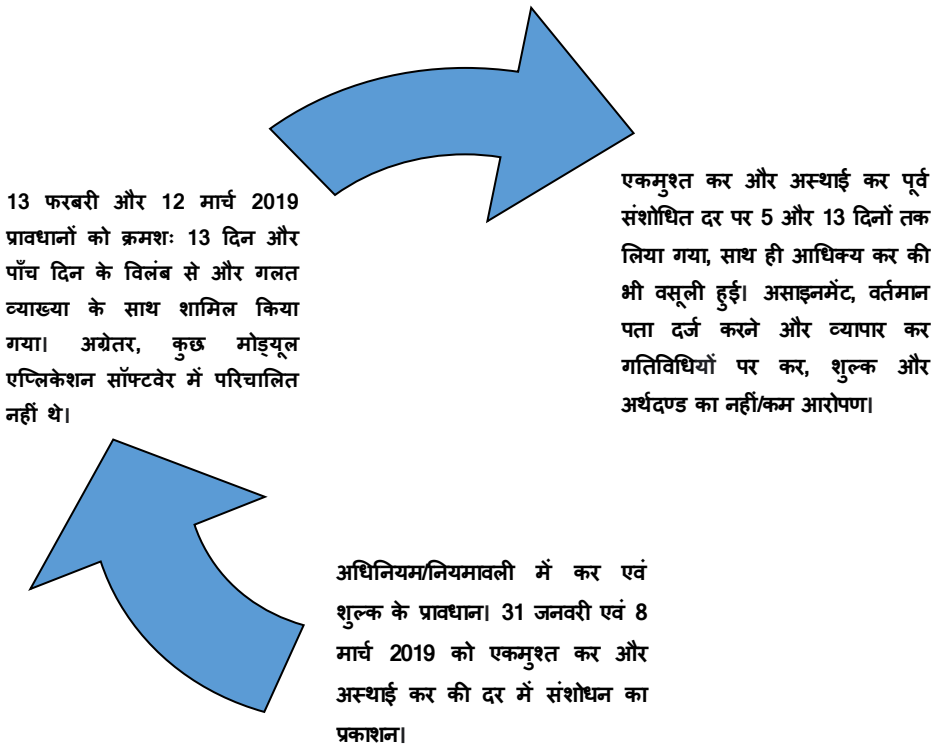

व्यवसायिक नियमों का विलंब से अनुकूलन

लेखापरीक्षा *VAHAN* के डाटा का विश्लेषण किया। यह पाया कि अधिनियम/नियमावली के संशोधित प्रावधानों को गलत तरीके से और पाँच से 13 दिनों की देरी से एप्लिकेशन में शामिल किया गया था। इसके परिणामस्वरुप ₹ 5.63 करोड़ राजस्व की हानि हुई और ₹ 59.32 लाख अधिक राजस्व उद्ग्रहीत किया गया जिस पर निम्न कंडिकाओं में चर्चा की गयी है:

2.1.11.2 एकमुश्त कर का आरोपण

VAHAN में व्यवसाय नियमों को विलंब/गलत रूप से शामिल करने के कारण 2,633 वैयक्तिक वाहनों पर ₹ 5.54 करोड़ एकमुश्त कर कम आरोपित हुआ और 189 वैयक्तिक वाहनों से ₹ 59.32 लाख अधिक एकमुश्त कर की वसूली हुई।

झा.मो.वा. अधिनियम की धारा 2 (जी) के प्रावधानों के अनुसार वाहन जिनकी बैठने की क्षमता चालक सहित दो, लेकिन 12 से अधिक नहीं है और जिनका उपयोग केवल व्यक्तिगत प्रयोजन के लिए किया जाता है, को वैयक्तिक वाहनों के दायरे में लाया गया। 31 जनवरी 2019 से एकमुश्त कर (ओ.टी.टी.) की दर को संशोधित करते हुए इसे वाहन की लागत का छह प्रतिशत निर्धारित किया गया। यदि वाहन स्वामी के पास पहले से वैयक्तिक वाहन है, तो ओ.टी.टी. का तीन प्रतिशत अतिरिक्त कर प्रावधानित किया गया। यदि अतिरिक्त वाहन की लागत ₹ 15 लाख से अधिक है तो छह प्रतिशत अतिरिक्त कर आरोपित होगा।

डंप डाटा के विश्लेषण में यह पाया गया कि राज्य में 31 जनवरी और 31 मार्च 2019 के बीच 8,372 वैयक्तिक वाहन निबंधित हुए। इनमें से 7,632 वाहन (91 प्रतिशत) चयनित जिलों के परिवहन कार्यालयों में निबंधित थे। अग्रेत्तर जाँच से पता चला है कि 3,082 हल्के मोटर वाहनों में ओ.टी.टी. कम आरोपित हुआ था, जिसमें से 2,801 मामले चयनित जिला परिवहन कार्यालयों के थे। लेखापरीक्षा ने इन मामलों को संबंधित चयनित जिला परिवहन कार्यालयों में वास्तविक समय के आंकड़ों के साथ सत्यापित किया (जुलाई 2019 और मार्च 2020 के बीच) और पाया कि 2,633 मामलों में छह प्रतिशत की दर से ₹ 12.34 करोड़ के बदले संशोधन पूर्व की दर, तीन से पाँच प्रतिशत की दर से ₹ 6.80 करोड़ ओ.टी.टी. आरोपित किया गया था। एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर में संशोधित दर प्रवर्तन की तारीख (31 जनवरी 2019) से 13 दिनों की देरी के बाद, 13 फरवरी 2019 को शामिल किया गया था। इस प्रकार, संशोधित दरों को सम्मिलित करने में देरी के कारण ₹ 5.54 करोड़ का कम एकमुश्त कर आरोपित हुआ। यह पाया गया कि एन.आई.सी ने विभाग को सूचित किया था (28 जनवरी 2019) कि प्रस्तावित संशोधनों को एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर में शामिल करने के लिए कुछ और समय की आवश्यकता होगी। तथापि, विभाग ने संशोधित दरों पर ओ.टी.टी. के संग्रह के लिए कोई वैकल्पिक पद्धति निर्धारित किए बिना 31 जनवरी 2019 से संशोधन लागू कर दिया। इसके अतिरिक्त, जि.प.प. ने संशोधित दर पर ओ.टी.टी. आरोपित नहीं किया और संशोधित प्रावधानों के प्रकाशन के बाद भी संशोधित पूर्व की दर पर कर एकत्र करना जारी रखा।

सरकार ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया (नवंबर 2020) और सूचित किया कि चार जि.प.का.[18] में 131 वाहन स्वामियों से ₹ 20.93 लाख की वसूली की गई। इसके अतिरिक्त, जि.प.प. को अंतर कर की वसूली करने के लिए माँग पत्र जारी करने के लिए

[18] बोकारो, देवघर, धनबाद और राँची।

निर्देशित किया गया। यह भी आश्वासित किया गया कि अधिसूचना के प्रावधानों को भविष्य में एप्लिकेशन में सही ढंग से शामिल किया जाएगा।

- डाटा डंप के विश्लेषण पर यह देखा गया कि 208 व्यक्तिगत वाहनों में ओ.टी.टी. पर अधिक अतिरिक्त कर आरोपित हुआ था, जिसमें से 189 वाहन 10 चयनित जिला परिवहन कार्यालयों[19] में थे। आंकड़ों की आगे जाँच से पता चला कि 189 वाहन स्वामियों से ₹ 1.31 करोड़ रुपये के बदले ₹ 1.90 करोड़ अतिरिक्त कर वसूले गए। लेखापरीक्षा ने संबंधित जिला परिवहन कार्यालयों में वास्तविक समय के डाटा और करारोपण रजिस्टर के साथ डाटा विश्लेषण के परिणाम को सत्यापित किया और देखा कि सभी 189 मामलों में ओ.टी.टी. पर ₹ 59.32 लाख अधिक अतिरिक्त कर वसूला गया था। यह देखा गया कि एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर में संशोधित प्रावधानों की गलत व्याख्या और शामिल किए जाने के कारण ही अधिक अतिरिक्त कर वसूला गया जिसे **तालिका-2.4** में दर्शाया गया है।

तालिका-2.4: संशोधित प्रावधानों की गलत व्याख्या और अनुकूलन

क्र. सं.	**स्थिति**	**वाहन के जी.एस.टी. रहित लागत मूल्य पर आरोप्य ओ.टी.टी. प्रतिशत**	**आरोपित ओ.टी.टी. प्रतिशत**	**अधिक ओ.टी.टी. की वसूली (प्रतिशत में)**
1	यदि मालिक के पास पहले से ही एक वैयक्तिक वाहन हो।	6 + (3% x 6) = 6.18	9	2.82
2	यदि वाहन की लागत मूल्य ₹ 15 लाख से अधिक हो।	6 + (3% x 6) = 6.18	9	2.82
3	यदि वाहन मालिक के पास पहले से एक वैयक्तिक वाहन है, दुसरा वाहन खरीदा है और जिसकी लागत मूल्य ₹ 15 लाख से अधिक हो।	6 + (6% x 6) = 6.36	12	5.64

इसके अतिरिक्त, जि.प.प. ने संशोधित प्रावधानों का सत्यापन किए बिना एप्लिकेशन सॉफ़्टवेयर के माध्यम से आरोपित ओ.टी.टी. पर अतिरिक्त कर एकत्र किया।

सरकार ने कहा (नवंबर 2020) कि ओ.टी.टी. पर प्रतिशत अतिरिक्त कर के बदले वाहन की लागत पर तीन प्रतिशत अतिरिक्त कर लगाने की मंशा थी और यह कहा कि इस संबंध में नवंबर 2019 में एक अध्यादेश द्वारा इसे संशोधन कर लिया गया। अध्यादेश की वैधता मई 2020 में समाप्त हो गई थी। हालांकि, सचिव ने बहिर्गमन सम्मेलन में कहा (11 दिसम्बर 2020) कि अध्यादेश को अधिनियम के रूप में पारित करने के लिए लाया गया है।

[19] जिला परिवहन कार्यालय: बोकारो, देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, हजारीबाग, जमशेदपुर, पलामू, रामगढ़ और राँची।

2.1.11.3 अस्थाई कर का आरोपण

VAHAN में व्यवसाय नियम का विलंब से शामिल करने के कारण ₹ 8.68 लाख अस्थायी कर का कम आरोपण।

झा.मो.क. अधिनियम की धारा 7(5) में निर्दिष्ट कर के भुगतान पर अन्य राज्यों में निबंधित वाहनों को झारखण्ड में अस्थायी रूप से परिचालन के लिए एक अस्थायी कर टोकन जारी किया जाता है। झारखण्ड सरकार ने 8 मार्च 2019 को अस्थायी कर की मौजूदा दर में संशोधन किया। अस्थायी कर का निर्धारण और संग्रहण की सुविधा और निगरानी *VAHAN* के वेब पोर्टल के अंतर्गत 'चेक पोस्ट' मॉड्यूल के द्वारा की जाती है।

परिवहन आयुक्त के कार्यालय द्वारा अस्थायी कर संग्रह के संबंध में दी गई जानकारी के अनुसार, मार्च 2019 में 1,871 वाहनों से ₹ 34.46 लाख की राशि संग्रहीत की गई। आगे की जाँच में पता चला कि 8 मार्च से 12 मार्च 2019 तक की अवधि में 434 वाहनों से संशोधित दरों पर ₹ 13.53 लाख के बदले संशोधित पूर्व की दर पर ₹ 4.85 लाख का अस्थायी कर आरोपित किया गया। यह देखा गया कि संशोधित प्रावधान को एप्लिकेशन सॉफ़्टवेयर में इसके लागू होने की तारीख से पाँच दिनों की देरी के साथ शामिल होने के कारण 434 वाहनों से ₹ 8.68 लाख कम अस्थायी कर आरोपित हुआ। विभाग ने एप्लिकेशन सॉफ़्टवेयर के अद्यतन होने तक संशोधित दरों पर कर संग्रह के लिए एक वैकल्पिक तंत्र तैयार किए बिना संशोधित पूर्व की दरों पर अस्थाई कर आरोपित करना जारी रखा। यह पाया गया कि विभाग ने 26 फरवरी 2019 को एन.आई.सी. में संशोधन को अग्रेषित किया जिसे 6 मार्च 2019 को परीक्षण के लिए एप्लिकेशन सॉफ़्टवेयर में अपलोड किया गया था किन्तु प्रोडक्शन सर्वर पर इसे 13 मार्च 2019 को शामिल किया जा सका। सर्वर में संशोधन शामिल किए जाने की देरी के कारण का कोई अभिलेख नहीं मिला।

सरकार ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया (नवंबर 2020) और यह सुनिश्चित किया कि अधिसूचना के प्रावधानों को भविष्य में समय पर और सही ढंग से लागू किया जाएगा।

परिचालित मॉड्यूल में खामियाँ

लेखापरीक्षा ने *VAHAN* डाटा का विश्लेषण किया और पाया कि अधिनियम/नियमावली के प्रावधानों के तहत वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए अन्य मॉड्यूल के साथ आवश्यक कडी एप्लिकेशन सॉफ़्टवेयर में विकसित या शामिल नहीं किया गया था। इससे ₹ 1.14 करोड़ रुपये राजस्व की हानि हुई है, जैसा कि निम्न कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

2.1.11.4 स्थानीय निबंधन चिन्ह का आवंटन

झारखण्ड में अन्य राज्यों के परिचालित वाहनों को स्थानीय निबंधन चिन्ह आवंटित नहीं करने के कारण ₹ 81.23 लाख राजस्व का निर्धारण नहीं हुआ।

मो.वा. अधिनियम की धारा 47 और उसके अंतर्गत बनाए नियमों में प्रावधान है कि जब एक राज्य में निबंधित मोटर वाहन दूसरे राज्य में 12 महीने से अधिक की अवधि के लिए रखा जाता है, तो वाहन मालिक नए निबंधन प्राधिकरण के पास नए निबंधन चिन्ह प्राप्त करने के आवेदन देगा। यदि मालिक 12 महीने के अंदर आवेदन करने में विफल रहता है, तो उसे निर्दिष्ट दरों पर अर्थदण्ड देना होगा।

डंप डाटा के विश्लेषण में देखा गया कि अन्य राज्यों से 27,560 वाहन पलायन कर राज्य में प्रवासित हुये थे। इनमें से 21,876 वाहन (79 प्रतिशत) चयनित जिला परिवहन कार्यालयों में थे। लेखापरीक्षा ने कर भुगतान के आधार पर 8,043 वाहनों (37 प्रतिशत) की नमूना जाँच की (जुलाई 2019 और मार्च 2020 के बीच) और इसे वास्तविक समय के आंकड़ों से सत्यापित करने पर पाया कि 11 कार्यालयों[20] में 3,928 वाहन अन्य राज्यों के निबंधन चिन्ह धारण किए हुए 12 महीने से अधिक अवधि तक राज्य में परिचालित हुए। पुन: यह देखा गया कि *VAHAN* में अन्य राज्य के वाहन के परिचालन की आवधिकता पता लगाने के लिए असाइनमेंट मॉड्यूल और पथकर भुगतान मॉड्यूल के मध्य कोई कड़ी नहीं था। जि.प.प. ने इन वाहनों पर पथकर आरोपित करते समय परिचालन की आवधिकता का सत्यापन नहीं किया। विभाग 12 महीनों से अधिक समय तक राज्य में प्रवासित वाहनों की संख्या से अनभिज्ञ रहा और स्थानीय निबंधन चिन्ह आवंटित और ₹ 81.23 लाख शुल्क आरोपित करने की कार्रवाई प्रारम्भ नहीं की।

सरकार ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया (नवंबर 2020) और बताया कि तीन जि.प.का.[21] में 93 प्रवासित वाहनों से ₹ 1.85 लाख की वसूली कर ली गई है। इसके अतिरिक्त, जि.प.प. को माँग पत्र जारी कर स्थानीय निबंधन चिन्ह का आवंटन शुल्क की वसूली करने के लिए निर्देशित किया गया है। सचिव ने बहिर्गमन सम्मेलन में कहा कि वाहनों के वर्तमान पता दर्ज करते समय ही आवंटन शुल्क वसूल लिया जाएगा या अन्य सुधारात्मक कार्रवाई अन्वेषित किया जायगा।

---

[20] जिला परिवहन कार्यालय: बोकारो, देवघर, धनबाद, दुमका, हजारीबाग, गिरिडीह, जमशेदपुर, लोहरदगा, पलामू, रामगढ़ और राँची।

[21] बोकारो, धनबाद और राँची।

2.1.11.5 अनापति प्रमाण-पत्र विलंब से प्रस्तुत करने पर अतिरिक्त शुल्क का आरोपण

अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन.ओ.सी.) विलंब से प्रस्तुति पर अतिरिक्त शुल्क आरोपण का प्रावधान मोड्यूल में शामिल नहीं होने के फलस्वरूप 764 वाहनों से ₹ 17.42 लाख शुल्क का आरोपण नहीं होना।

के.मो.वा. नियमावली के नियम 59 के प्रावधानों के अनुसार निर्दिष्ट शुल्क के साथ वाहन स्वामी निबंधन प्रमाण-पत्र (आर.सी.) में निवास परिवर्तन का आवेदन करेगा। मो.वा. अधिनियम की धारा 49 के अनुसार, वाहन स्वामी को पुराने निबंधन प्राधिकारी द्वारा निर्गत **अनापत्ति प्रमाण-पत्र** (एन.ओ.सी.) को 30 दिनों के अंदर नए निबंधन प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। एन.ओ.सी. प्रस्तुत करने में विलंब होने पर मोटर साइकिल के लिए ₹ 300 और अन्य वाहनों के लिए ₹ 500 प्रत्येक माह के लिए अतिरिक्त शुल्क आरोपित होगा।

लेखापरीक्षा ने चयनित जिला परिवहन कार्यालयों में वर्तमान पता रजिस्टर की नमूना जाँच की और उनमें से 10 कार्यालयों[22] में पाया कि 29 दिसंबर 2016 से 31 मार्च 2019 के मध्य 2,991 वाहन स्वामियों ने अपने वर्तमान पते में परिवर्तन के लिए आवेदन किया था। कार्यालयों में संधारित अभिलेखों के अनुसार, इनमें से 764 मामलों में एन.ओ.सी. एक महीने से अधिक विलंब पर प्रस्तुत किए गए थे। पुनः यह भी पाया गया कि एन.ओ.सी. प्रस्तुत करने में विलंब पर अतिरिक्त शुल्क आरोपण के प्रावधान *VAHAN* में शामिल नहीं किया गया था और वर्तमान पता दर्ज करने के समय कर और शुल्क की गणना मैन्युअल रूप से किया जाता था। जि.प.प. ने भी वर्तमान पते को दर्ज करते समय अनापत्ति प्रमाण-पत्र जमा करने में विलंब को नज़रअंदाज़ करते हुए अतिरिक्त शुल्क आरोपित नहीं किया। अतः एप्लिकेशन सॉफ़्टवेयर में जाँच-तंत्र की अनुपस्थिति तथा जि.प.प. द्वारा निगरानी के अभाव में अतिरिक्त शुल्क आरोपित नहीं हुआ जिसके कारण ₹ 17.42 लाख अतिरिक्त शुल्क का आरोपण नहीं हुआ।

सरकार ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया (नवंबर 2020) और सूचित किया कि जि.प.प., बोकारो और धनबाद ने 20 वाहन स्वामियों से ₹ 30,000 वसूली कर ली है। अग्रेतर, जि.प.प. को माँग पत्र जारी कर अंतर-शुल्क की वसूली के लिए निर्देशित किया गया है। यह भी सूचित किया गया कि प्रावधानों का एप्लिकेशन में शामिल कर लिया गया है।

---

[22] जिला परिवहन कार्यालय: बोकारो, देवघर, धनबाद, दुमका, हजारीबाग, गिरिडीह, जमशेदपुर, लोहरदगा, पलामू और राँची।

2.1.11.6 व्यापार कर और विलंब से भुगतान पर अर्थदण्ड का निर्धारण

व्यापार कर मोड्यूल के अक्रियाशील और जि.प.प. का कम/विलंब से व्यापार कर भुगतान पर अप्रभावी निगरानी के फलस्वरूप ₹ 15.12 लाख व्यापार कर एवं अर्थदण्ड का कम आरोपण।

झा.मो.वा. अधिनियम की धारा 6 निर्माता/व्यवसायी द्वारा व्यवसाय के दौरान उनके अधिकार में रखे गए मोटर वाहनों पर अनुसूची-III में निर्दिष्ट वार्षिक दर पर व्यापार कर के भुगतान का प्रावधान करता है। 90 दिनों से अधिक विलंब पर कर भुगतान करने पर डीलर कर के दोगुना के बराबर अर्थदण्ड भुगतान का उत्तरदायी है।

चयनित जिला परिवहन कार्यालयों में व्यापार कर पंजी और संचिकाओं की **लेखापरीक्षा** (अगस्त 2019 और मार्च 2020 के बीच) में पता चला कि जिला परिवहन कार्यालयों, पलामू और रामगढ़ में 38 में से तीन व्यवसायियों ने 2015-16 और 2018-19 के बीच की अवधि के लिए 30 दिनों से लेकर 90 दिनों तक के विलंब के साथ ₹ 11.68 लाख का व्यापार कर भुगतान किया। जि.प.प. ने व्यापार प्रमाण-पत्रों को नवीनीकृत करते समय कम और विलंबित व्यापार के भुगतान को नजरंदाज किया जिसके कारण ₹ 15.12 लाख कर और अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया गया। अग्रेतर, यह देखा गया कि *VAHAN* में उपलब्ध व्यापार प्रमाण-पत्र मॉड्यूल क्रियाशील नहीं था। निबंधित व्यवसायियों के बारे में जानकारी, प्रत्येक व्यवसायी द्वारा वाहनों की बिक्री, व्यापार कर का भुगतान, आरोपण और संग्रहण आदि से संबंधित कार्य मैन्युअल रूप से संचालित किए जा रहे थे।

सरकार ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया (नवंबर 2020) और संबंधित जि.प.प. को वाहन डीलरों को माँग पत्र निर्गत करने का निर्देश दिया। बहिर्गमन सम्मेलन (दिसंबर 2020) में सचिव ने कहा कि *VAHAN* एप्लिकेशन में व्यापार कर के मॉड्यूल को क्रियाशील बनाया जाएगा।

2.1.11.7 *VAHAN* और *SARATHI* डाटा में बैकलॉग प्रविष्टियाँ

स्मार्ट कार्ड तकनीक की शुरुआत वाहनों के निबंधन और ड्राइविंग लाइसेंस से सम्बंधित सभी कार्यों को स्वचल करने के उद्देश्य के साथ, अंतर-राज्य परिवहन वाहनों के परिचालन और राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर वाहनों और ड्राइविंग लाइसेंस के रजिस्टर बनाने सम्बंधित कार्यों को संपादित करने के लिए MoRTH ने देश के सभी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों में कम्प्यूटरीकरण सुविधा प्रदान किया।

कम्प्यूटरीकरण योजना के क्रियांवयन और अनुपालन के लिए जून 2004 में आयोजित अपनी बैठक में विभाग ने *VAHAN* और *SARATHI* अनुप्रयोगों की शुरुआत से पहले विभाग में उपलब्ध सभी मैनुअल डाटा के बैकलॉग प्रविष्टि के लिए प्रावधान किया था। तथापि, क्षेत्रीय कार्यालयों में *VAHAN* और *SARATHI* के कार्यान्वयन से पहले निर्गत किए गए वाहनों के निबंधन और ड्राइविंग लाइसेंस की बैकलॉग प्रविष्टियाँ 16 साल की अवधि के बाद भी नहीं की गई। इससे झारखण्ड के जि.प.का. के कार्यों पर भी निम्न रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है:

क) 2004 से पूर्व निबंधित वैयक्तिक वाहनों का डाटा *VAHAN* एप्लिकेशन में प्रविष्ट नहीं किया गया था। इन डाटा की अनुपस्थिति में विभाग वैसे वैयक्तिक वाहनों की वास्तविक संख्या से अनभिज्ञ रहा, जिनके निबंधन की वैधता 15 वर्ष के बाद समाप्त हो गई थी और निबंधन प्रमाण-पत्रों का अभ्यर्पण/नवीनीकरण नहीं किया गया था।

ख) नए वाहन के निबंधन के समय दूसरे और अनुवर्ती वाहनों के स्वामित्व का सत्यापन सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

ग) *SARATHI* कार्यान्वित करने से पहले जिन धारकों को ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए गए थे, वे बैकलॉग प्रविष्टियों की अनुपस्थिति में *Parivahan Sewa* पोर्टल की ऑनलाइन सेवाओं का लाभ नहीं उठा सकते हैं।

सरकार ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया (नवम्बर 2020), हालांकि, वाहन स्वामियों और लाइसेंस धारकों के वाहनों की लागत मूल्य, पैन, मोबाइल नंबर और आधार जैसे विवरणों की अनुपलब्धता के कारण बैकलॉग प्रविष्टि में असमर्थता जताई। यह कहा गया कि इस आशय का स्थानीय समाचार पत्रों में एक सार्वजनिक सूचना प्रकाशित किया जाएगा ताकि संबंधित व्यक्ति अपने रिकॉर्ड को अद्यतन कराने के लिए परिवहन कार्यालयों से संपर्क कर सकें।

2.1.12 कर शुल्क का निर्धारण और उद्ग्रहण

2.1.12.1 प्रस्तावना

झा.मो.वा.क. नियमावली के नियम 23 में प्रावधान है कि कर अधिकारी प्रपत्र-'एम' में कराधान पंजी, प्रपत्र-'एन' में परिवहन वाहनों के लिए माँग पंजी और प्रपत्र-'ओ' में वाहन का अस्थायी विराम पंजी संधारित करेंगे। प्रपत्र-'एम' और 'एन' पंजियों का हर साल 1 अक्टूबर और 31 मार्च को अद्यतन किया जाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, झारखण्ड वित्तीय नियमावली के नियम 37 द्वारा नियंत्रण अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है कि सरकार के सभी बकाए राशियों को नियमित रूप से शीघ्र मूल्यांकन, वसूली और विधिवत सरकारी खाते में जमा किया जाय। विभाग के कम्प्यूटरीकरण के परिणामस्वरूप सभी कार्यों को वेब आधारित अनुप्रयोगों के तहत लाया गया, जिसमें अभिलेखों के स्वत: संधारण की सुविधा थी और नियंत्रण अधिकारियों को हमेशा उपलब्ध थी।

वाहनों की श्रेणी के आधार पर कर का त्रैमासिक या एकमुश्त अग्रिम भुगतान लिया जाता है। वैयक्तिक और कुछ अधिसूचित परिवहन वाहनों पर एकमुश्त कर आरोपित होता है, जबकि अन्य वाहनों पर कर का भुगतान तिमाही आधार पर किया जाता है। निर्दिष्ट दरों पर कर का भुगतान न करने पर झा.मो.वा.क. नियमावली के नियम 4 में विलंब की आवधि के आधार पर अर्थदण्ड का प्रावधान है। निम्नलिखित कंडिकाओं में ₹ 168.07 करोड़ के कर और शुल्क का कम/अनिर्धारण और कम/नहीं सग्रहण संबंधी लेखापरीक्षा अवलोकन वर्णित हैं।

कर शुल्क का निर्धारण

2.1.12.2 धुरी भार का संशोधन

15,507 परिवहन वाहनों के धुरी भार में संशोधन नहीं होने के फलस्वरूप ₹ 6.95 करोड़ कर का अवनिर्धारण।

MoRTH, भारत सरकार ने जुलाई 2018 में परिवहन वाहनों में सुरक्षित धुरी भार की सीमा को संशोधित किया। परिवहन विभाग, झारखण्ड सरकार ने संशोधन (जुलाई 2018) को अग्रसारित करते हुए सभी जि.प.प. और मो.वा.नि. को इसके अनुपालन करने के लिए निर्देशित किया।

डाटा डंप के विश्लेषण में यह पाया गया कि धुरी भार संशोधित किए जाने वाले 1,14,038 माल वाहक वाहनों में से 86,606 का संशोधन लंबित था। इनमें से चयनित जिला परिवहन कार्यालयों के 69,912 मामले (81 प्रतिशत) थे।

लेखापरीक्षा ने वर्तमान कर भुगतान के आधार पर 15,507 (22 प्रतिशत) मामलों का नमूना लिया और इन वाहनों को रियल टाइम डाटा और निबंधन अभिलेखों के साथ सत्यापित किया। सत्यापन से पता चला है कि इन वाहनों के धुरी वजन को संशोधित नहीं किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप 15,507 वाहनों पर ₹ 6.95 करोड़ कर का कम निर्धारण हुआ। अग्रेतर, लेखापरीक्षा ने पाया कि विभाग ने यथासमय धुरी भार संशोधन के लिए प्रक्रिया निर्धारित नहीं की थी। इसके अतिरिक्त, जि.प.प. ने भी विभागीय निर्देशों का पालन नहीं किया और पहले से दर्ज धुरी भार के आधार पर कर संग्रहित किया। इस परिस्थिति में राज्य में 76 प्रतिशत माल वाहक वाहनों के धुरी भार को एक साल से अधिक समय के बाद भी संशोधित किया जाना बाकी था।

सरकार ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया (नवंबर 2020) और सूचित किया कि चार जि.प.का.[23] में 471 वाहन स्वामियों से ₹ 21.76 लाख की वसूली की गयी। इसके अतिरिक्त, धुरी भार के संशोधन के लिए स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से नोटिस जारी करने के लिए जि.प.प. को निर्देशित किया गया है।

2.1.12.3 व्यापार प्रमाण-पत्र के प्रावधान वित्तपोषकों के लिए लागू करना

जि.प.प. ने अनियमित रूप से निबंधन प्रमाण-पत्र में उन वित्तपोषकों के पक्ष में किराया-खरीद/बंधक अनुबंध पृष्ठांकित किया, जो व्यापार प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं किये थे।

मो.वा. अधिनियम की धारा 2(8)(डी) के प्रावधानों के तहत "व्यवसायी" ऐसे व्यक्ति को भी सम्मिलित करता है जो मोटर वाहनों के बंधक, लीज या किराया-खरीद के व्यवसाय में लगा हुआ है। अग्रेतर, के.मो.वा. नियमावली के नियम 41(एच) में किराया-खरीद, पट्टे या बंधक अनुबंध के प्रावधानों के अंतर्गत दूसरे पक्ष की ओर से किसी प्रमाद के कारण

---

[23] बोकारो, धनबाद, लोहरदगा और राँची।

वाहन को जब्त करने के लिए एक वित्तपोषक को व्यापार प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता होती है।

डाटा डंप की समीक्षा से पता चला कि 294 **वित्तपोषक** वाहन स्वामियों के साथ किराया और खरीद अनुबंध (एच.पी.ए.) के व्यवसाय में लगे हुए थे। अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के अनुसार इन **वित्तपोषकों** को व्यापार प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक था। हालांकि, चयनित जिला परिवहन कार्यालयों में किसी भी **वित्तपोषक** ने व्यापार प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं किया था। यह भी पाया गया कि जि.प.प. निबंधन प्रमाण-पत्र में बंधक पृष्ठांकित करने से पहले यह भी सत्यापित नहीं किया है कि **वित्तपोषकों** ने व्यापार प्रमाण-पत्र प्राप्त किया है अथवा नहीं। इस प्रकार, जि.प.प. की कर्तव्यप्रयांता की कमी के कारण वैध व्यापार प्रमाण-पत्र और देय शुल्क के भुगतान के बिना ही **वित्तपोषकों** को अपना व्यवसाय संचालित करने दिया गया।

सरकार ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया (नवंबर 2020) और कहा कि इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किये जायेंगे। विभाग ने (01 दिसंबर 2020) द्वारा सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देशित किया कि वैसे सभी व्यवसायी, जो मो.वा. अधिनियम, 1988 की धारा 2(8) के दायरे में आते हैं, को व्यापार प्रमाण-पत्र जारी करें।

2.1.12.4 परिवहन वाहनों के दुरुस्ती प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण

दुरुस्ती प्रमाण-पत्र की वैधता की समाप्ति पता लगाने के तंत्र के अभाव में 6,498 परिवहन वाहनों से दुरुस्ती प्रमाण-पत्र नवीनीकरण का शुल्क एवं अर्थदण्ड के रूप में ₹ 22.82 करोड़ का निर्धारण नहीं हुआ।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 56 प्रावधान करता है कि जब तक परिवहन वाहन को निर्धारित प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए दुरुस्ती प्रमाण-पत्र न हो उनका निबंधन प्रमाण-पत्र वैध नहीं माना जाएगा। नए परिवहन वाहनों के लिए दुरुस्ती प्रमाण-पत्र की वैधता दो वर्ष है, इसके बाद वार्षिक रूप से नवीनीकरण किया जाता है। वैधता समाप्ति के उपरांत विलंब से दुरुस्ती प्रमाण-पत्र के नवीनीकरण पर प्रत्येक दिन के लिए ₹ 50 का अतिरिक्त शुल्क देय है। दुरुस्ती प्रमाण-पत्र के नवीनीकरण नहीं होने पर निबंधन प्राधिकारी वाहन के निबंधन को निलंबित कर सकता है।

डाटा डंप के विश्लेषण पर यह देखा गया कि राज्य में 3,31,327 परिवहन वाहनों के दुरुस्ती प्रमाण-पत्र 31 मार्च 2019 को समाप्त हो गए थे जिनमें से 2,92,221 वाहन (88 प्रतिशत) चयनित जिला परिवहन कार्यालयों में निबंधित थे। लेखापरीक्षा ने अद्यतन कर की स्थिति के आधार पर 32,592 (11 प्रतिशत) मामलों का नमूना लिया और इन वाहनों को वास्तविक समय के आंकड़ों के साथ सत्यापित किया। यह देखा गया कि 11 कार्यालयों[24] में 6,498 वाहन स्वामियों ने दुरुस्ती प्रमाण-पत्र की वैधता समाप्ति के

[24] जिला परिवहन कार्यालय: बोकारो, देवघर, धनबाद, दुमका, हजारीबाग, गिरिडीह, जमशेदपुर, लोहरदगा, पलामू, रामगढ़ और राँची।

पश्चात भी नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं किया था, हालांकि, इन वाहनों के कर भुगतान की स्थिति अद्यतन थी। इसके परिणामस्वरूप शुल्क एवं अर्थदण्ड के रूप में ₹ 22.82 करोड़ राजस्व आरोपित नहीं हुआ। लेखापरीक्षा में पाया गया कि यद्यपि एप्लिकेशन सॉफ़्टवेयर में दुरुस्ती प्रमाण-पत्र की वैधता की समाप्ति के बारे में जानकारी उपलब्ध थी, किन्तु कर भुगतान स्वीकार करते समय दुरुस्ती प्रमाण-पत्र की वैधता की समाप्ति का पता लगाने के लिए सॉफ़्टवेयर में जाँच-तंत्र का अभाव था। विभाग ने ऐसे मामलों का मूल्यांकन और उनका नवीनीकरण या निबंधन प्रमाण-पत्र को निलंबित करने की कार्रवाई की सामयिक समीक्षा नहीं की।

सरकार ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया (नवंबर 2020) और सूचित किया कि तीन जि.प.का.[25] में 856 परिवहन वाहन स्वामियों से ₹ 1.74 करोड़ की वसूली हुई है। इसके अतिरिक्त जि.प.प. को ऐसे वाहनों का पता लगाने और अधिनियम के प्रावधानों के तहत दण्डित करने के लिए निर्देशित किया गया है। बहिर्गमन सम्मेलन (दिसंबर 2020) में सचिव ने यह आश्वस्त किया कि राज्य में अधिक से अधिक स्वचालित दुरूस्ती केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

2.1.12.5 निबंधन प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण

वैयक्तिक वाहनों की निबंधन वैधता समाप्ति के उपरांत नवीनीकरण नहीं होने के कारण 829 वाहनों से ₹ 2.94 करोड़ राजस्व का निर्धारण नहीं हुआ।

मो.वा. अधिनियम की धारा 41 (7) में प्रावधान है कि परिवहन वाहन को छोड कर अन्य वाहनों का निबंधन प्रमाण-पत्र निर्गत तिथि से 15 साल के लिए वैध होगा और पुन: अनुवर्ती पाँच वर्षों के लिए नवीनीकरणीय होगा। वाहन के परिचालन से विराम के मामले में निबंधन अभिलेख को रद्द करने के लिए धारा 17 के तहत सूचना की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त, झा.मो.वा.क. अधिनियम की धारा 5(5) में 15 वर्ष से अधिक पुराने वैयक्तिक वाहनों पर हरित कर लगाने का प्रावधान है। निबंधन के नवीनीकरण के मामले में एक माह से अधिक के विलंब से आवेदन करने पर अतिरिक्त शुल्क भी देय है।

डाटा डंप के विश्लेषण पर यह देखा गया कि राज्य में 1 अप्रैल 1999 और 31 मार्च 2004 के बीच निबंधित 22,923 व्यक्तिगत वाहनों (हल्के मोटर वाहनों) के निबंधन प्रमाण-पत्र की वैधता समाप्त हो गयी थी (31 मार्च 2019 तक) और नवीनीकरण लंबित था। इनमें से 18,968 वाहन (83 प्रतिशत) चयनित जिला परिवहन कार्यालयों में निबंधित था। डाटा की अग्रेसर जाँच से पता चला कि 18,968 वाहनों में से, 13,490 वाहनों का विक्रय मूल्य आवेदन सॉफ्टवेयर में दर्ज नहीं था। लेखापरीक्षा ने रियल टाइम डाटा और निबंधन पंजी के साथ सत्यापन के लिए पाँच से 10 सीटों की बैठान क्षमता वाले शेष 5,478 वाहनों में से 2,279 (42 प्रतिशत) का नमूना लिया। चयनित जिला परिवहन कार्यालयों में लेखापरीक्षा सत्यापन (जुलाई 2019 और मार्च 2020 के बीच) में

[25] धनबाद, जमशेदपुर और राँची।

पता चला कि 10 चयनित कार्यालयों[26] में 829 वाहनों की निबंधन वैधता अप्रैल 2014 और मार्च 2019 के बीच समाप्त हो गई थी। वाहन स्वामियों ने न तो निबंधन के नवीनीकरण के लिए और न ही वाहनों के निबंधन रद्द के लिए आवेदन किया था। इसके परिणामस्वरूप निबंधन शुल्क, निरीक्षण शुल्क और हरित कर के रूप में ₹ 2.94 करोड़ राजस्व का आरोपण नहीं हुआ। हालांकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि निबंधन की वैधता समाप्त होने की जानकारी एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर में उपलब्ध थी, लेकिन ऐसी सूची के ऑटो जेनेरशन की सुविधा अनुपस्थित थी। विभाग ने ऐसे मामलों का आवधिक मूल्यांकन कर समीक्षा नहीं की और निबंधन के नवीनीकरण की कार्रवाई नहीं की गयी।

सरकार ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया (नवंबर 2020) और सूचित किया कि 61 वैयक्तिक वाहन स्वामियों ने निबंधन प्रमाण-पत्र को नवीनीकृत किया और तीन जि.प.का.[27] में ₹ 11.30 लाख की वसूली हुई। इसके अतिरिक्त, जि.प.प. को आम जनता की जागरूकता के लिए एक सार्वजनिक नोटिस प्रकाशित करने के लिए निर्देशित किया गया है।

2.1.12.6 सार्वजनिक वाहकों का निबंधन

अंतर-विभागीय डाटा/सूचना के अदान-प्रदान तंत्र की अनुपस्थिति में 174 सार्वजनिक वाहक अनिबंधित रह गये जिसके फलस्वरूप ₹ 33.06 लाख शुल्क का आरोपण नहीं हुआ।

सड़क मार्ग द्वारा वहन अधिनियम की धारा 4 और उसके तहत बनाये गए नियमावली में प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो सार्वजनिक वाहक के व्यवसाय (ट्रांसपोर्टर) में संलग्न है या इसकी इच्छा रखता है, निबंधन प्रमाण-पत्र की स्वीकृति के लिए क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (क्षे.प.प्रा.) के समक्ष आवेदन करेगा। सामान्य वाहक का निबंधन प्रमाण-पत्र सम्पूर्ण देश में 10 वर्षों के लिए वैध है।

लेखापरीक्षा ने वाणिज्यिकर विभाग से ट्रांसपोर्टर, वाहक, रसद आदि के संबंध में डाटा/सूचना प्राप्त की और चयनित क्षे.प.प्रा. में निबंधन अभिलेख के साथ इसे प्रतिसत्यापित किया। प्रति-सत्यापन से पता चला कि 575 सड़क वाहक/ट्रांसपोर्टरों में से 401 को वर्ष 2014-19 के दौरान चयनित क्षे.प.प्रा. द्वारा निबंधित किया गया था और शेष 174 वाहक अभी तक अनिबंधित थे। यह देखा गया कि सड़क वाहक/ट्रांसपोर्टरों की पहचान करने के लिए अंतर-विभागीय डाटा/सूचना के आदान-प्रदान के लिए कोई तंत्र नहीं था। इस प्रकार, विभाग इन अनिबंधित संस्थाओं को कर के दायरे में लाने के लिए उनकी पहचान नहीं कर सका। इसके परिणामस्वरूप ₹ 33.06 लाख निबंधन शुल्क, प्रसंस्करण शुल्क और प्रतिभूति राशि आरोपित नहीं हुआ।

---

[26] जिला परिवहन अधिकारी: बोकारो, देवघर, धनबाद, दुमका, हजारीबाग, गिरिडीह, जमशेदपुर, लोहरदगा, पलामू और राँची।

[27] धनबाद, जमशेदपुर और राँची।

सरकार ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया (नवंबर 2020) और क्षे.प.प्रा. को वाणिज्यिकर कार्यालयों से ट्रांसपोर्टरों का विवरण प्राप्त करने और उन्हें अधिनियम के तहत निबंधित करने का निर्देश दिया।

कर और शुल्क का संग्रहण

2.1.12.7 परिवहन वाहनों से कर संग्रहण

9,260 प्रमादी परिवहन वाहनों से कर और अर्थदण्ड के रूप में वसूलनीय ₹ 74.57 करोड़ का उदग्रहण जि.प.प. द्वारा नहीं किया गया।

झा.मो.वा.क. अधिनियम और झा.मो.वा.क. नियमावली के अनुसार निबंधित परिवहन वाहनों के स्वामियों को देय कर का अग्रिम भुगतान करना है। यदि भुगतान में विलंब 90 दिनों से अधिक हो जाता है, तो कर के साथ देय करों की दोगुनी राशि का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, जनवरी 2019 से अधिनियम में 12 वर्ष से अधिक पुराने परिवहन वाहनों पर हरित कर आरोपित करने का प्रावधान किया गया है। VAHAN सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ताओं को प्रणाली से प्रमादियों की सूची जनन करने में सक्षम बनाया है। जिला परिवहन अधिकारियों (जि.प.प.) को प्रमादियों को माँग पत्र निर्गत करना है। इसके अतिरिक्त, वाहन स्वामियों को अपने वाहनों के परिचालन विराम की पूर्व सूचना देना है।

डाटा डंप के विश्लेषण से पाया गया कि राज्य में 74,341 परिवहन वाहनों की कर वैधता 31 मार्च 2019 को समाप्त हो गई थी, जिसमें से 60,728 वाहन (82 प्रतिशत) चयनित जिला परिवहन कार्यालयों में निबंधित थे। लेखापरीक्षा ने लेखापरीक्षा का क्षेत्र, मॉडल और प्रमाद की अवधि के आधार पर 25,161 परिवहन वाहनों (41 प्रतिशत) का नमूना लिया। यह देखा गया कि 9,260 वाहन स्वामियों ने एक वर्ष से अधिक समय के लिए करों का भुगतान नहीं किया था। इन वाहनों के परिचालन से बाहर होने के बारे में कोई अभिलेख नहीं मिला। आगे यह देखा गया कि माँग पत्र जारी करने के लिए जिम्मेवार जि.प.प. ने न तो *VAHAN* सॉफ्टवेयर से प्रमादियों की सूची तैयार की और न ही झा.मो.वा.क. नियमावली, 2001 के प्रावधानों के अनुसार माँग, संग्रहण और बकाया पंजी को तिमाही आधार पर अद्यतन किया और न ही बकाया करों की माँग की। राज्य परिवहन आयुक्त और संयुक्त परिवहन आयुक्त ने भी परिवहन कार्यालयों के कामकाज की निगरानी नहीं की। इसके परिणामस्वरूप 9,260 परिवहन वाहनों से ₹ 49.59 करोड़ अर्थदण्ड और ₹ 0.19 करोड़ हरित कर सहित कुल ₹ 74.57 करोड़ कर राजस्व का संग्रहण नहीं हुआ।

सरकार ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया (नवंबर 2020) और सूचित किया कि पाँच जि.प.का.[28] में 388 परिवहन वाहन स्वामियों से ₹ 2.02 करोड़ की वसूली हुई। इसके अतिरिक्त, जि.प.प. को कर की वसूली करने के लिए प्रमादी वाहन स्वामियों के

[28] बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर, लोहरदगा और राँची।

विरुद्ध माँग पत्र जारी करने के लिए निर्देशित किया गया है। बहिर्गमन सम्मेलन (दिसंबर 2020) में सचिव ने कहा कि जि.प.प. को बकाया राजस्व वसूलने का निर्देश दिया जाएगा, जिसकी निगरानी हर महीने शीर्ष स्तर पर की जाएगी। अग्रेतर, बताया गया कि प्रत्येक माह राजस्व संग्रहण और नीलामपत्र वाद मामलों की समीक्षा की जा रही है और समर्पित अधिकारियों को इसका जिम्मा सौंपा गया है।

लेखापरीक्षा ने वर्ष 2014-15 से 2017-18 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में इस तरह की अनियमितताओं को इंगित किया था, लेकिन त्रुटियां यथा विद्यमान है।

2.1.12.8 एकमुश्त कर का उद्ग्रहण

30,262 वाहनों, जो एक-मुश्त कर के दायरे में लाये गए हैं, से ₹ 44.37 करोड़ एकमुश्त कर और अर्थदण्ड वसूलनीय था, जिसे जि.प.प. ने उदग्रहीत नहीं किया।

झारखण्ड सरकार ने जनवरी 2019 में मोटर वाहनों के करारोपण संरचना में परिवर्तन लाया और वैयक्तिक वाहनों के अतिरिक्त, कुछ परिवहन वाहनों, यथा तिपहिया यात्री वाहनों, तीन टन निबंधित लदान भार तक के माल वाहनों और निर्माण उपकरण वाहनों को भी एकमुश्त कर (ओ.टी.टी.) के दायरे में लाया गया।

लेखापरीक्षा ने ओ.टी.टी. के दायरे में लाए गए परिवहन वाहनों के निबंधन डाटा में पाया कि राज्य में 2,68,816 वाहनों की कर वैधता समाप्त हो गई थी (31 मार्च 2019 तक), जिसमें से 2,25,224 (84 प्रतिशत) चयनित जिला परिवहन कार्यालयों में निबंधित थे।

- लेखापरीक्षा ने चयनित जिला परिवहन कार्यालयों में एकमुश्त कर के दायरे में आने वाले परिवहन वाहनों की कर स्थिति 1,34,901 (60 प्रतिशत) का रियल टाइम डाटा और अन्य प्रासंगिक अभिलेखों के साथ सत्यापित किया और देखा कि 30,262 वाहन स्वामियों ने कर का भुगतान नहीं किया था। इन वाहनों के परिचालन से बाहर होने के बारे में शपथ-पत्र का कोई अभिलेख नहीं था। अग्रेतर, देखा गया कि माँग पत्र जारी करने के लिए जिम्मेदार जि.प.प. ने *VAHAN* सॉफ्टवेयर से कर प्रमादियों की सूची तैयार नहीं की और बकाया करों की माँग नहीं की। इस प्रकार, संशोधित प्रावधान के अनुसार, विभाग ₹ 7.35 करोड़ अर्थदण्ड सहित ₹ 44.37 करोड़ राजस्व की वसूली नहीं कर सका।

सरकार ने (नवंबर 2020) लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया और सूचित किया कि छह जि.प.का.[29] में 2,331 वाहन स्वामियों से ₹ 4.22 करोड़ की वसूली हुई। इसके अतिरिक्त, जि.प.प. को कर की वसूली करने के लिए संबंधित वाहन स्वामियों को माँग पत्र जारी करने के लिए निर्देशित किया गया है। बहिर्गमन सम्मेलन (दिसंबर 2020) में सचिव ने कहा कि जि.प.प. को बकाया राजस्व वसूलने का निर्देश दिया जाएगा, जिसकी निगरानी हर महीने शीर्ष स्तर पर की जाएगी। अग्रेतर, बताया गया कि प्रत्येक माह

[29] बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर, लोहरदगा, रामगढ़ और राँची।

राजस्व संग्रहण और नीलामपत्र वाद मामलों की समीक्षा की जा रही है और समर्पित अधिकारियों को इसका जिम्मा सौंपा गया है।

- इसके अतिरिक्त, चयनित जिला परिवहन कार्यालयों में लेखापरीक्षा द्वारा ओ.टी.टी. के भुगतान से संबंधित रियल टाइम डाटा के साथ विक्रय चालान का तिर्यक सत्यापन किया (दिसंबर 2019) और यह उद्घटित हुआ कि जि.प.का., राँची में निबंधित 225 मशीनरी वाहनों में से तीन मामलों में, एप्लिकेशन सॉफ़्टवेयर में दर्ज विक्रय मूल्य, विक्रय चालान की तुलना में कम था, इस प्रकार वाहनों की विक्रय मूल्य के शमन के कारण ₹ 11.17 लाख कम एकमुश्त कर आरोपित हुआ, जैसा कि **तालिका-2.5** में दिखाया गया है।

तालिका-2.5: एकमुश्त कर का कम आरोपण

क्र. सं.	निबंधन सं.	वर्ग	निबंधन तिथि	विक्रय मूल्य	आरोपित ओ.टी.टी.	कर वैद्यता	वास्तविक विक्रय मूल्य	आरोपणीय ओ.टी.टी.	कम आरोपण
1	JH01CL 6775	लोडर	16.06.17	1,06,000	6,183	21.03.19 से 20.03.29	84,82,500	4,94,793	4,88,610
2	JH01CL 3420	लोडर	16.06.17	1,03,000	6,008	21.03.19 से 20.03.29	84,82,500	4,94,793	4,88,785
3	JH01CL 7811	क्रेन	02.06.17	2,75,000	15,509	13.08.19 से 12.04.29	27,50,000	1,55,090	1,39,581
कुल					**27,700**			**11,44,676**	**11,16,976**

अग्रेतर, देखा गया कि *VAHAN* एप्लिकेशन में इन वाहनों के गलत डाटा प्रविष्टि के कारण चूक हुई। हालाँकि डाटा प्रविष्टि के सत्यापन और पुष्टि की व्यवस्था विद्यमान थी, लेकिन जि.प.प. द्वारा इन अनियमितताओं पर ध्यान नहीं दिया गया था।

सरकार/विभाग इस संबंध में कुछ नहीं कहा। हालाँकि, जि.प.प., राँची ने सूचित किया (जुलाई 2020) कि दो वाहनों के मामले में ₹ 9.77 लाख की राशि की वसूली कर ली गई है और अन्य मामले में माँग पत्र जारी किया गया है।

2.1.12.9 राष्ट्रीय परमिट के प्राधिकार पत्र का नवीनीकरण

राष्ट्रीय परमिट वैधता के दौरान 1,515 राष्ट्रीय परमिट धारकों ने अनुवर्त्ती प्राधिकार पत्र प्राप्त नहीं किया जिसके फलस्वरूप ₹ 6.73 करोड़ समेकित शुल्क और प्राधिकरण शुल्क का उदग्रहण नहीं हुआ।

मो.वा. अधिनियम और के.मो.वा. नियमावली के अनुसार राष्ट्रीय परमिट पाँच साल की अवधि के लिए जारी किए जाते हैं। राष्ट्रीय परमिट के लिए प्राधिकार पत्र एक बार में एक वर्ष के लिए निर्गत किया जाता है और यह तब तक वैध रहता है जब तक कि परमिट की वैधता समाप्त नहीं हो जाती है या परमिट धारक द्वारा इसे अभ्यर्पित नहीं कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय परमिट के प्राधिकार पत्र को निर्धारित

वार्षिक समेकित शुल्क और प्राधिकरण शुल्क के अग्रिम भुगतान पर नवीनीकृत किया जाएगा तथा विलंब की दशा में निर्धारित दरों पर अर्थदण्ड आरोपित किया जायेगा।

लेखापरीक्षा ने पाँच क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार (क्षे.प.प्रा.) द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनाओं और अभिलेखों की नमूना जाँच (अगस्त 2019 और मार्च 2020 के बीच) में पाया कि वर्ष 2015 और 2019 के बीच उनके द्वारा 16,342 राष्ट्रीय परमिट जारी किए गए थे। आगे की जाँच से पता चला है कि 1,515 मामलों में राष्ट्रीय परमिट के अनुवर्ती प्राधिकरण को परमिट की आवधि में नवीनीकृत नहीं किया गया। इन वाहनों के परिचालन से बाहर होने या परमिट अभ्यर्पण करने संबंधी कोई भी अभिलेख नहीं थे। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ने पाया कि *VAHAN* सॉफ्टवेयर में उपलब्ध राष्ट्रीय परमिट मॉड्यूल प्राधिकरण की समय सीमा समाप्त हुए परमिटों की सूची जनन नहीं कर सकता था और इसमें परमिट अभ्यर्पण के प्रावधान को भी शामिल नहीं किया गया था। विभाग ने प्राधिकरण के नवीनीकरण की निगरानी भी नहीं की, जिसके परिणामस्वरूप अर्थदण्ड सहित समेकित शुल्क और प्राधिकरण शुल्क ₹ 6.73 करोड़ की वसूली नहीं हुई।

सरकार ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया (नवंबर 2020) और बताया कि तीन क्षे.प.प्रा.[30] में 120 वाहनों के राष्ट्रीय परमिट के प्राधिकरण का नवीनीकरण किया गया और ₹ 47.72 लाख की वसूली हुई। इसके अतिरिक्त, सभी क्षे.प.प्रा. को संबंधित वाहन स्वामियों को माँग पत्र जारी करने के लिए निर्देशित किया गया है।

2.1.12.10 पारस्परिक समझौतों के अंतर्गत परिचालित वाहनों से कर की वसूली

कर प्रमादी वाहनों पर नियंत्रण तंत्र के अभाव में 108 सार्वजनिक सेवा वाहन, जिनका परिचालन परस्परिक समझौते के तहत हो रहा था, से ₹ 1.66 करोड़ कर और अर्थदण्ड की वसूली नहीं हुई।

मो.वा. अधिनियम की धारा 88(5) में प्रावधान है कि एक राज्य में निबंधित परिवहन वाहन दूसरे राज्यों में सरकारों के बीच पारस्परिक समझौतों के तहत परिचालित किये जा सकते हैं। तदनुसार, झारखण्ड राज्य ने उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्यों से पारस्परिक समझौते जनवरी 2003 में, बिहार के साथ अप्रैल 2007 में और छत्तीसगढ़ के साथ सितम्बर 2008 में किया, जिससे सार्वजनिक सेवा वाहन इन राज्यों में परिचालन कर सके। सार्वजनिक सेवा वाहनों, जिसे अंतर-राज्य परमिट दिया गया था, के लिए एक दोहरे बिंदु कराधान प्रणाली को अपनाया गया था और अन्य राज्यों में संचालन के दौरान वाहन अन्य राज्यों के सभी करों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

परिवहन आयुक्त के कार्यालय में पारस्परिक समझौतों के तहत अन्य राज्यों की बसों की कर स्थिति की जाँच में पाया गया कि 901 बसों में से 108 बसों के स्वामी कर प्रमादी थे। वाहन मालिक नए शुरू किए गए *sPERMIT* पोर्टल के माध्यम से कर का ऑनलाइन भुगतान कर सकते थे, लेकिन पोर्टल में प्रमादियों को चिन्हित करने का प्रावधान

[30] दुमका, हजारीबाग और कोल्हान।

उपलब्ध नहीं था। इस प्रकार कर प्रमादी वाहनों की सूची नहीं बनाई जा सकी। विभाग ने इन वाहनों के कर भुगतान की निगरानी नहीं की, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.10 करोड़ अर्थदण्ड सहित ₹ 1.66 करोड़ कर राजस्व की वसूली नहीं हुई।

सरकार ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया (नवंबर 2020) और कहा कि पारस्परिक समझौते के तहत परिचालित प्रमादी वाहनों की रोकथाम के लिए एक अभियान शुरू किया जाएगा।

2.1.12.11 सेवा कर/जी.एस.टी. का समुचित शीर्ष में जमा

दुरुस्ती शुल्क के साथ सेवा कर/जी.एस.टी. की संग्रहित राशि ₹ 7.59 करोड़ को समुचित शीर्ष में जमा नहीं करना।

सेवा कर नियमों के प्रावधानों के साथ पठित परिवहन आयुक्त, झारखण्ड, राँची के दिसम्बर 2006 और मई 2007 में जारी किए गए कार्यकारी निर्देश के अनुसार दुरुस्ती प्रमाण-पत्र जारी करते समय दुरुस्ती शुल्क के साथ निर्धारित दर पर सेवा कर/जी.एस.टी. का आरोपण करना था। मोटर वाहन निरीक्षक (एम.भी.आई.) को एक सेवा कर निबंधन संख्या खोलने और एकत्रित राशि को शीर्ष "0044-जी.एस.टी." में जमा करने के लिए निर्देशित किया गया था। सेवा कर जून 2017 तक प्रभावी था और उसके पश्चात जी.एस.टी. के अन्दर आ गया।

चयनित जिला परिवहन कार्यालयों में रियल टाइम डाटा से सेवा कर/जी.एस.टी. संग्रहण के आंकड़ें प्राप्त किया गया। यह देखा गया कि वर्ष 2016-19 के दौरान वाहनों के दुरुस्ती प्रमाण-पत्र जारी करते समय सेवा कर/जी.एस.टी. मद में कुल ₹ 7.59 करोड़ राजस्व का संग्रहण हुआ। एकत्रित राशि को शीर्ष "0044" के बदले शीर्ष "0041-वाहनों पर करों" के अंतर्गत जमा किया गया, जो अनियमित था। विभाग ने सेवा कर/जी.एस.टी. राशि को वाहनों पर कर के अंतर्गत जमा किया, जिससे लेखा शीर्ष में राजस्व प्राप्ति आंकड़े गलत दर्शाये गये।

यह मामला 31 मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियाँ) के निष्पादन लेखापरीक्षा "परिवहन विभाग में कम्प्यूटरीकरण" की कंडिका 4.8.9.14 और 31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियाँ) के निष्पादन लेखापरीक्षा "प्रदूषण मानकों के अनुपालन पर जोर देने के साथ परिवहन विभाग के कामकाज" की कंडिका 4.3.22 में इंगित किया गया था। सरकार ने एन.आई.सी. को निर्देश दिया था (नवंबर 2011) कि तालिका संरचना में इस तरह का बदलाव किया जाए ताकि जी.एस.टी. की राशि की गणना अलग से की जा सके और उसे उपयुक्त लेखा शीर्ष में हस्तांतरित किया जा सके। हालांकि, विभाग द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है और अनियमितता अभी भी विद्यमान है।

सरकार ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया (नवम्बर 2020) और कहा कि इस विषय पर एन.आई.सी. के साथ चर्चा की जाएगी ताकि एक प्रणाली विकसित की जा सके

और दुरुस्ती शुल्क की वसूली के समय संग्रहित जी.एस.टी की राशि उचित लेखा शीर्ष में जमा की जा सके। बहिर्गमन सम्मेलन में सचिव ने कहा (दिसम्बर 2020) कि एन.आई.सी. और केंद्रीय कर राजस्व विभाग के परामर्श से स्रोत पर ही जी.एस.टी कटौती के उपाय विकसित किए जाएंगे। हालांकि, पूर्व संग्रहीत सेवा कर/जी.एस.टी. राशि पर विभाग मौन रहा।

2.1.13 निष्कर्ष

विभाग ने जनवरी और मार्च 2019 में वैयक्तिक और परिवहन वाहनों पर करारोपण के प्रावधानों में संशोधन किया तथा कर और शुल्क संरचना में संशोधन के साथ-साथ नए करों को भी लागू किया। संशोधन में कुछ परिवहन वाहनों को आजीवन कर/ओ.टी.टी. के दायरे में लाया गया। हालांकि, कर के विलंबित भुगतान के लिए अर्थदण्ड लगाने का कोई प्रावधान नहीं किया गया था और कुछ मामलों में कर वैधता की अवधि निर्दिष्ट नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त, इन वाहनों के अस्थायी निबंधन पर कर संबंधी प्रावधान नहीं थे और पूर्व से निबंधित वाहनों पर ओ.टी.टी. का प्रतिशत, जैसा कि वैयक्तिक वाहनों के मामले में था, अनुपस्थित था। इसके अतिरिक्त, अधिनियम राज्य से वाहन हस्तांतरण के मामले में ओ.टी.टी. की वापसी के लिए दर की चार्ट प्रावधानित नहीं किया।

एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर में इन संशोधनों के कार्यान्वयन को निष्पादित करते समय विभाग संशोधनों को अनुप्रयोगों में कुशल और सटीक रूप से शामिल करने के लिए एक प्रभावी योजना तैयार नहीं कर सका। पाँच से 13 दिनों तक संशोधनों को शामिल करने में विलंब हुआ और साथ ही गलत और अपूर्ण रूप से सम्मिलित करने के कारण क्रमशः ₹ 5.63 करोड़ कम और ₹ 59.32 लाख के अधिक राजस्व का आरोपण हुआ। परिवहन आयुक्त और जि.प.प. कार्यालय संशोधित दरों की अधिसूचनाओं के बाद भी क्रमशः पाँच और 13 दिनों तक संशोधन पूर्व की दरों पर कर एकत्र करते रहे। विभाग के गतिविधियों के लिए कम्प्यूटरीकरण के कार्यान्वयन के 16 साल बाद भी *VAHAN* एप्लिकेशन के कुछ मॉड्यूल यथा, वर्तमान पता दर्ज के लिए अनापति प्रमाण-पत्र जमा करने, व्यापार कर का मूल्यांकन तथा संग्रहण और स्थानीय निबंधन चिन्ह आवंटित करने जैसी गतिविधियाँ सम्मिलित नहीं थे। इसके परिणामस्वरूप 3,928 वाहनों पर ₹ 81.23 लाख के लंबित मूल्यांकन, 764 वाहनों से स्थानीय निबंधन चिन्ह आवंटन के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र जमा करने में विलंब पर ₹ 17.42 लाख अतिरिक्त शुल्क और ₹ 15.12 लाख व्यापार कर और अर्थदण्ड का अवनिर्धारण हुआ। विभाग द्वारा राज्य में परिवहन वाहनों के धुरी भार को संशोधित करने के लिए एक व्यापक योजना विकसित नहीं की जा सकी, परिणामस्वरूप भारत सरकार द्वारा संशोधन के एक वर्ष से अधिक के बाद भी 76 प्रतिशत वाहनों के धुरी भार संशोधित नहीं हुए। लेखापरीक्षा ने 15,507 वाहनों की जाँच किया और पाया कि धुरी भार के पुनरीक्षण न करने के कारण ₹ 6.95 करोड़ की कम वसूली हुई। विभाग को अभी भी एक ऐसी प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार करनी है, जिसके तहत प्रमादियों से करों और शुल्क को समय पर और कुशल तरीके से वसूल किया जा सके, जिसके परिणामस्वरूप 39,630 परिवहन वाहनों से ₹ 120.60 करोड़, 1,515

राष्ट्रीय परमिट धारकों से ₹ 6.73 करोड़ और 6,498 वाहनों, जिनका दुरुस्ती प्रमाण-पत्र समाप्त हो गया था, से ₹ 22.82 करोड़ कर और शुल्क संग्रह नहीं हुआ।

2.1.14 अनुशंसाओं का सारांश

सरकार/विभाग को चाहिए:

- एप्लिकेशन सॉफ़्टवेयर में व्यावसायिक नियमों को शामिल करने की प्रणाली की समीक्षा करे और प्रावधानों का समयबद्ध, सटीक और पूर्ण रुप से शामिल करना सुनिश्चित करे।
- निबंधन पदाधिकारियों को वाहनों के निबंधन प्रमाण-पत्र में केवल उन वित्तपोषकों के पक्ष में बंधक दर्ज करने का निर्देश दें जिनके पास वैध व्यापार प्रमाण-पत्र हो।
- कर भुगतान स्वीकार करते समय दुरूस्ती प्रमाण-पत्र की वैधता का पता लगाने के लिए निगरानी तंत्र विकसित करने के लिए एप्लिकेशन सॉफ़्टवेयर को संशोधित करे।
- अनिबंधित सार्वजनिक वाहक/ट्रांसपोर्टरों की पहचान करने के लिए डाटा/सूचना के अंतर-विभागीय आदान-प्रदान के लिए एक तंत्र तैयार करे।
- एक प्रणाली विकसित करे ताकि प्रमादियों को निश्चित अंतराल पर ईमेल/SMS के माध्यम से माँग पत्र दिए जा सके।
- दुरूस्ती शुल्क के संग्रहण की प्रणाली को इस तरह से विकसित करे कि सेवा कर/जी.एस.टी. को उपयुक्त शीर्ष में सुचारू हस्तांतरण की सुविधा के लिए अलग हो जाए।

सरकार/विभाग ने लेखापरीक्षा द्वारा की गई सभी सिफारिशों को स्वीकार किया और सुधारात्मक उपाय करने का आश्वासन दिया।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष चयनित नमूने जाँच के आधार पर निकाले गए हैं और संभावना है कि राज्य में मोटर वाहन कर और शुल्क के मूल्यांकन और संग्रहण करने वाले अन्य कार्यालयों में समान तरह की अनियमितताएँ हो। परिवहन विभाग इन मामलों की गहन जाँच राज्य के सभी जिलों में कर आवश्यक कार्रवाई कर सकती है।

अध्याय-III: अनुपालन लेखापरीक्षा

वाणिज्य कर विभाग

3.1 कर प्रशासन

बिक्री कर/मूल्यवर्द्धित कर और केन्द्रीय बिक्री कर का आरोपण और संग्रहण झारखण्ड मूल्यवर्धित कर (झा.मू.व.क.) अधिनियम, 2005, केन्द्रीय बिक्री कर (के.बि.क.) अधिनियम, 1956 और उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा शासित होते थे। 01 जुलाई, 2017 से, विभाग राज्य में झारखण्ड वस्तु एवं सेवा कर (झा.व.एवं.से.क.) प्रशासित कर रहा है। राज्य कर आयुक्त वाणिज्यकर विभाग (वा.क.वि.) में झा.व.एवं.से.क. अधिनियम एवं नियमों के प्रशासन के लिए उत्तरदायी हैं और उन्हें अपर आयुक्त, संयुक्त आयुक्तों, उप आयुक्तों एवं सहायक आयुक्तों द्वारा सहयोग किया जाता है।

राज्य पाँच राज्य कर प्रमंडलो[31], प्रत्येक संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) के प्रभार में एवं 28 अंचलों, प्रत्येक राज्य कर उपायुक्त/सहायक आयुक्त (रा.क.उ.आ./रा.क.स.आ.) के प्रभार में विभाजित है। अंचल के वा.क.उ.आ./वा.क.स.आ., जिन्हें राज्य कर पदाधिकारियों का सहयोग प्राप्त होता है, सरकार को देय कर का आरोपण और संग्रहण के अलावे सर्वेक्षण के लिए भी उत्तरदायी हैं। राज्य कर संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) को सहयोग करने के लिए प्रत्येक प्रमंडल में एक उपायुक्त (अणवेषण ब्यूरो) पदस्थापित होते हैं तथा वह करदाताओं के गोदाम या मालखानों के निरीक्षण, वस्तुओं या दस्तावेजों की जाँच एवं ज़ब्ती, वस्तुओं के आवागमन का निरीक्षण एवं इस अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय अपराधों के लिए किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के कार्य का निर्वहन करते हैं।

3.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

लेखापरीक्षा ने वर्ष 2018-19 के दौरान, वाणिज्यकर विभाग (वा.क.वि.) के लेखापरीक्षा योग्य 44 इकाइयों में से छह इकाइयों[32] (16 प्रतिशत) के अभिलेखों का नमूना जाँच किया। लेखापरीक्षा में आच्छादित अवधि में, राज्य में कुल 2,28,771 करदाता निबंधित थे जिनमें से 24,796 करदाता नमूना जाँच किये गये अंचलों में निबंधित थे तथा लेखापरीक्षा के द्वारा 668 कर-निर्धारण अभिलेखों का जाँच किया गया। इसके अलावा "झारखण्ड में विद्युत शुल्क का आरोपण एवं संग्रहण का तंत्र" पर एक लेखापरीक्षा भी किया गया। विभाग ने 2017-18 के दौरान ₹ 3,684.03 करोड़ के राजस्व का संग्रहण किया (बिक्री, व्यापार आदि पर कर: ₹ 3,474.96 करोड़ और विद्युत शुल्क ₹ 209.07 करोड़) जिसमें से लेखापरीक्षित इकाइयों ने ₹ 1,623.96

---

[31] धनबाद, दुमका, हजारीबाग, जमशेदपुर और राँची।

[32] राज्य कर उपायुक्त का कार्यालय, धनबाद नागरीय, हजारीबाग, लोहरदगा, राँची पूर्वी एवं राँची पश्चिमी; तथा राज्य कर के सचिव-सह-आयुक्त का कार्यालय।

करोड़ (44 प्रतिशत) का संग्रहण किया। लेखापरीक्षा ने अधिनियम/नियमों के अनुपालन नहीं होने के फलस्वरूप 125 मामलों में सन्निहित ₹ 1,749.39 करोड़ के राजस्व के अवनिर्धारण का पहचान किया, जैसा **तालिका-3.1** में विवरणित है।

तालिका-3.1: राजस्व का अवनिर्धारण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	श्रेणियाँ	मामलों की सं	राशि
1	झारखण्ड में विद्युत शुल्क का आरोपण एवं संग्रहण का तंत्र	1	1,394.16
2	आवर्त के छिपाव के कारण कर का नहीं/ कम आरोपण	45	245.78
3	ब्याज का कम/ नहीं आरोपण	10	48.10
4	अर्थदण्ड/ब्याज का नहीं आरोपण	7	14.27
5	गलत आवर्त निर्धारण के कारण कर का नहीं/ कम आरोपण	15	12.59
6	कर से छूट की अनियमित अनुमति	10	6.80
7	इनपुट टैक्स क्रेडिट की गलत अनुमति	15	2.62
8	कर के गलत दर का अनुप्रयोग	4	0.10
9	अन्य मामलें	18	24.97
कुल		**125**	**1,749.39**

विभाग ने 11 मामलों में ₹ 1,430.09 करोड़ के कर अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया, जिसमें से नौ मामलों में सन्निहित ₹ 1,424.77 करोड़ वर्ष 2018-19 में एवं शेष पूर्ववर्ती वर्ष 2017-18 के दौरान निर्गत किये गये निरीक्षण प्रतिवेदन में इंगित किए गये थे। विभाग द्वारा ₹ 1.03 करोड़ की वसूली सूचित किया गया है।

कण्डिका 3.4 से 3.7 में मूल्यवर्द्धित कर से सम्बंधित ₹ 35.95 करोड़ के आठ अनियमितताओं को दर्शाया गया है। इसी प्रकार की अनियमितताएँ पिछले पाँच वर्षों के दौरान बार-बार प्रतिवेदित की गई है, जैसा कि **तालिका-3.2** में वर्णित है।

तालिका-3.2: पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में अवलोकनों की प्रकृति

(₹ करोड़ में)

अवलोकनों की प्रकृति	2013-14		2014-15		2015-16		2016-17		2017-18		कुल	
	मामले	राशि	मामले	राशि	मामले	राशि	मामले	राशि	मामले	राशि	मामले	राशि
क्रय/विक्रय आवर्त का छिपाया जाना	44	222.28	69	169.03	18	284.10	108	405.37	1	1.10	240	1,081.88
कर के गलत दर का अनुप्रयोग	51	37.76	22	6.96	22	15.44	21	11.07	-	-	116	71.23
अस्वीकृत छूटों/ रियायतों पर ब्याज का आरोपण नहीं	46	60.02	52	72.58	19	119.92	62	142.00	6	10.95	185	405.47
बढाए गये आवर्त पर अर्थदण्ड/ब्याज का नहीं आरोपण	10	17.71	17	60.73	15	53.14	-	-	2	3.93	44	135.51

विभाग ने पूर्व के लेखापरीक्षा अवलोकनों पर सुधारात्मक कारवाई का आश्वासन दिया था (अगस्त 2015)। हालांकि, अनियमितताओं की पुनरावृत्ति यह स्पष्ट करती है कि राज्य सरकार एवं वाणिज्य कर विभाग ने लेखापरीक्षा द्वारा साल दर साल इंगित की गई अनियमितताओं को दूर करने के लिए कोई उचित उपाय नहीं किया है।

3.3 "झारखण्ड में विद्युत शुल्क का आरोपण एवं संग्रहण का तंत्र" पर लेखापरीक्षा

3.3.1 प्रस्तावना

झारखण्ड में विद्युत शुल्क का आरोपण एवं संग्रहण झारखण्ड सरकार द्वारा अंगीकृत (दिसम्बर 2000) बिहार विद्युत शुल्क (बि.वि.शु.) अधिनियम, 1948 और बिहार विद्युत शुल्क नियमावली, 1949 और झारखण्ड विद्युत शुल्क (झा.वि.शु.) (संशोधित) अधिनियम, 2011 एवं झारखण्ड विद्युत शुल्क (संशोधित) नियमावली, 2011, 2012 द्वारा संशोधित और उसके अधीन समय-समय पर जारी की गई अधिसूचनाएँ द्वारा शासित होती है।

वाणिज्यकर विभाग (वा.क.वि.), झारखण्ड सरकार अधिनियम में विनिर्दिष्ट दरों पर लाइसेंसधारियों, कैप्टिव उत्पादक संयंत्रों और थोक उपभोक्ताओं से विद्युत शुल्क एकत्र करती है। कैप्टिव उत्पादक संयंत्रों और थोक उपभोक्ताओं को विवरणी जमा करना और विद्युत शुल्क का भुगतान करना आवश्यक है जबकि लाइसेंसधारियों को थोक खरीदारों के अलावा अन्य उपभोक्ताओं से विद्युत शुल्क संग्रहण कर और विद्युत शुल्क का भुगतान करना है। मुख्य विद्युत निरीक्षक (मु.वि.नि.), ऊर्जा विभाग, झारखण्ड, भारतीय विद्युत अधिनियम, 1956 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत, उस प्रयोजन के लिए निर्धारित वार्षिक शुल्क के भुगतान पर विद्युत प्रतिष्ठानों/डी.जी. सेटों को वार्षिक दुरूस्ती प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिए उत्तरदायी हैं। झारखण्ड में छः वितरण लाइसेंसधारी हैं।

राज्य कर आयुक्त (रा.क.आ.) अधिनियम और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों को लागू करने के लिए उत्तरदायी हैं। रा.क.आ. को अतिरिक्त आयुक्त (अ.आ.), राज्य कर संयुक्त आयुक्तों, संयुक्त आयुक्त (सं.आ.) राज्य कर के अन्वेषण ब्यूरो के साथ राज्य कर के अन्य उपायुक्तों/सहायक आयुक्तों (उ.आ./स.आ.) का सहयोग प्राप्त होता है।

मुख्य विद्युत निरीक्षक (मु.वि.नि.) विद्युत प्रतिष्ठानों को वार्षिक दुरूस्ती प्रमाण-पत्र देने के लिए उत्तरदायी है। उनकी सहायता एक वरिष्ठ विद्युत निरीक्षक और सचिव लाइसेंसिंग बोर्ड के साथ एक विद्युत निरीक्षक और अन्य सहायक/कनिष्ठ विद्युत निरीक्षकों द्वारा की जाती है।

चार्ट-3.1

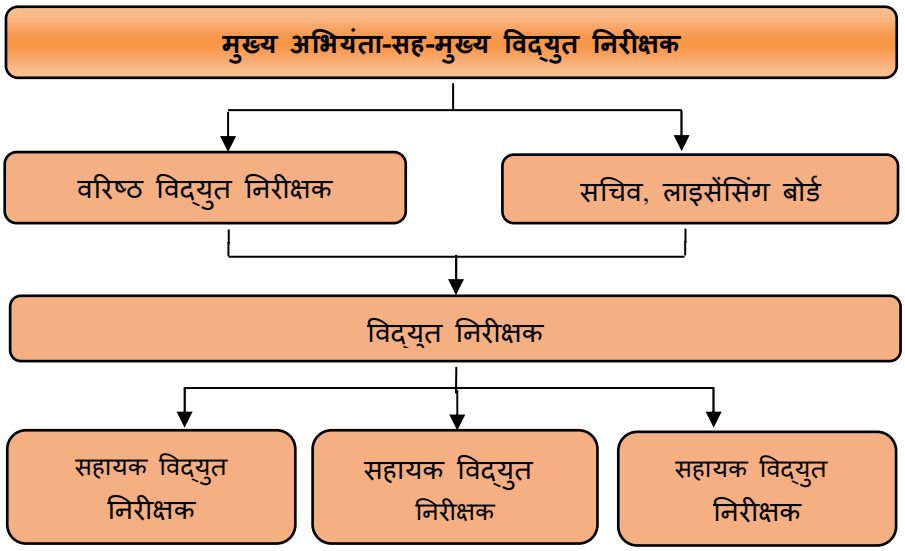

3.3.2 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

लेखापरीक्षा यह पता लगाने के लिए किया गया था कि:

- राज्य में विद्युत शुल्क का आरोपण और संग्रहण की प्रणाली प्रभावी और कुशल थी; और
- विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट देने के लिए निर्धारित मानदंड का कड़ाई से पालन किया जाता था।

3.3.3 लेखापरीक्षा क्षेत्र और कार्यप्रणाली

लेखापरीक्षा 2014-19 की अवधि के लिए 28 में से 14 वाणिज्यकर अंचलों[33] में जून 2019 और मार्च 2020 के बीच किया गया था। प्रत्येक अंचल द्वारा 2014-19 के दौरान सृजित राजस्व के आधार पर उच्च, मध्यम और निम्न जोखिम में वर्गीकृत करके अप्रतिस्थापन सरल यादृच्छिक प्रतिचयन पद्धति का उपयोग करके इन 14 अंचलों को चयन किया गया था।

प्रवेश और बहिर्गमन सम्मेलन क्रमशः 18 जुलाई 2019 और 04 दिसम्बर 2020 को वा.क.वि. के सचिव-सह-आयुक्त, झारखण्ड के साथ आयोजित किए गए थे जिसमें लेखापरीक्षा के उद्देश्य, क्षेत्र और कार्यप्रणाली, अवलोकनों, निष्कर्ष और अनुशंसाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। विभाग ने विशेष रूप से पड़ोसी राज्यों के साथ राजस्व तुलना और त्रियक-जाँच के साथ संयुक्त भौतिक सत्यापन के माध्यम से पता लगाए गए अवलोकनों की सराहना की। सरकार/विभाग की प्रतिक्रिया को उपयुक्त रूप से प्रतिवेदन में शामिल किया गया है।

---

[33] आदित्यपुर, बोकारो, चिरकुंडा, देवघर, धनबाद, गिरीडीह, हज़ारीबाग, कोडरमा, जमशेदपुर, जमशेदपुर नागरीय, झरिया, रामगढ, राँची दक्षिणी और तेनुघाट।

लेखापरीक्षा ने मुख्य विद्युत निरीक्षक (मु.वि.नि.) कार्यालय, राँची से आंकड़े/जानकारी एकत्र किया, जो विद्युत प्रतिष्ठानों के लिए दुरुस्ती प्रमाण-पत्र जारी करता है और कैप्टिव उर्जा संयंत्रों सहित विद्युत प्रतिष्ठानों से सम्बंधित शुल्क प्राप्त करता है। लेखापरीक्षा ने दामोदर घाटी निगम (द.घा.नि.), कोलकाता और झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (झा.बि.वि.नि.लि.), राँची से भी ऊर्जा की बिक्री/आपूर्ति/ हस्तांतरण का आंकड़ा एकत्र किया। एकत्र किए गए आंकड़े/जानकारी को वा.क.वि. के पंजीकरण और कर निर्धारण अभिलेखों के साथ त्रियक-जाँच किया गया। लेखापरीक्षा ने चयनित वाणिज्य कर अंचलों में पंजीकृत 559 विद्युत शुल्क निर्धारितियों में से 387 के कर निर्धारण अभिलेखों (69.23 प्रतिशत) का यादृच्छिक चयन कर जाँच भी किया।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

3.3.4 राजस्व प्रबंधन

3.3.4.1 विद्युत शुल्क संग्रहण

झारखण्ड सरकार द्वारा अंगीकृत बिहार बजट नियमावली के प्रावधानों के अनुसार, वित्तीय वर्ष में प्राप्त होने वाली अपेक्षित राशि को राजस्व प्राप्तियों के अनुमान के रूप में दिखाना चाहिए। वर्तमान माँग और बकाया को अलग-अलग दिखाया जाना चाहिए, यदि पूर्ण वसूली नहीं हो सके तो, कारण दिया जा सकता है। राजस्व में उतार-चढ़ाव के मामले में, अनुमान पिछले तीन साल की प्राप्तियों की तुलना पर आधारित होना चाहिए।

2014-19 के दौरान विद्युत पर शुल्क और कर के संशोधित अनुमान और वास्तविक प्राप्तियों को **तालिका-3.3** में दर्शायी गई है।

तालिका-3.3: अनुमान और विद्युत शुल्क से वास्तविक प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

वर्ष	संशोधित अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ				विचलन आधिक्य (+)/ कमी (-) (कॉलम 3-2)	विचलन की प्रतिशतता (कॉलम 2 से कॉलम 4 की)
		विद्युत शुल्क	निरीक्षण फीस	अन्य	कुल		
1	2	3				4	5
2014-15	193.82	171.20	4.20	00	175.40	(-) 18.42	(-) 09.50
2015-16	220.00	120.62	5.06	00	125.68	(-) 94.32	(-) 42.87
2016-17	250.00	148.19	3.16	0.54	151.89	(-) 98.11	(-) 39.24
2017-18	300.00	181.63	0.00	1.87	183.50	(-) 116.50	(-) 38.83
2018-19	280.00	207.00	0.30	1.77	209.07	(-)70.93	(-) 25.33

स्रोत: झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे और संशोधित अनुमान के अनुसार 2014-15 से 2018-19 के राजस्व और प्राप्तियों की विवरणी।

बजट तैयार करने के लिए मानदंड, राजस्व संग्रह और पिछले वर्षों की बढोतरी दर, प्रमुख क्षेत्रों एवं वस्तुओं का विकास दर और राज्य एवं राष्ट्र की आर्थिक विकास दर पर आधारित है। हालाँकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2014-15 को छोड़कर, बजट अनुमानों और वास्तविक प्राप्तियों के बीच 25 और 43 प्रतिशत के बीच व्यापक भिन्नता थी। 2014-15 की तुलना में 2015-16 और 2016-17 के दौरान प्राप्तियों में कमी आई थी। विभाग ने कहा (मार्च 2020) कि विद्युत शुल्क प्राप्तियों में 2015 और 2019 के बीच वृद्धि, बेहतर कर प्रशासन के कारण थी लेकिन थोक खरीदारों द्वारा विद्युत शुल्क का भुगतान नहीं करने के कारण संबंधित वर्षों के बजट अनुमानों के साथ तालमेल नहीं रखा जा सका।

विभाग ने अपने उत्तर में कहा (जुलाई 2020) कि बजट अनुमान वित्त विभाग द्वारा पिछले वर्ष के दौरान प्राप्तियों, पिछले वर्ष की आर्थिक विकास दर, क्षेत्र की विकास दर आदि के आधार पर तैयार किए जाते हैं।

बहिर्गमन सम्मलेन में लेखापरीक्षा अवलोकन से वा.क.वि. सहमत हुआ और कहा (दिसम्बर 2020) कि उचित कार्रवाई की गई है।

3.3.4.2 राजस्व के बकाये

वा.क.वि. ने 31 मार्च 2019 तक के विद्युत शुल्क से संबंधित राज्य के राजस्व की कुल बकाया राशि प्रस्तुत नहीं किया, यद्यपि इसकी माँग (जून 2019) की गई थी। अत: लेखापरीक्षा ने 2014-19 के लिए 14 चयनित अंचलों से बकाया विद्युत शुल्क की जानकारी एकत्र किया, जिसे **तालिका-3.4** में दर्शाया गया है।

तालिका-3.4: 14 अंचलों में बकाया विद्युत शुल्क

(₹ करोड़ में)

अवधि	प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान योग	कुल	वर्ष के दौरान की गई भुगतान	अंत शेष
2014-15	222.54	40.07	262.61	38.87	223.74
2015-16	223.74	77.32	301.06	19.82	281.24
2016-17	281.24	46.05	327.29	18.10	309.19
2017-18	309.19	83.55	392.74	18.14	374.60
2018-19	374.60	20.07	394.67	32.71	361.96

चयनित अंचलों में, राजस्व का बकाया 2014-15 में ₹ 222.54 करोड़ से बढ़कर 2018-19 में ₹ 361.96 करोड़ हो गया; यानी 62.65 प्रतिशत की वृद्धि हुई। हालांकि, ये अंचल कुल मामले, बकाया राशि का वर्ष-वार विश्लेषण और बकाया राशि का अद्यतन स्थिति प्रस्तुत करने में असमर्थ थे। लम्बित बकाया राशि के बारे में लेखापरीक्षा द्वारा पूछे गये प्रश्न के जवाब में, रा.क.उ.आ./रा.क.स.आ. द्वारा कहा गया कि किसी भी मामले में निलामपत्र वाद की कार्यवाही शुरू नहीं की गई थी। हालांकि, हजारीबाग वाणिज्य कर अंचल में, एक मामला माननीय उच्च न्यायालय में लंबित था और आदित्यपुर वाणिज्य कर अंचल में, 15 मामले अपीलीय प्राधिकारी के

अधीन लंबित थे। तदन्तर, चयनित अंचलों में कर निर्धारण अभिलेखों की जाँच से पता चला कि छह अंचलों[34] में, नवम्बर 2012 और दिसम्बर 2019 के बीच 191 मामलों में ₹ 208.98 करोड़ की माँग पत्र जारी किए गए थे, लेकिन माँग पत्र के खिलाफ संग्रहण के बारे में जानकारी न तो संबंधित आभिलेखों में उपलब्ध थी और न ही लेखापरीक्षा को सूचित की गई। यह इंगित करता है कि वा.क.वि./अंचलों में राजस्व के बकाया और इसमें सम्महित मामलों की समेकित जानकारी नहीं थी।

विभाग ने अपने उत्तर में कहा (जुलाई 2020) कि सभी अंचलों को बकाया राशि की विवरणी प्रस्तुत करने और उन्हें वसूल करने के लिए सभी तरीकों को अपनाने का निर्देश दिया गया है। तदन्तर, दिसम्बर 2020 में, यह कहा गया था कि झा.रा.वि.प. और झा.रा.बि.वि.नि.लि. पर कुल बकाया राशि ₹ 450.62 करोड़ थी और इनसे 2019-20 और 2020-21 के दौरान क्रमशः ₹ 26.21 करोड़ और ₹ 14.68 करोड़ की वसूली की गयी।

3.3.5 त्रियक-जाँच के परिणाम

दामोदर घाटी निगम, कोलकाता और झारखण्ड बिज़ली वितरण निगम लिमिटेड, राँची से झारखण्ड में विभिन्न उपभोक्ताओं को ऊर्जा की बिक्री/हस्तांतरण से संबंधित आंकड़े/जानकारी एकत्र की गई जबकि विद्युत प्रतिष्ठानों में विद्युत संयत्र प्रतिस्थापन (डीजल उत्पादन संयत्र) को दिए गए दुरुस्ती प्रमाण-पत्रों का विवरण मु.वि.नि. से एकत्र किया गया। लेखापरीक्षा ने वाणिज्यकर विभाग के संबंधित अंचल में उपलब्ध अभिलेखों के साथ इस आंकड़ों का त्रियक-जाँच किया और यादृच्छिक तरीके से डी.जी. सेट मालिकों के परिसर में संयुक्त रूप से भौतिक सत्यापन भी किया। लेखापरीक्षा ने वा.क.वि. में विद्युत ऊर्जा की बिक्री/हस्तांरण से संबंधित अंतर-निर्धारिती आभिलेखों का त्रियक-जाँच भी किया। त्रियक-जाँच के दौरान, कई अनियमितताएँ पाई गयी जिसकी चर्चा आगे कि कण्डिकाओं में की गई है।

3.3.5.1 डी.जी. सेट के माध्यम से ऊर्जा की खपत को जाँच करने के तंत्र का अभाव

वा.क.वि. ने निर्धारीतियों का निरीक्षण नहीं किया और डी.जी. सेटों से उत्पादित ऊर्जा की वास्तविक खपत से अनभिज्ञ था।

बि.वि.शु. नियमावली के नियम 19 और 19(अ) के साथ पठित नियम 16 के प्रावधानों के तहत प्रत्येक निर्धारिती, उसके द्वारा उत्पादित, वितरित, बिक्री या खपत की गई ऊर्जा की मात्रा को लेखापित करने के लिए मीटर लगाएगा। वा.क.वि. का निरीक्षण अधिकारी निर्धारिती के परिसर में प्रवेश कर सकता है और किसी भी मीटर पर एक सील लगा सकता है और निर्धारिती से ऊर्जा के उत्पादन/वितरण/बिक्री/ खपत के बारे में जानकारी/अभिलेख की माँग कर सकता है।

---

[34] आदित्यपुर, बोकारो, जमशेदपुर, जमशेदपुर नागरिय, झरिया और राँची दक्षिणी।

मु.वि.नि. से प्राप्त आंकड़े/जानकारी (जुलाई 2019 और मार्च 2020 के बीच) से पता चला कि 14 चयनित अंचलों में 454 इकाइयाँ 10 के.भी.ए. क्षमता से अधिक 673 डी.जी. सेट का उपयोग विद्युत ऊर्जा की कैपटीव खपत के लिए कर रही थीं। इन 454 इकाइयों में से, 363 डी.जी. सेटों का उपयोग करने वाले केवल 211 इकाइयाँ ही वा.क.वि. में पंजीकृत थे। आगे, अभिलेखों की जाँच से पता चला कि निरीक्षण अधिकारी द्वारा इन 211 निर्धारितियों में से किसी के भी परिसर में मीटर पर अतिरिक्त सील लगाने के लिए निरीक्षण नहीं किया गया था।

आगे, विभाग इन डी.जी. सेटों से उत्पन्न ऊर्जा की वास्तविक उत्पादन/खपत से अनभिज्ञ था क्योंकि डी.जी. सेटों से प्राप्त ऊर्जा के संबंध में निर्धारीतियों द्वारा दाखिल किए गए विवरणी की जाँच करने के लिए विभाग के पास कोई तंत्र नहीं था। अत: लेखापरीक्षा डी.जी. सेटों से ऊर्जा के उत्पादन/खपत को सुनिश्चित नहीं कर सकता था।

विभाग ने कहा (जुलाई और दिसम्बर 2020 के बीच) कि लेखापरीक्षा अवलोकन के अनुसरण में सभी अंचल प्रभारियों को निबंधित निर्धारितियों के डी.जी. सेटों का मीटर रीडिंग के लिए निरीक्षण करने और अनिबंधित धारकों के निबंधन के लिए मु.वि.नि. राँची से डी.जी. सेट धारकों का आँकड़ा प्राप्त करने, निरीक्षण और मीटर रीडिंग करने का निर्देश दिया गया है।

3.3.5.2 निर्धारितियों का निबंधन नहीं होना

अन्तर-विभागीय सूचना के आदान-प्रदान के तंत्र की अनुपस्थिति से, वा.क.वि. 287 डी.जी. सेटों का उपयोग करने वाले 222 व्यक्तियों/प्रतिष्ठानों, जो निबंधन के लिए उत्तरदायी थे, का पहचान करने में विफल रहा।

- **डी.जी. सेट धारकों का निबंधन नहीं होना**

झा.वि.शु. (संशोधित) नियमावली के नियम 3 के अनुसार, प्रत्येक निर्धारिती, जो शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, शुल्क के भुगतान के लिए उत्तरदायी होने की तारीख से 45 दिनों के अंदर निबंधन प्राधिकारी को निबंधन हेतु आवेदन करेगा।

लेखापरीक्षा ने मु.वि.नि. से एकत्र किए गए आंकड़ों का चयनित अंचलों के अभिलेखों से त्रियक-जाँच (जुलाई 2019 और जनवरी 2020 के बीच) किया जिससे पता चला कि चयनित 14 अंचलों में से 11 अंचलों[35] के 454 इकाइयों में से 287 डी.जी. सेटों का उपयोग करने वाले 222 इकाइयाँ, जिन्हें स्वयं निबंधन कराना और शुल्क भुगतान हेतु विवरणी दाखिल करना आवश्यक था, अनिबंधित थे। आगे, यह पाया गया था कि आंकड़े/जानकारी के अंतर-विभागीय आदान-प्रदान के लिए कोई तंत्र नहीं था। इस प्रकार, वा.क.वि. इन अनिबंधित इकाइयों को कर के दायरे में लाने के लिए उनकी

[35] आदित्यपुर, बोकारो, चिरकुंडा, धनबाद, गिरीडीह, हज़ारीबाग, जमशेदपुर, जमशेदपुर नागरीय, कोडरमा, रामगढ और राँची दक्षिणी।

पहचान नहीं कर सका। इसके परिणामस्वरूप विद्युत ऊर्जा की खपत/बिक्री का निर्धारण नहीं हुआ। अतः, विद्युत शुल्क (वि.शु.) के हानि को निर्धारित नहीं किया जा सका। आगे, यह देखा गया कि अधिनियम/नियमों में निबंधन नहीं कराने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान नहीं है।

भौतिक सत्यापन के परिणाम

आगे, लेखापरीक्षा ने 11 अंचलों जिसमें अनियमितता पाई गई थी में से 10 अंचलों[36] के 124 अनिबंधित डी.जी. सेट धारकों के परिसरों में से 45 का वा.क.वि. और मु.वि.नि. के अधिकारियों के साथ संयुक्त भौतिक सत्यापन (फरवरी और मार्च 2020 के मध्य) किया। यह देखा गया कि इन 45 डी.जी. सेट धारकों में से, 15 के मामलों में मीटर/डी.जी. सेट के खराब होने के कारण मीटर गणना नहीं किया जा सका। 30 मामलों में, उपयोग किये गए 46 डी.जी. सेटों की विस्तृत जाँच में, संयुक्त सत्यापन की तारीख तक विभिन्न उद्देश्यों के लिए डी.जी. सेटों के साथ लगे मीटरों के अनुसार 117.68 लाख विद्युत ऊर्जा इकाइयों (मानक मानदंडों के अनुसार गणित) के खपत का पता चला। इस प्रकार, वे ₹ 11.73 लाख विद्युत शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे, जिसे वसूल करने की आवश्यकता है।

विभाग ने कहा (दिसम्बर 2020) कि सुनवाई के लिए 22 निर्धारितियों को सूचना निर्गत की गई है और सात निर्धारितियों के विरुद्ध ₹ 4.43 लाख का अतिरिक्त माँग जारी की गई है, जिनमें से ₹ 2.31 लाख की वसूली की गई है।

- **थोक ऊर्जा उपभोक्ताओं का निबंधन न होना**

लाइसेंसधारियों से आंकड़े/सूचनाएँ प्राप्त करने के तंत्र की अनुपस्थिति से, 550 अनिबंधित थोक उपभोक्ताओं की पहचान करने में विभाग विफल रहा। इसके परिणामस्वरूप ₹ 16.57 करोड़ विद्युत शुल्क और ₹ 22.40 करोड़ का जुर्माना आरोपण नहीं किया गया।

झा.वि.शु. (संशोधित) नियमावली के नियम 11 के प्रावधानों के तहत, ऊर्जा की खपत पर शुल्क का आरोपण और भुगतान ऐसी औद्योगिक इकाइयों, खानों और अन्य वाणिज्यिक उपभोक्ताओं द्वारा किया जाएगा, जो किसी भी लाइसेंसधारी या विद्युत व्यापारी से ऊर्जा की थोक आपूर्ति प्राप्त करते हैं। आगे, बि.वि.शु. अधिनियम की धारा 5ए(2) प्रावधानित करता है कि शुल्क का भुगतान न करने पर, विहित प्राधिकारी देय शुल्क पर पहले तीन महीनों के लिए प्रति माह 2.5 प्रतिशत से कम नहीं से पाँच प्रतिशत तक और उसके बाद पाँच प्रतिशत से कम नहीं से 10 प्रतिशत तक का जुर्माना लगाएगा।

लेखापरीक्षा ने द.घा.नि./झा.बि.वि.नि.लि. से आंकड़े/सूचनाएँ एकत्र किया और देखा कि 2014-19 के दौरान चयनित 14 अंचलों में 1,378 थोक उपभोक्ता थे। लेखापरीक्षा ने

[36] आदित्यपुर, बोकारो, चिरकुंडा, धनबाद, गिरीडीह, हज़ारीबाग, जमशेदपुर, जमशेदपुर नागरीय, कोडरमा और रामगढ।

एकत्र किए गए आंकड़ों को 14 चयनित अंचलों के निबंधन अभिलेखों के साथ त्रियक जाँच किया और देखा कि 11 अंचलों[37] में 1,378 उपभोक्ताओं में से 550 उपभोक्ताओं (39.91 प्रतिशत) ने द.घा.नि./झा.बि.वि.नि.लि. से 2014-19 के दौरान 191.17 करोड़ यूनिट विद्युत ऊर्जा प्राप्त की और ऊर्जा बिपत्रों का भुगतान किया (अगस्त 2018 तक)।

हालांकि, वे वा.क.वि. में निबंधित नहीं थे और वि.शु. का भुगतान नहीं कर रहे थे। आगे यह देखा गया कि लाइसेंसधारियों से आंकड़े/सूचनाएँ प्राप्त करने के लिए कोई तंत्र नहीं था। परिणामस्वरूप, थोक आपूर्ति ऊर्जा के इन अनिबंधित उपभोक्ताओं की पहचान करने में विभाग विफल रहा। इसके फलस्वरूप ₹ 16.57 करोड़ वि.शु. और वि.शु. के भुगतान नहीं होने के कारण ₹ 22.40 करोड़ अर्थदण्ड का आरोपण नहीं किया गया। आगे, यह देखा गया कि अधिनियम/नियमावली में निबंधन नहीं कराने के लिए अर्थदण्ड लगाने का प्रावधान नहीं हैं। पड़ोसी राज्यों छत्तीसगढ़ और ओडिशा में वि.शु. के आरोपण और संग्रहण के प्रणाली के अध्ययन के दौरान यह देखा गया कि कैप्टिव जनरेटिंग प्लांट, थोक उपभोक्ताओं और बिजली के व्यापारियों को ऊर्जा विभाग से लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता होती है, जो लाइसेंसधारियों से वि.शु. का निर्धारण और संग्रहण करता है। हालांकि, झारखण्ड में कैप्टिव जेनरेटिंग प्लांट, बिजली के थोक उपभोक्ताओं और व्यापारियों को ऊर्जा विभाग से लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता होती है और वि.शु. के निर्धारण और संग्रहण के लिए खुद को वा.क.वि. में निबंधन कराना आवश्यक होता है। इस मामले में, ऊर्जा विभाग के लाइसेंसधारियों ने खुद को वा.क.वि. में निबंधित नहीं कराया।

विभाग ने सूचित किया (जुलाई और दिसम्बर 2020 के मध्य) कि लेखापरीक्षा अवलोकन के आलोक में 306 निर्धारीतियों के विरुद्ध ₹ 5.91 करोड़ की अतिरिक्त माँग का सृजन किया गया है जिसमें से ₹ 35.75 लाख की वसूली की गई है और शेष मामलों में नोटिस निर्गत किए गए हैं।

सरकार अंतर-विभागीय सूचना के आदान-प्रदान के लिए एक तंत्र तैयार करने और निबंधन नहीं कराने पर जुर्माना लगाने के प्रावधानों को बनाने पर विचार कर सकती है।

3.3.5.3 विद्युत ऊर्जा खरीद को छिपाया जाना

वास्तविक खपत की सूचनाओं के साथ विवरणी की जाँच करने के तंत्र की अनुपस्थिति के परिणामस्वरूप 482.31 करोड़ विद्युत ऊर्जा इकाइयों का छिपाव हुआ और इसके फलस्वरूप ₹ 24.85 करोड़ विद्युत शुल्क और ₹ 28.87 करोड़ अर्थदण्ड का कम आरोपण हुआ।

बि.वि.शु. अधिनियम की धारा 3 के साथ पठित झा.वि.शु. (संशोधन) नियमावली के नियम 7 के प्रावधानों के तहत, प्रत्येक निर्धारिती ऊर्जा की इकाइयों के खपत या

[37] आदित्यपुर, बोकारो, देवघर, धनबाद, गिरीडीह, हज़ारीबाग, जमशेदपुर, कोडरमा, रामगढ, राँची दक्षिणी और तेनुघाट।

बिक्री पर, संचरण और परिवर्तन में ऊर्जा के नुकसान को छोड़कर, उचित दरों पर शुल्क का भुगतान करेगा। आगे, बि.वि.शु. अधिनियम की धारा 5ए(2) के प्रावधानों के तहत अर्थदण्ड आरोप्य है।

द.घा.नि./झा.बि.वि.नि.लि. और अन्य बिजली उत्पादन इकाइयों से प्राप्त आंकड़ों का, 14 चयनित अंचलों के शुल्क निर्धारण अभिलेखों/विवरणियों के साथ त्रियक-जाँच (जुलाई 2019 और मार्च 2020 के बीच) से पता चला कि 60 निर्धारितियों (13 अंचलों[38] में निबंधित 551 निर्धारीतियों में से) द्वारा 2011-12 और 2017-18 के बीच की अवधि के लिए द.घा.नि./झा.बि.वि.नि.लि. और अन्य विद्युत उत्पादन इकाइयों से 877.49 करोड़ ईकाई विद्युत ऊर्जा खरीदे गए थे, लेकिन उनके विवरणी में केवल 395.18 करोड़ इकाइयाँ दिखाई गई थी (जिसका शुल्क निर्धारण दिसम्बर 2014 और मार्च 2019 के बीच किया गया था)। आगे, यह देखा गया कि लाइसेंसधारियों/निर्धारितियों से ऊर्जा के विक्रय/हस्तांतरण से संबन्धित आंकड़ों/ सूचनाओं को प्राप्त करने और उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए अभिलेखों/विवरणियों से त्रियक-जाँच करने का कोई तंत्र नहीं था। परिणामस्वरूप, विभाग विद्युत ऊर्जा की 482.31 करोड़ इकाइयों के छिपाव को पत्ता करने में विफल रहा, जिसके कारण ₹ 28.87 करोड़ अर्थदण्ड सहित ₹ 53.72 करोड़ विद्युत शुल्क का कम आरोपण हुआ।

विभाग ने कहा (दिसम्बर 2020) कि 11 मामलों में ₹ 33.59 करोड़ की अतिरिक्त माँग की गई है और हजारीबाग अंचल के तीन मामलों को छोड़कर शेष मामलों में नोटिस निर्गत की गई है। इन तीन मामलों में यह कहा गया था कि शुल्क निर्धारण, झा.बि.वि.नि.लि. द्वारा जारी किए गए ऊर्जा बिपत्रों के आधार पर किया गया था। हालांकि, ऊर्जा बिपत्रों के आधार पर शुल्क निर्धारण के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। आगे, विभाग ने कहा कि विभिन्न विभागों के सॉफ्टवेयर को समेकित किया जा रहा है जिससे विभाग बड़े उद्योगों द्वारा की गयी ऊर्जा की खपत का आकलन कर सकेगा।

3.3.5.4 अधिक छूट की अनुमति

लाइसेंसधारियों के बीच ऊर्जा हस्तांतरण की सूचनाएँ के साथ विवरणियों की जाँच करने के तंत्र की अनुपस्थिति के परिणामस्वरूप 1,005.51 करोड़ इकाई की अधिक छूट और इसके फलस्वरूप ₹ 120.16 करोड़ अर्थदण्ड सहित ₹ 270.99 करोड़ विद्युत शुल्क का कम आरोपण हुआ।

झा.वि.शु. (संशोधन) नियमावली के नियम 11(ए) के प्रावधानों के तहत, एक लाइसेंसधारी द्वारा दूसरे लाइसेंसधारी या विद्युत व्यवसायियों को आपूर्ति के बिंदु पर, जहाँ आपूर्ति क्रेता लाइसेंसधारी या विद्युत व्यवसायियों द्वारा पुनर्विक्रय के लिए

[38] आदित्यपुर, बोकारो, चिरकुंडा, देवघर, धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग, जमशेदपुर, जमशेदपुर नागरीय, झरिया, रामगढ़, राँची दक्षिणी और तेनुघाट।

की जाती है, कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा। उपर्युक्त श्रेणी में नहीं आने पर लाइसेंसधारी पर शुल्क का आरोपण एवं संग्रहण किया जाएगा। तदंतर, बि.वि.शु. अधिनियम की धारा 5ए(2) के प्रावधानों के तहत अर्थदण्ड आरोप्य है।

कोडरमा वाणिज्यकर अंचल में निबंधित मेसर्स कोडरमा थर्मल पावर स्टेशन (के.टी.पी.एस.) के अभिलेखों/विवरणियों के साथ द.घा.नि. द्वारा लाइसेंसधारियों को विद्युत ऊर्जा की बिक्री/हस्तांतरण से संबंधित प्राप्त आंकड़ों/सूचनाओं की त्रियक-जाँच से पता चला (सितम्बर 2019) कि निर्धारिती/लाइसेंस धारक ने 2015-16 से 2017-18 की अवधि के लिए नेशनल ग्रिड को 1,488.34 करोड़ विद्युत ऊर्जा इकाई का हस्तांतरण दिखाया था, जिसे निर्धारण प्राधिकारी द्वारा स्वीकार किया गया था। द.घा.नि. द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, 2015-18 की अवधि के दौरान के.टी.पी.एस. (द.घा.नि. की एक इकाई) द्वारा विद्युत ऊर्जा का कुल हस्तांतरण 482.83 करोड़ इकाई था। निर्धारण प्राधिकारी (नि.प्रा.) ने, शुल्क निर्धारण संपन्न करते समय (मार्च 2018 और मार्च 2019 के बीच), निर्धारिती द्वारा दायर विवरणी के अनुसार छूट को स्वीकार किया। इसके परिणामस्वरूप 1,005.51 करोड़ विद्युत ऊर्जा इकाई की अधिक छूट दी गई और इसके फलस्वरूप ₹ 120.16 करोड़ अर्थदण्ड सहित ₹ 270.99 करोड़ (उपयोग स्पष्ट नहीं होने के कारण, 15 पैसे प्रति इकाई की दर से गणना) विद्युत शुल्क का कम आरोपण हुआ। यह देखा गया कि एक लाइसेंसधारी से दूसरे को विद्युत ऊर्जा की बिक्री/हस्तांतरण के संबंध में आंकड़ों/सूचनाओं को प्राप्त करने का कोई तंत्र नहीं था। परिणामस्वरूप विभाग, निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत विवरणी में दर्शाए गए स्थानांतरण/बिक्री की तिर्यक-जाँच नहीं कर सका।

विभाग ने सूचित किया (अक्टूबर और दिसम्बर 2020 के बीच) कि आपत्ति में अंतर्निहित राशि की माँग की गई है।

सरकार शुल्क निर्धारण को अंतिम रूप देने से पहले संबंधित निर्धारितियों से अतिरिक्त आंकड़े/सूचनाएँ प्राप्त करने के लिए हस्तांतरण दावा प्रपत्र जैसे तंत्र बनाने पर विचार कर सकती है।

3.3.5.5 विद्युत शुल्क का आरोपण नहीं होना

शुल्क निर्धारण प्रधिकारियों ने विवरणियों की अप्रस्तुतिकरण का पता नहीं किया जिस पर ₹ 71.54 लाख वि.शु. और ₹ 1.11 करोड़ अर्थदण्ड आरोप्य था। इसमें से ₹ 51.54 लाख वि.शु. और ₹ 99.03 लाख अर्थदण्ड का निर्धारण कालबाधित हो गया था।

झा.वि.शु. (संशोधन) नियमावली के नियम 12 के प्रावधानों के तहत, निर्धारिती को विहित अवधि में तिमाही और वार्षिक विवरणियाँ जमा करना और लागू दरों पर शुल्क भुगतान करना है। वार्षिक विवरणी जमा करने की तारीख से 30 महीनों के अंदर शुल्क निर्धारण आदेश पारित किया जाना है। आगे, बि.वि.शु. अधिनियम की

धारा 5ए(1) विवरणी जमा करने की नियत तारीख के बाद चूक के प्रत्येक दिन के लिए ₹ 50 से अधिक नहीं अर्थदण्ड प्रावधानित करता है और धारा 5ए(2) के तहत भुगतान में चूक के लिए अर्थदण्ड आरोप्य है।

चयनित अंचलों में अभिलेखों की लेखापरीक्षा (अगस्त और सितंबर 2019 के बीच) से पता चला कि रामगढ़ और कोडरमा वाणिज्यकर अंचलों में, पाँच निर्धारितियों (57 निबंधित निर्धरितियों में से) ने 2014-19 की अवधि के लिए विवरणियाँ दाखिल नहीं किया। निर्धारण प्रधिकारियों ने भी विवरणियों को दाखिल नहीं करने के लिए नोटिस निर्गत नहीं किया। झा.बि.वि.नि.लि./द.घा.नि. से लेखापरीक्षा द्वारा संग्रहित आंकड़ों से पता चला कि इन निर्धरितियों ने 2014-18 के दौरान झा.बि.वि.नि.लि./द.घा.नि. से 14.31 करोड़ विद्युत ऊर्जा इकाई का क्रय किया था। अतः, निर्धरिती ₹ 1.11 करोड़ अर्थदण्ड सहित ₹ 1.82 करोड़ वि.शु. भुगतान करने हेतु उत्तरदायी थे। चूंकि 2014-15 से 2016-17 की अवधि का शुल्क निर्धारण मार्च 2020 तक संपन्न किया जाना था, इससे 10.31 करोड़ इकाइयों के लिए ₹ 51.54 लाख वि.शु. का निर्धारण कालबाधित हो गया। इस प्रकार, निर्धारण प्रधिकारियों द्वारा कर्तब्यपरायणता में कमी और लाइसेंसधारियों से अतिरिक्त आंकड़े/सूचनाएँ प्राप्त करने हेतु तंत्र की अनुपस्थिति के कारण, सरकार को ₹ 51.54 लाख वि.शु. और ₹ 99.03 लाख अर्थदण्ड से वंचित होना पड़ा। इसके अलावा ₹ 31.58 लाख वि.शु. और अर्थदण्ड अब तक आरोपित होना था।

विभाग ने कहा (दिसम्बर 2020) कि ₹ 2.43 करोड़ की अतिरिक्त माँग सृजित की गई है, जिसमें से ₹ 65.02 लाख की वसूली हुई है।

3.3.6 पड़ोसी राज्यों में विद्युत शुल्क का आरोपण एवं संग्रहण का तंत्र

विद्युत शुल्क अधिनियमों का क्रमशः छत्तीसगढ़ और ओडिशा राज्यों में मुख्य विद्युत निरीक्षक और प्रधान मुख्य विद्युत निरीक्षक द्वारा प्रशासित किया जाता है। लेखापरीक्षा ने इन राज्यों में ऊर्जा की उपलब्धता और शीर्ष स्तर पर उसकी निगरानी के साथ ही विद्युत शुल्क आरोपण एवं संग्रहण प्रणाली का विश्लेषण किया जिसकी विवेचना अनुवर्ती कण्डिकाओं में की गई है।

3.3.6.1 पड़ोसी राज्यों के साथ राजस्व की तुलना

छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के साथ झारखण्ड में 2014-19 की अवधि के लिए विद्युत पर करों एवं शुल्क से प्राप्त राजस्व और विद्युत की वास्तविक आपूर्ति की स्थिति को **तालिका-3.5** में दर्शाया गया है।

तालिका-3.5: पड़ोसी राज्यों के साथ राजस्व की तुलना

(₹ करोड़ में/आपूर्ति 10 लाख इकाई में)

राज्य		2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	संग्रहण प्राधिकारी
झारखण्ड	प्राप्ति	175.40	125.68	151.89	183.50	209.07	वा.क.वि.
	आपूर्ति	17,205	17,797	18,267	18,737	18,737	
	प्रति इकाई आपूर्ति पर प्राप्ति	0.10	0.07	0.08	0.10	0.11	
छतीसगढ़	प्राप्ति	1,312.92	1,372.84	1,495.48	1,688.95	1,790.27	मु.वि.नि.
	आपूर्ति	21,230	25,310	23,699	25,832	26,417	
	प्रति इकाई आपूर्ति पर प्राप्ति	0.62	0.54	0.63	0.65	0.68	
उड़ीसा	प्राप्ति	1,722.60	1,212.21	1,637.14	1,969.74	3,257.66	मु.वि.नि.
	आपूर्ति	26,052	26,600	26,756	28,706	32,115	
	प्रति इकाई आपूर्ति पर प्राप्ति	0.66	0.45	0.61	0.69	1.01	

स्रोत : संबंधित राज्यों के वार्षिक वित्तीय विवरण एवं केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार और दामोदर घाटी निगम का वार्षिक प्रतिवेदन।

उपरोक्त तालिका से, यह देखा जा सकता है कि झारखण्ड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में 2014-19 की अवधि के दौरान राजस्व में क्रमशः 19.20, 36.36 और 89.11 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि आपूर्ति में 8.90, 24.43 और 23.27 प्रतिशत की वृद्धि हुई। आगे, यह देखा गया कि उड़ीसा में प्रति इकाई आपूर्ति से प्राप्ति 45 पैसा और ₹ 1.01 के बीच और छत्तीसगढ़ में यह 54 पैसा और 68 पैसा के बीच थी जबकि झारखण्ड में यह सात पैसा और 11 पैसा के बीच थी। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि पड़ोसी राज्यों की तुलना में झारखण्ड में प्रति इकाई आपूर्ति से प्राप्ति कम है।

लेखापरीक्षा ने पड़ोसी राज्यों के साथ झारखण्ड में विद्युत शुल्क के आरोपण और संग्रहण की प्रणाली का तुलना किया। झारखण्ड के प्रावधानों और विद्युत शुल्क (वि.शु.) के आरोपण एवं संग्रहण के लिए इन राज्यों के प्रमुख प्रावधानों और मानदंडों की तुलनात्मक तस्वीर **तालिका-3.6** में दर्शाई गई है।

तालिका-3.6: झारखण्ड एवं अन्य राज्यों में वि.शु. आरोपण एवं संग्रहण की प्रणाली का तुलनात्मक विशलेषण

प्रणाली का विवरण	छत्तीसगढ़	उड़ीसा	झारखण्ड
विद्युत शुल्क आरोपण एवं संग्रहण का उत्तरदायित्व	ऊर्जा विभाग (मुख्य विद्युत निरीक्षक)	ऊर्जा विभाग (प्रधान मुख्य विद्युत निरीक्षक)	वाणिज्यकर विभाग (आयुक्त)
उपभोक्ताओं की मुख्य श्रेणियों पर वि.शु. की दर	खनन: सीमेंट उद्योग की कैप्टिव खानों के अलावा अन्य पर ऊर्जा प्रभार का 40 प्रतिशत। उद्योग: उद्योग की प्रकृति के आधार पर ऊर्जा प्रभार का तीन से 20 प्रतिशत। घरेलू: ऊर्जा प्रभार का आठ प्रतिशत।	खनन: कैप्टिव खपत के लिए प्रति इकाई 55 पैसा, एच.टी. श्रेणी के लिए ऊर्जा प्रभार का आठ प्रतिशत और ई.एच.टी. श्रेणी के लिए ऊर्जा प्रभार का नौ प्रतिशत। उद्योग: कैप्टिव खपत के लिए प्रति इकाई 55 पैसा। घरेलू: ऊर्जा प्रभार का चार प्रतिशत।	खनन: 100 ब्रिटिश अश्वशक्ति से अधिक भार के लिए प्रति इकाई 20 पैसा। उद्योग: प्रति इकाई पाँच पैसा। घरेलू: 250 इकाई तक 20 पैसा प्रति इकाई और 250 इकाई से ज्यादा के लिए 24 पैसा प्रति इकाई।
विवरणी	ऊर्जा विभाग में मासिक विवरणी दाखिल किया जाता है।	मासिक और वार्षिक विवरणी ऊर्जा विभाग में दाखिल किया जाता है।	वा.क.वि. में त्रैमासिक और वार्षिक विवरणी दाखिल किया जाता है।
मीटर पठन	मीटर पठन नहीं की जा रही है। विवरणी में स्व-घोषित।	विवरणी में घोषित करने के अलावा कैप्टिव निर्धारिती के लिए विद्युत निरीक्षक द्वारा मीटर पठन किया जाता है और वेब पोर्टल में डाला जाता है।	मीटर पठन नहीं की जा रही है। विवरणी में स्व-घोषित।
विवरणी दाखिल नहीं करने पर दण्ड का प्रावधान	दण्ड का प्रावधान नहीं है।	कारावास जो छह महीने तक का हो सकता है या ₹ 1,000 का दण्ड या दोनों हो सकता है।	निबंधित निर्धारितियों के मामले में प्रत्येक दिन चूक के लिए अर्थदण्ड ₹ 50 से अधिक नहीं।
शुल्क निर्धारण	वार्षिक विवरणी दाखिल नहीं किया जा रहा है। मासिक विवरणी के माध्यम से बिक्री/ खपत घोषित किया जाता है।	मासिक और वार्षिक शुल्क निर्धारण किया जा रहा है। विवरणी में घोषित बिक्री/खपत को मीटर पठन के साथ जाँच किया जाता है। तदनुसार, विद्युत शुल्क का निर्धारण किया जाता है।	वार्षिक विवरणी जमा करने के 30 महीने के अंदर वार्षिक विवरणी/त्रैमासिक विवरणी के आधार विद्युत शुल्क का निर्धारण किया जाता है।
विद्युत शुल्क के संग्रहण का तरीका	विद्युत शुल्क का मासिक भुगतान होता है।		
विद्युत शुल्क के भुगतान में विलम्ब हेतु दण्ड का प्रावधान	3 महीने तक 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से, तीन से छह महीने के लिए 15 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से, छह से 12 महीने तक 20 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से और 12 महीने से अधिक समय के लिए 24 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज।	स्वीकृत किये गए विद्युत शुल्क के लिए प्रति वर्ष 18 प्रतिशत का ब्याज और अस्वीकृत विद्युत शुल्क के प्रति दिन विलम्ब के लिए ₹ 1,000 से अधिक का अर्थदण्ड, लेकिन ₹ एक लाख से अधिक नहीं।	स्वीकृत किए गए विद्युत शुल्क के लिए 1.5 प्रतिशत प्रति माह का ब्याज और अस्वीकृत विद्युत शुल्क के लिए पहले तीन महीनों के लिए प्रति माह 2.5 से पाँच प्रतिशत और उसके बाद प्रति माह पाँच प्रतिशत से 10 प्रतिशत अर्थदण्ड।

ऊपर दी गई तालिका से यह देखा जा सकता है कि खनन और उद्योग के संबंध में विद्युत शुल्क की दरें झारखण्ड की तुलना में इन पड़ोसी राज्यों में काफी अधिक थीं, जो राज्य में कम राजस्व सृजन का एक कारण हो सकता है।

इसके अलावा, उड़ीसा में, मासिक विवरणी के माध्यम से घोषित ऊर्जा की खपत/बिक्री को ऊर्जा विभाग के विद्युत निरीक्षकों द्वारा किए गए मीटर पठन के साथ त्रियक-जाँच किया जाता है। विद्युत शुल्क का आरोपण और संग्रहण की भी जिम्मेदारी एक ही विभाग, यानि ऊर्जा विभाग की है।

दूसरी ओर, झारखण्ड में, ऊर्जा विभाग के मु.वि.नि. विद्युत संस्थापनों की दुरुस्ती को प्रशासित करते हैं जबकि वा.क.वि. के आयुक्त वि.शु. के आरोपण और संग्रहण को प्रशासित करते हैं। चूंकि दो अलग-अलग विभाग शामिल हैं, इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि जिन उपभोक्ताओं को मु.वि.नि. द्वारा दुरुस्ती प्रमाण-पत्र निर्गत किए जाते हैं, वे वा.क.वि. में भी निबंधित हैं और वि.शु. का भुगतान कर रहे हैं, आंकड़ों/सूचनाओं के सहज आदान-प्रदान हेतु एक तंत्र जरूरी है। हालांकि, ऐसा कोई तंत्र मौजूद नहीं था और लेखापरीक्षा में विद्युत शुल्क भुगतान करने के उत्तरदायी अनिबंधित निर्धारितियों के उदाहरण मिले, जिसका कण्डिका 3.3.5.2 में उल्लेख किया गया है। आगे, उड़ीसा की तुलना में जहाँ शुल्क निर्धारण एक महीने के बाद संपन्न किया जाता है, वहीं झारखण्ड में वार्षिक विवरणी जमा करने के 30 महीने बाद तक विद्युत शुल्क निर्धारण संपन्न किया जाता है। बहुत मामलों में, इससे शुल्क निर्धारण कालबाधित होता है, परिणामस्वरूप राजस्व का नुकसान होता है, जैसा कि कण्डिका 3.3.5.5 में वर्णित है।

विभाग ने कहा (दिसम्बर 2020) कि लेखापरीक्षा अवलोकन के अनुसरण में विशेष सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। इस संबंध में अंतर विभागिय समिति की बैठक भी वाणिज्य कर विभाग के सचिव की अध्यक्षता में हुई थी।

3.3.7 अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों का अनुपालन/पालन नहीं किया जाना

बि.वि.शु. अधिनियम, बि.वि.शु. नियमावली, झा.वि.शु. (संशोधन) अधिनियम, झा.वि.शु. (संशोधन) नियमावली और इसके अधीन जारी की गई अधिसूचनाएँ, निर्धारित दर (दरों) पर विद्युत शुल्क के भुगतान और विवरणिओं की जाँच एवं विहित अवधि के भीतर विद्युत शुल्क निर्धारण को प्रावधानित करती है। उपर्युक्त वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं करने के फलस्वरूप कई अनियमितताएँ हुई जिनकी चर्चा निम्नलिखित कण्डिकाओं में की गई है।

3.3.7.1 उर्जा की खपत/बिक्री का गलत निर्धारण

शुल्क निर्धारण संपन्न करते समय निर्धारण प्राधिकारी ने अभिलेखों पर उपलब्ध दस्तावेजों के साथ विवरणियों की जाँच नहीं की, जिसके कारण ₹ 640.12 करोड़ वि.शु. एवं अर्थदण्ड का अवनिर्धारण हुआ।

झा.वि.शु. (संशोधन) नियमावली के नियम 12 के साथ पठित बि.वि.शु. अधिनियम की धारा 3 के प्रावधानों के तहत, एक निर्धारिती उपभोग या बेची गई ऊर्जा की इकाइयों पर विद्युत शुल्क भुगतान करने का उत्तरदायी है। निर्धारण प्राधिकारी को वि.शु. निर्धारण करने के लिए अभिलेखों पर रखे गये विवरणियों और दस्तावेजों के आधार पर खपत या बेची गई ऊर्जा की इकाइयों का सही निर्धारण करने की जरूरत है। आगे, अधिनियम की धारा 5ए(2) के प्रावधानों के तहत अर्थदण्ड आरोप्य है।

चयनित अंचलों में अभिलेखों की लेखापरीक्षा जाँच (अगस्त 2019 और जनवरी 2020 के बीच) से पता चला कि पाँच अंचलों[39] में, पाँच निर्धारीतियों (अंचल में निबंधित 118 निर्धारीतियों में से) के मामले में 2011-12 और 2016-17 के बीच की अवधि के लिए 1,793.84 करोड़ विद्युत इकाइयों का सकल आवर्त निर्धारित (दिसम्बर 2014 और अप्रैल 2019 के बीच) किया गया था। लेखापरीक्षा ने वार्षिक प्रतिवेदनों और अभिलेखों पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजों के साथ शुल्क निर्धारण अभिलेखों का जाँच किया और देखा कि इन निर्धारीतियों की विद्युत ऊर्जा का उत्पादन/उपभोग 3,471.75 करोड़ इकाई था। इस प्रकार, उपलब्ध दस्तावेजों के साथ विवरणियों की जाँच करने में निर्धारण प्राधिकारियों की विफलता से 1,677.91 करोड़ इकाइयों के सकल आवर्त का कम निर्धारण हुआ और इसके परिणामस्वरूप ₹ 388.28 करोड़ के अर्थदण्ड सहित ₹ 640.12 करोड़ विद्युत शुल्क का अवनिर्धारण हुआ।

विभाग ने कहा (दिसम्बर 2020) कि लेखापरीक्षा अवलोकन के अनुसरण में सुनवाई के लिए नोटिस निर्गत की गई है।

3.3.7.2 छूट की गलत अनुमति

निर्धारण प्राधिकारियों ने अभिलेखों पर उपलब्ध सूचनाओं की जाँच नहीं किया और गलत छूट की अनुमति दिया, परिणामस्वरूप विद्युत ऊर्जा की 352.97 करोड़ इकाई की अधिक छूट की अनुमति प्रदान की गयी और फलस्वरूप ₹ 12.13 करोड़ के अर्थदण्ड सहित ₹ 60.88 करोड़ विद्युत शुल्क का कम आरोपण हुआ।

झा.वि.शु. (संशोधन) नियमावली के नियम 11 के प्रावधानों के तहत, जहाँ क्रेता वि.शु. का भुगतान नहीं करते हैं, लाइसेंसधारी द्वारा विद्युत शुल्क का भुगतान किया जाएगा। बि.वि.शु. अधिनियम और झा.वि.शु. (संशोधन) नियमावली के तहत जहाँ

[39] चिरकुंडा, झरिया, जमशेदपुर नागरीय, रामगढ़ और तेनुघाट।

ऊर्जा का संचरण नुकसान का दावा प्राप्त ऊर्जा का 15 प्रतिशत से अधिक नहीं है निर्धारिती शुल्क का स्व-निर्धारण के योग्य है। झारखण्ड राज्य ऊर्जा नियामक आयोग (झा.रा.ऊ.नि.आ.) ने 2010 में जारी अपनी अधिसूचना में जैविक संसाधन विद्युत परियोजनाओं के लिए 10 प्रतिशत और गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित सह-निर्माण परियोजनाओं और कोयला-आधारित उत्पादन स्टेशनों के लिए 8.50 प्रतिशत मानक सहायक खपत विनिर्दिष्ट किया है। सहायक खपत की अनुमति केवल ऊर्जा उत्पादन करने वाली इकाइयों को ही दी जाती है। बि.वि.शु. अधिनियम प्रावधानित करता है कि जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा सार्वजनिक उद्देश्य घोषित कर दे, उस उद्देश्य के लिए शुल्क नहीं लगाया जाएगा। आगे, पुनर्वास योजना 2003 के अंतर्गत, स्वीकृत पुनरुद्धार प्रस्ताव के तहत योग्य औद्योगिक इकाइयों को तीन वर्ष की अवधि या पुनरुद्धार की अवधि, जो भी पहले हो, के लिए वि.शु. की छूट दी जा सकती है।

14 चयनित अंचलों में अभिलेखों की लेखापरीक्षा (अगस्त 2019 और जनवरी 2020 के बीच) में पाया गया कि आठ वाणिज्य कर अंचलों[40] में, 17 निर्धारितियों (अंचलों में निबंधित 391 निर्धारितियों में से) के मामले में निर्धारण प्राधिकारियों ने 2011-12 और 2017-18 के बीच की अवधि के लिये शुल्क निर्धारण संपन्न करते समय (दिसम्बर 2014 और दिसम्बर 2019 के बीच) अन्य निर्धारिती को स्थानांतरण, संचारण हानि, सहायक खपत, सार्वजनिक उद्देश्यों और औद्योगिक नीति के तहत पुनर्वास योजना पर 352.97 करोड़ विद्युत ऊर्जा इकाई की छूट की गलत अनुमति दी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 12.13 करोड़ अर्थदण्ड सहित ₹ 60.88 करोड़ विद्युत शुल्क का कम आरोपण हुआ।

लेखापरीक्षा ने देखा कि अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों और शुल्क निर्धारण अभिलेखों में उपलब्ध दस्तावेजों के जाँच करने में निर्धारण प्राधिकारियों की कर्तव्यनिष्ठा के अभाव के साथ-साथ विभिन्न उद्देश्यों जैसे पुनर्वास योजना, सार्वजनिक उद्देश्य, सहायक खपत आदि के लिए छूट की अनुमति के संदर्भ में विभाग के स्पष्ट दिशानिर्देशों/स्पष्टीकरण के अभाव के परिणामस्वरूप छूट की गलत अनुमति दी गई।

विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया और कहा (दिसम्बर 2020) कि सुनवाई के लिए नोटिस निर्गत की गई है।

3.3.7.3 शुल्क की गलत दर का अनुप्रयोग

निर्धारण प्राधिकारियों ने शुल्क निर्धारण संपन्न करते समय, दरों की अनुसूची से वि.शु. की दरों की जाँच नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप अर्थदण्ड सहित ₹ 316.79 करोड़ विद्युत शुल्क का कम आरोपण हुआ।

झा.वि.शु. (संशोधन) अधिनियम के प्रावधानों के तहत विद्युत शुल्क की दर, बि.वि.शु. अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत उपयोग की प्रकृति के अनुसार अनुसूची

[40] आदित्यपुर, बोकारो, जमशेदपुर, जमशेदपुर नागरीय, झरिया, रामगढ़, राँची दक्षिणी और तेनुघाट।

में निर्धारित की गई है। आगे, अधिनियम की धारा 5ए(2) के प्रावधानों के तहत अर्थदण्ड आरोप्य है।

चयनित अंचलों में अभिलेखों की लेखापरीक्षा (जुलाई 2019 और जनवरी 2020 के बीच) से पता चला कि 11 वाणिज्यकर अंचलों[41] में, 74 निर्धारीतियों (अंचलों में निबंधित 498 निर्धारीतियों में से) के मामले में, निर्धारीतियों ने विद्युत ऊर्जा की 1,966.45 करोड़ इकाइयों को विभिन्न उद्देश्यों/प्रयोजनों हेतु उपभोग किया था। निर्धारण प्राधिकारियों ने शुल्क निर्धारण संपन्न करते समय (अक्टूबर 2014 और जुलाई 2019 के बीच) विवरणियों में निर्धारीतियों द्वारा उल्लिखित निम्न दरों पर विद्युत शुल्क आरोपित किया। निर्धारिती अपने उपभोग के अनुसार ₹ 411.46 करोड़ का शुल्क भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे लेकिन निर्धारण प्राधिकारियों ने गलत दर से ₹ 272.91 करोड़ का विद्युत शुल्क आरोपित किया। यह देखा गया कि निर्धारण प्राधिकारियों ने शुल्क निर्धारण संपन्न करते समय दरों की अनुसूची के साथ निर्धारितियों द्वारा विवरणियों में उल्लिखित विद्युत शुल्क की दरों की त्रियक-जाँच नहीं किया। जिसके परिणामस्वरूप ₹ 178.25 करोड़ अर्थदण्ड सहित ₹ 316.79 करोड़ विद्युत शुल्क का कम आरोपण हुआ।

विभाग ने सूचित किया (जुलाई और दिसम्बर 2020 के बीच) कि लेखापरीक्षा अवलोकन के अनुसरण में सुनवाई के लिए नोटिस निर्गत किए गए हैं। आगे, आदित्यपुर वाणिज्यकर अंचल के मामले में ₹ 19,000 की वसूली की गई है।

3.3.7.4 ब्याज का आरोपण नहीं होना

शुल्क निर्धारण संपन्न करते समय निर्धारण प्राधिकारियों ने विद्युत शुल्क के कम/विलंबित भुगतान का पता नहीं लगाया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 4.55 करोड़ कम भुगतान और ₹ 3.30 करोड़ ब्याज का आरोपण नहीं हुआ।

झा.वि.शु. नियमावली के नियम 7(4) के प्रावधानों के तहत, प्रत्येक निर्धारिती ऊर्जा खपत या बिक्री इकाइयों, जैसा विवरणी में घोषित किया है के लिए उचित दरों पर शुल्क का भुगतान, उस महीना जिससे शुल्क संबंधित है के अगले महीने की 15वीं तारीख तक करेगा, जिसमें असफल रहने पर प्रति माह या उसके भाग पर 1.5 प्रतिशत ब्याज देय होगा।

चयनित अंचलों में अभिलेखों की लेखापरीक्षा से पता चला कि नौ अंचलों[42] में, 25 निर्धारीतियों (अंचलों में निबंधित 283 निर्धारीतियों में से) के मामले में, निर्धारीतियों ने 2012-13 और 2017-18 के बीच की अवधि लिए विद्युत ऊर्जा की खपत की विवरणी दाखिल किया (शुल्क निर्धारण मार्च 2015 और मई 2019 के बीच किया गया), जिस पर देय शुल्क ₹ 30.69 करोड़ था। हालांकि, लेखापरीक्षा से पता चला कि

---

41 आदित्यपुर, बोकारो, चिरकुंडा, धनबाद, हजारीबाग, जमशेदपुर, जमशेदपुर नागरीय, झरिया, रामगढ़, राँची दक्षिणी और तेनुघाट।

42 बोकारो, चिरकुंडा, देवघर, धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग, झरिया, रामगढ़ और तेनुघाट।

निर्धारीतियों ने एक से 56 महीने की विलंब से केवल ₹ 26.14 करोड़ का भुगतान किया। निर्धारण प्राधिकारियों ने विवरणी की संवीक्षा नहीं किया और वि.शु. के कम/विलंबित भुगतान का पता नहीं लगाया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 4.55 करोड़ का कम भुगतान और ₹ 3.30 करोड़ के ब्याज का आरोपण नहीं हुआ।

विभाग ने कहा (दिसम्बर 2020) कि छह निर्धारीतियों के विरुद्ध ₹ 15.96 लाख की अतिरिक्त माँग सृजित की गई है और लेखापरीक्षा अवलोकन के अनुसरण में शेष मामलों में सुनवाई के लिए नोटिस निर्गत किए गए है।

3.3.7.5 अर्थदण्ड का कम/नहीं आरोपण

शुल्क निर्धारण संपन्न करते समय निर्धारण प्राधिकारियों ने 13 मामलों में अतिरिक्त विद्युत शुल्क आरोपित किया, लेकिन अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया, जबकि दो मामलों में कम अर्थदण्ड आरोपित किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 7.45 करोड़ अर्थदण्ड कम/नहीं आरोपित किया गया।

झा.वि.शु. (संशोधन) नियमावली के नियम 11 के प्रावधानों के तहत, उद्योगों, खानों और अन्य वाणिज्यिक उपभोक्ताओं पर, जो किसी भी लाइसेंसधारी या विद्युत व्यसायियों से ऊर्जा की थोक आपूर्ति प्राप्त करते हैं, विद्युत ऊर्जा की उपभोग के लिए शुल्क लगाया जाएगा और उनके द्वारा भुगतान किया जाएगा। आगे, देय शुल्क का भुगतान न करने पर बि.वि.शु. अधिनियम की धारा 5ए(2) के प्रावधानों के तहत अर्थदण्ड आरोप्य है।

- चयनित (14) अंचलों में अभिलेखों की लेखापरीक्षा (जुलाई 2019 और जनवरी 2020 के बीच) से पता चला कि छह अंचलों[43] में 13 निर्धारितियों (अंचल में निबंधित 181 निर्धारितियों में से) के मामले में, निर्धारितियों ने 2011-12 से 2017-18 की अवधि के दौरान कोयले की धुलाई/अन्य प्रयोजनों हेतु 31.69 करोड़ इकाई विद्युत ऊर्जा की खपत का विवरणी दाखिल किया था। निर्धारण प्राधिकारियों ने शुल्क निर्धारण संपन्न करते समय (मार्च 2015 और जून 2019 के बीच) ₹ 5.13 करोड़ अतिरिक्त विद्युत शुल्क आरोपित किया लेकिन अधिनियम के अर्थदण्ड प्रावधानों को लागू करने में विफल रहे। इसके फलस्वरूप अस्वीकृत देय शुल्क के लिए ₹ 6.63 करोड़ अर्थदण्ड का आरोपण नहीं हुआ।

- चयनित अंचलों में अभिलेखों की लेखापरीक्षा (जुलाई और अगस्त 2019 के बीच) से पता चला कि चिरकुंडा और रामगढ़ अंचलों में, 78 निबंधित निर्धारीतियों में से दो ने 2012-13 से 2017-2018 की अवधि के लिए ₹ 59.51 लाख विद्युत शुल्क तीन से 74 महीने की देरी से भुगतान किया। शुल्क निर्धारण संपन्न करते समय (जुलाई 2018 और फरवरी 2019 के बीच) निर्धारण प्राधिकारियों ने ₹ 99.55 लाख के बजाय ₹ 17.88 लाख अर्थदण्ड आरोपित किया। यह देखा गया कि निर्धारण प्राधिकारियों ने अर्थदण्ड की गलत दर लागू किया था। इसके परिणामस्वरूप

[43] चिरकुंडा, धनबाद, हजारीबाग, झरिया, रामगढ़ और तेनुघाट।

वास्तविक देय शुल्क के कम/नहीं भुगतान करने पर ₹ 81.67 लाख अर्थदण्ड कम आरोपित किया गया।

विभाग ने कहा (दिसम्बर 2020) कि एक निर्धारिती के विरुद्ध ₹ 76.32 लाख की अतिरिक्त माँग की गई है और लेखापरीक्षा अवलोकन के अनुसरण में शेष मामले में सुनवाई के लिए नोटिस निर्गत की गई है।

सरकार वि.शु. का नहीं/विलंबित भुगतान होने पर अर्थदण्ड/ब्याज की स्वगणना के लिए एक प्रणाली विकसित करने पर विचार कर सकती है।

3.3.8 निष्कर्ष

वा.क.वि./अंचलों में राजस्व के बकाऐ और इसमें शामिल मामलों से संबंधित विवरण की समेकित जानकारी नहीं थी।

यद्यपि, वा.क.वि. विद्युत शुल्क आरोपण और संग्रहण को प्रशासित किया, उसके पास मु.वि.नि. से आंकड़े प्राप्त करने हेतु कोई तंत्र नहीं था, जो विद्युत संस्थापनों की दुरुस्ती को प्रशासित करता है। लेखापरीक्षा ने 732 डी.जी. सेट मालिकों और थोक उपभोक्ताओं को पाया, जो स्वनिबंधित नहीं करा कर के दायरे से बाहर रहे। इनमें से, लेखापरीक्षा ने 550 मामलों में ₹ 38.97 करोड़ वसूली योग्य वि.शु. और अर्थदण्ड का गणना किया।

वा.क.वि. छिपाव में सन्निहित ₹ 53.72 करोड़ की 60 मामलों को पहचान करने में विफल रहा क्योंकि लाइसेंसधारियों और विद्युत उत्पादन इकाइयों के अभिलेखों के साथ निर्धारितियों द्वारा प्रस्तुत विवरणियों की जाँच करने के लिए कोई तंत्र नहीं था। वा.क.वि. लाइसेंसधारियों के बीच ऊर्जा हस्तांतरण की जाँच करने में भी विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 120.16 करोड़ अर्थदण्ड सहित ₹ 270.99 करोड़ विद्युत शुल्क की अतिरिक्त छूट दी गई।

विद्युत शुल्क राजस्व 2014-19 के दौरान पड़ोसी राज्यों, छत्तीसगढ़ में ₹ 1,312.92 करोड़ से बढ़कर ₹ 1,790.27 करोड़ (36.36 प्रतिशत) और ओडिशा में ₹ 1,722.60 करोड़ से बढ़कर ₹ 3,257.66 करोड़ (89.11 प्रतिशत) की तुलना में झारखण्ड में मामूली रूप से ₹ 175.40 करोड़ से ₹ 209.07 करोड़ (19.20 प्रतिशत) की बृद्धि हुई। इन राज्यों की तुलना में झारखण्ड में विद्युत शुल्क की दरें कम थीं।

निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा अधिनियमों/नियमों के मौजूदा प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने और वि.शु. के नहीं/विलंबित भुगतान के लिए अर्थदण्ड/ब्याज की स्वत: गणना और अनुश्रवण के लिए तंत्र की अनुपस्थिति के परिणामस्वरूप 136 मामलों में वि.शु. और अर्थदण्ड ₹ 1,028.55 करोड़ का कम आरोपण हुआ।

ये लेखापरीक्षा अवलोकन वे हैं जो लेखापरीक्षा के चयनित नमूनों में पाये गये और संभावनाएँ हैं कि राज्य में वि.शु. के आरोपण और संग्रहण करने वाले अन्य कार्यालयों

में समान अनियमितताएँ हो। वा.क.वि. राज्य के सभी जिलों में ऐसे सभी मामलों की पूरी तरह से जाँच कर आवश्यक कार्रवाई कर सकता है।

अन्य अवलोकन

3.4 झा.मू.व.क. अधिनियम के अंतर्गत क्रय आवर्त का छिपाया जाना

निर्धारण प्राधिकारियों ने कर निर्धारण संपन्न करने के दौरान विवरणियों का तिर्यक जाँच प्रपत्र सी और एफ के उपयोग एवं अन्य अभिलेखों से नहीं किया जिसके फलस्वरूप ₹ 25.99 करोड़ के कर और अर्थदण्ड का अवनिर्धारण हुआ।

झा.मू.व.क. अधिनयम के धारा 37(6) के साथ पठित धारा 40(1) के प्रावधानों के अंतर्गत, यदि व्यवसायी ने आवर्त के ब्यौरे को जानबूझ कर छुपाया, छोड़ा या दर्शाने में विफल रहा है अथवा ऐसे आवर्त का गलत ब्यौरा दाखिल किया है, जिससे विवरणित राशि वास्तविक राशि से कम है, तो निर्धारण प्राधिकारी वैसे आवर्त पर व्यवसायी द्वारा देय कर का निर्धारण या पुनर्निर्धारण की कार्रवाई करेगा तथा छिपाये गये आवर्त पर निर्धारित कर की राशि के दुगुना (जुलाई 2014 से बढ़ाकर तिगुना) के समतुल्य अर्थदण्ड आरोपित करेगा।

लेखापरीक्षा ने तीन वाणिज्यकर अंचलों[44] में निबंधित 16,201 व्यवसायियों में से 369 व्यवसायियों के कर निर्धारण अभिलेखों की नमूना जाँच किया (जनवरी और फ़रवरी 2019 के बीच) और पाया कि तीन व्यवसायियों ने 2013-14 एवं 2014-15 की अवधि के लिए क्रय आवर्त ₹ 404.95 करोड़ दिखाया था। जाँच से यह पता चला कि व्यवसायियों ने वास्तव में ₹ 547.60 करोड़ के वस्तुओं का क्रय/प्राप्त किया था। इस तरह ₹ 142.65 करोड़ के आवर्त को छिपाया गया, जिसके फलस्वरूप ₹ 18.69 करोड़ के अर्थदण्ड सहित ₹ 25.99 करोड़ कर का अवनिर्धारण हुआ।

लेखापरीक्षा ने 16,201 मामलों में से केवल 369 मामलों की जाँच की है। सरकार शेष कर निर्धारण अभिलेखों की आंतरिक रूप से जाँच करा सकती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अन्य मामलों में इस प्रकार आवर्त का छिपाया जाना एवं परिणामस्वरूप करों से बच जाना नहीं हुआ हो।

मामलों को बताए जाने (जनवरी और फ़रवरी 2019 के बीच) पर निर्धारण प्राधिकारी ने कहा (मार्च 2020) कि सुनवाई के लिए नोटिस निर्गत किए जा चुका था।

मामले को सरकार को सितम्बर 2019 में प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्रतीक्षित थे (मई 2021)।

[44] हज़ारीबाग, राँची पूर्वी एवं राँची पश्चिमी।

3.5 कर के गलत दर का अनुप्रयोग

निर्धारण प्राधिकारी ने अभिनिश्चित करने के अयोग्य श्रम एवं अन्य सदृश प्रभार के दावों को अस्वीकार कर दिया परन्तु इसके बाद करदेय आवर्त पर आरोप्य 14 प्रतिशत के बजाय पाँच प्रतिशत की दर से करारोपण किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 4.39 करोड़ कर का अल्पारोपण हुआ।

झा.मू.व.क. नियमावली, 2006 के नियम 22(2) के अनुसार जब किसी संविदा में श्रम, सेवा, भाड़ा प्रभार एवं अन्य सभी सदृश प्रभार की राशि अभिनिश्चित करने के अयोग्य है, तब उक्त प्रभारों की राशि कुल प्राप्त/प्राप्य के 30 प्रतिशत (असैनिक कार्यों के मामले में) के रूप में गणना की जाएगी, तथा इसके बाद प्राप्त करदेय आवर्त 14 प्रतिशत की दर से कर योग्य होंगे।

लेखापरीक्षा ने सिंहभूम अंचल में निबंधित 2,662 व्यवसायियों में से 100 व्यवसायियों के अभिलेखों की नमूना जाँच किया (अक्टूबर 2017) और पाया कि निर्धारण प्राधिकारी ने एक व्यवसायी के मामले में वर्ष 2013-14 की अवधि का कर निर्धारण सम्पन्न करते समय (मार्च 2017) दावों के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाने के कारण कुल प्राप्ति का 30 प्रतिशत राशि श्रम एवं अन्य सदृश प्रभारों के मद में स्वीकृत किया। हालांकि, इसके उपरांत निर्धारित ₹ 48.81 करोड़ करदेय आवर्त पर नियमों के प्रावधानों के अनुसार 14 प्रतिशत के बजाए पाँच प्रतिशत के दर से कर आरोपित किया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 4.39 करोड़ कर का अल्पारोपण हुआ।

मामलों को बताये जाने (अक्टूबर 2017) पर निर्धारण प्राधिकारी ने कहा (फरवरी 2020) कि ₹ 4.39 करोड़ के अतिरिक्त माँग का सृजन किया गया है। राशि के वसूली से सम्बंधित सूचना प्रतीक्षित है (मई 2021)।

लेखापरीक्षा ने 2,662 मामलों में से केवल 100 मामलों की जाँच की है। सरकार शेष कर निर्धारण अभिलेखों की आंतरिक रूप से जाँच करा सकती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अन्य मामलों में कर के सदृश गलत दर का अनुप्रयोग एवं परिणामस्वरूप करों की हानि नहीं हुई हो।

मामले को सरकार को जुलाई 2018 एवं सितम्बर 2019 में प्रतिवेदित किया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2021)।

3.6 अस्वीकृत इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई.टी.सी.) पर ब्याज का आरोपण नहीं किया जाना

तीन अंचलों के निर्धारण प्राधिकारियों ने ₹ 5.51 करोड़ के आई.टी.सी. के समायोजन को अस्वीकृत कर दिया। तथापि, अस्वीकृत आई.टी.सी. पर ₹ 3.97 करोड़ के ब्याज का आरोपण नहीं किया गया।

झा.मू.व.क. अधिनियम, 2005 प्रावधानित करता है कि आवश्यक साक्ष्य जो इस अधिनियम, केन्द्रीय बिक्री अधिनियम या उसके अंतर्गत बने नियमावली के अंतर्गत जरूरी है से समर्थित नहीं होने के कारण अस्वीकृत आई.टी.सी. छूटों, कटौतियों तथा कोई अन्य छूटों या रियायतों पर ब्याज आरोप्य है। पुनः, अधिनियम अतिरिक्त निर्धारित कर पर चूक होने की तिथि से जब तक करदाता भुगतान में विलम्ब करता है प्रति माह दो प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करने को प्रावधानित करता है।

लेखापरीक्षा ने हज़ारीबाग एवं राँची पश्चिमी वाणिज्य-कर अंचलों में निबंधित 12,322 व्यवसायियों में से 270 व्यवसायियों के अभिलेखों का नमूना जाँच किया (जनवरी और फरवरी 2019 के बीच) और पाया कि निर्धारण प्राधिकारियों ने वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 की अवधि के लिए दो व्यवसायियों के ₹ 5.51 करोड़ आई.टी.सी. समायोजन के दावे को अस्वीकृत (मार्च 2017 और मार्च 2018 के मध्य) कर दिया। हालांकि, निर्धारण प्राधिकारी अस्वीकृत दावों पर ₹ 3.97 करोड़ के दंडात्मक ब्याज का आरोपण करने में विफल रहें।

मामलों को बताये जाने (जनवरी एवं फ़रवरी 2019 के मध्य) पर निर्धारण प्राधिकारियों ने कहा (मार्च 2020) कि सुनवाई के लिए नोटिस निर्गत किए जा चुके थे।

मामले को सरकार को सितम्बर 2019 और जनवरी 2020 के मध्य प्रतिवेदित किया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (मई 2021)।

3.7 बढ़ाये गये आवर्त पर अर्थदण्ड/ब्याज नहीं लगाया जाना

यद्दपि निर्धारण प्राधिकारियों ने छिपाए जाने के कारण व्यवसायियों के आवर्त में ₹ 6.91 करोड़ की वृद्धि की एवं ₹ 75.50 लाख अतिरिक्त कर आरोपित किया, परन्तु, उन्होनें ₹ 1.60 करोड़ अर्थदण्ड/ब्याज का आरोपण नहीं किया।

झा.मू.व.क. अधिनियम, 2005 की धारा 40(2) के प्रावधानों के अनुसार, यदि निर्धारण प्राधिकारी किसी कार्यवाही के दौरान या किसी सूचना के आधार पर, कर-निर्धारण से पूर्व या अन्यथा, यह संतुष्ट है कि निबंधित व्यवसायी ने इस अधिनियम के अंतर्गत उसके द्वारा देय कर राशि को कम करने के उद्देश्य से किसी क्रय या विक्रय को छुपाया है, तो विहित प्राधिकारी निर्धारित अतिरिक्त कर के अलावा, अर्थदण्ड के रूप

में अतिरिक्त निर्धारित कर पर पाँच प्रतिशत प्रत्येक माह की दर से (जुलाई 2014 से पुनरीक्षित तिगुने के समतुल्य) भुगतान करने को निर्देशित करेगा।

लेखापरीक्षा ने राँची पश्चिमी एवं सिंहभूम वाणिज्य कर अंचलों में निबंधित 10,352 व्यवसायियों में से 220 व्यवसायियों के कर निर्धारण अभिलेखों की नमूना जाँच की (अक्टूबर 2017 और जनवरी 2019 के बीच) और पाया कि दो व्यवसायियों ने वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 की अवधि के लिए अपना सकल आवर्त ₹ 102.72 करोड़ दर्शाया था। **निर्धारण प्राधिकारियों** ने कर निर्धारण के दौरान (फरवरी 2017 और मार्च 2018 के बीच) इन व्यवसायियों द्वारा कर अपवंचना की मंशा से छिपाये गये आवर्त के कारण सकल आवर्त को बढ़ा कर ₹ 109.63 करोड़ निर्धारित किया। यथापि, **निर्धारण प्राधिकारियों** ने आवर्त में ₹ 6.91 करोड़ की वृद्धि की एवं ₹ 75.50 लाख अतिरिक्त कर का आरोपण किया, परंतु, उन्होनें वृद्धि किये गये आवर्त पर आरोपित अतिरिक्त कर पर ₹ 1.60 करोड़ के अर्थदण्ड/ब्याज का आरोपण नहीं किया।

मामलों को बताये जाने (अक्टूबर 2017 और जनवरी 2019 के मध्य) पर रा.क.उ.आ., सिंहभूम अंचल ने ₹ 52.04 लाख के अतिरिक्त माँग का सृजन (फरवरी 2020) किया एवं झा.मू.व.क. अधिनियम, 2005 की धारा 46 के अंतर्गत विशेष रीति से वसूली की कारवाई की शुरुआत की। रा.क.उ.आ., राँची पश्चिमी अंचल, ने कहा (फरवरी 2020) कि सुनवाई के लिए व्यवसायी को नोटिस निर्गत किया जा चुका है।

मामले को सरकार को प्रतिवेदित किया गया था (जून 2018 एवं मार्च 2019 के मध्य); उनका उत्तर प्रतीक्षित था (मई 2021)।

उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

3.8 लेखापरीक्षा के परिणाम

2018-19 के दौरान, लेखापरीक्षा ने विभाग के 31 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों में से आठ (25.81 प्रतिशत) का नमूना जाँच किया। अप्रैल से जुलाई 2017 तक की अवधि में कुल 1,111 खुदरा उत्पाद दुकानों का नवीनीकरण राज्य में किया गया था, उसके बाद मार्च 2018 तक 679 दुकानों को विभागीय स्तर से संचालित कराया गया था। नमूना जाँच किये गए जिलों में, अप्रैल से जुलाई 2017 तक की अवधि में कुल 380 खुदरा उत्पाद दुकानों का नवीनीकरण किया गया था एवं 299 दुकानों को विभागीय स्तर से संचालित कराया गया था और लेखापरीक्षा ने इन सभी खुदरा उत्पाद दुकानों के अभिलेखों का जाँच किया। विभाग ने 2017-18 के दौरान ₹ 840.81 करोड़ राजस्व संग्रहित किया जिसमें से लेखापरीक्षित इकाइयों के द्वारा ₹ 542.01 करोड़ (64.46 प्रतिशत) राजस्व संग्रहित किया। लेखापरीक्षा ने 1,065 मामलों में ₹ 104.44 करोड़ की अनियमितताओं को पाया जैसा कि **तालिका-3.7** में वर्णित है।

तालिका-3.7: लेखापरीक्षा में पाये गये अनियमितताओं की श्रेणी

क्र. सं.	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1	खुदरा उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती नहीं होना	66	61.30
2	खुदरा विक्रेताओं द्वारा शराब का कम उठाव	521	23.62
3	न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा के अनुपयुक्त निर्धारण के कारण खुदरा अनुज्ञप्तिधारिओं को अनुचित वित्तीय लाभ	282	6.82
4	अन्य मामले	196	12.70
कुल		**1,065**	**104.44**

विभाग ने (जून 2019 तक) 578 मामलों में ₹ 27.97 करोड़ के लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया और अगस्त 2019 तक 82 मामलों में ₹ 5.34 करोड़ की वसूली किया।

कण्डिका 3.9 में 496 मामलों में सन्निहित ₹ 22.46 करोड़ के अनियमितताओं को दर्शाया गया है। इस प्रकार की अनियमितता लगातार पिछले पाँच वर्षों से प्रतिवेदित की जा रही है जैसा **तालिका- 3.8** में वर्णित है।

तालिका-3.8: पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों अनियमितताओं की प्रकृति

(₹ करोड़ में)

अनियमितताओं की प्रकृति	2013-14		2014-15		2015-16		2016-17		2017-18		कुल	
	मामले	राशि	मामले	राशि	मामले	राशि	मामले	राशि	मामले	राशि	मामले	राशि
खुदरा विक्रेताओं द्वारा शराब का कम उठाव	263	2.00	542	4.67	447	5.57	695	23.20	132	2.86	2,079	38.30

लोक लेखा समिति ने केवल 2015-16 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उठाये गये मामलों पर चर्चा की है लेकिन कोई अनुशंसा निर्गत नहीं किया।

3.9 खुदरा विक्रेताओं द्वारा शराब का कम उठाव

विभाग ने न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा के उठाव को सुनिश्चित करने के लिये कोई कार्रवाई नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप शराब का कम उठाव हुआ और उत्पाद शुल्क ₹ 22.46 करोड़ के हानि के समतुल्य अर्थदण्ड का आरोपण नहीं हुआ।

झारखण्ड उत्पाद (खुदरा शराब अनुज्ञप्ति की बंदोबस्ती) नियमावली, 2009 के नियम 17 के साथ पठित बिक्री अधिसूचना के शर्त संख्या 20 के प्रावधान के अंतर्गत प्रत्येक खुदरा उत्पाद दुकान का अनुज्ञप्तिधारी विभाग द्वारा खुदरा दुकान के लिए शराब की प्रत्येक प्रकार के लिए निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा (न्यू.प्र.मा.) के उठाव के लिए बाध्य है, ऐसा नहीं होने पर सरकार को उत्पाद राजस्व की हुई क्षति के समतुल्य राजस्व वसूलनीय होगी।

लेखापरीक्षा ने सभी लेखापरीक्षित इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जाँच किया। इनमें से, बोकारो एवं हजारीबाग जिलों में शराब के कम उठाव के मामले नहीं पाये गये थे, जबकि शेष चार जिलों[45] में लेखापरीक्षा में पाया गया (जनवरी एवं मार्च 2019 के बीच) कि 745 बंदोबस्त खुदरा उत्पाद दुकानों में से 496 खुदरा उत्पाद दुकानों के द्वारा अप्रैल 2016 और जूलाई 2017 के बीच झारखण्ड राज्य बिवेरज निगम लिमिटेड से 2.16 करोड़ एल.पी.एल./बी.एल. शराब का उठाव किया जाना था। हालाँकि, इन उत्पाद दुकानों ने मात्र 1.57 करोड़ एल.पी.एल./बी.एल. शराब का ही उठाव किया था। यह देखा गया कि खुदरा उत्पाद दुकानों हेतु न्यू.प्र.मा. का निर्धारण वार्षिक आधार पर किया गया था, जिसको बारह भागों में विभक्त किया गया था एवं खुदरा दुकानों के विक्रेताओं ने उनकी आवश्यकतानुसार शराब का मासिक उठाव किया। उत्पाद जिलों ने दुकान-वार निर्धारित न्यू.प्र.मा., माह में एवं माह तक शराब के उठाव से सम्बंधित प्रतिवेदन तैयार किया था, और प्रतिवेदन को उत्पाद आयुक्त को अग्रसारित किया था। हालाँकि, विभाग ने, कम उठाई गई शराब को अनुवर्ती महीनों में उठाव सुनिश्चित करने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की, ताकि वर्ष के अंत में कुल निर्धारित शराब की न्यू.प्र.मा. का उठाव हो जाए। इसके परिणामस्वरूप 58.87 लाख एल.पी.एल./बी.एल. शराब का कम उठाव हुआ और फलस्वरूप उत्पाद शुल्क का ₹ 22.46 करोड़ की हानि के समतुल्य अर्थदण्ड का आरोपण नहीं हुआ।

मामलों को बताये जाने (जनवरी एवं मार्च 2019 के बीच) पर सहायक आयुक्त उत्पाद, जमशेदपुर ने सूचित किया (जून 2019) कि ₹ 4.28 करोड़ की वसूली की जा चुकी है एवं शेष राशि की वसूली के लिए निलामपत्र वाद दायर किये गये हैं। अधीक्षक उत्पाद, गढ़वा ने कहा (फरवरी 2019) कि राशि का सामंजन प्रतिभूति जमा से किया जाएगा और यदि हानि प्रतिभूति जमा से अधिक होगी तो निलामवाद दायर किये जाएँगे। आयुक्त उत्पाद, धनबाद एवं राँची ने कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया।

सरकार को मामला जनवरी 2019 और फरवरी 2020 के बीच प्रतिवेदित किया गया, उनका उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2021)।

[45] धनबाद, गढ़वा, जमशेदपुर और राँची।